लोक-सभा वाद्-विवाद्
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34 गुरुवार 8 जुलाई, 1971/17 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 34, Thursday, 8 July 1971 Asadha 17, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—16
ता. प्र. संख्या S. Q. No.		
991. बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए केन्द्र द्वारा खाद्यानों को सप्लाई	Food Supplies for Bangla Desh Refugees by Centre	1
992. दिल्ली में गेहूं का मूल्य	Price of Wheat in Delhi	2
993. विभाजन के पश्चात पश्चिमी बंगाल में आकर बसे विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons settled in West Bengal after Partition	5
994. कृषि विकास के लिए बिहार को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Bihar for Agricultural Development	8
996. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations in Durgapur Steel Plant	9
997. मिट्टी-परीक्षन के लिए चल-प्रयोगशालाएं	Mobile Soil Testing Laboratories	10
999. गहरे समुद्र से मछली पकड़ने में प्रयुक्त मछुआ नौकाओं आदि के उत्पादन के लिए केरल को रूस से सहायता	Soviet Assistance to Kerala for Production of Trawlers for Deep-Sea Fishing	12
1002. राज्यों में कृषि सहकारी संघों की स्थापना	Setting up of Farm Cooperative Federations in States	14
1003. पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला खानों द्वारा खान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया जाना	Violation of Mines Regulation Act by West Bengal and Bihar Collieries	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1004.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए रोजगार — Employment to Bangla Desh Refugees	51
	प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	17—92

ता: प्र. संख्या
S.Q. No.

995.	सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना तथा उसके लिए मछुआ नावों को उपयुक्तता — Plan for Deep Sea Fishing in Public Sector and suitability of Trawlers therefor	17
998.	जर्मन जनवादी गणतन्त्र सरकार के साथ आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की वापसी के लिए किये गये करार के क्षेत्र का विस्तार — Expansion of the Scope of Agreement with G. D. R. Government for Return of R.S-09 Teactors	17
1000.	बुडनी में आर०एस०-09 ट्रैक्टरों के परीक्षण करने वाली विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन — Report of Expert Committee to enquire into Testing of R,S-09 Tractors at Budni	18
1001.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का शामिल किया जाना — Inclusion of Workers' Nominee in Board of Hindustan Steel Ltd.	18
1005.	इस्पात वितरण संबन्धी नीति में परिवर्तन — Changes in Steel Distribution Policy	19
1006.	उड़ीसा में निकल भट्टी और सीसा-भट्टी का स्थापित किया जाना — Setting up of Nickel Smelter and Lead Smelter in Orissa	19
1007.	मछलियां ले जाने के लिए वातानुकूलित रेल परिवहन सुविधा — Air-Conditioned Rail Transport for Despatch of Fish	19
1008.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए उपदान — Gratuity for Employees Provident Fund Organisation Employees	20
1009.	तमिलनाडु में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये योजना — Scheme for Nationalisation of Sugar Industry in Tamil Nadu	20
1010.	वनस्पति का मूल्य — Price of Vanaspati	21
1011.	कृषि विकास के लिए जल तथा वन संस्थापनों का उपयोग करने हेतु एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास निगम — Integrated Rsgional Development Corporation for exploitation of water and forest resources for Agricultural Development	21

ता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1012. ढाँचों की इस्पात कतरनों का अलाय स्टील प्लान्ट (मिश्र धातु इस्पात संयत्र), दुर्गापुर में बड़ी मात्रा में जमा हो जाना	Accumulation of Structural Steel Cuttings in Alloy Steel Plant Durgapur	21
1013. नियन्त्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Sugar after decontrol	22
1014. केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम का बन्द किया जाना	Closure of Central Fisheries Corporation	23
1015. 10 एकड़ से कम कृषियोग्य भूमि वाले किसानों को सहायता देने सम्बन्धी योजना	Scheme for help to farmers having less than 10 Acres of land	23
1016. गिरिडोह कोयला खानों का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत काम करना	Giridih collieries under Nation Coal Development Corporation	24
1017. मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड का प्रतिवेदन	Report of Manganese ore (India) Ltd.	24
1018. दिल्ली दुग्ध योजना में मोटर-गाड़ियों के पुर्जे की खरीद में धोखाधड़ी	Fraud in purchase of Auto Parts in Delhi Milk Scheme	25
1019. कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस पाने का अधिकारी होना	Entitlement for Bonus under the Coal Mines Bonus Scheme	26
1020. आसाम को गेहूँ का न भेजा जाना	Non-Despatch of Wheat to Assam	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4226. गुजरात में बारानी खेती योजना	Dry Farming Scheme in Gujarat	27
4227. धान, गेहूं और दालों की प्रति एकड़ उपज	Per acre yield of Paddy, wheat and pulses	27
4228. सरसा, बिहार में सिंचाई कार्य के लिये कुएं योजना	Boring operations for Irrigation in Saharsa, Bihar	27
4230. भारतीय खाद्यनिगम के गया, मोमकमेह और जमशेदपुर स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of ECI working at Gaya, Mokamah and Jamshedpur	28

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Snbject	पृष्ठ Pages
4231. दण्डकारण्य में बसे पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को दिये गये ऋण की वसूली	Realisation of loans advanced to East Bengal Displaced persons settled in Dandakaranya	28
4232. भारतीय खाद्य निगम और खाद्य विभाग के कृत्य	Functions of Food Corporation of India and Department of Food	29
4233. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं के एक नये बीज का विकास	Development of a new wheat seed by Punjab Agricultural University	29
4234. तमिलनाडु में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for boosting Agricultural production in Tamil Nadu	30
4235. इस्पात के वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिये सतकर्ता जांच आयोग की स्थापना	Setting up of Vigilance Enquiry Re : complaints of corruption in distribution of Steel	30
4236. बिहार में नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Tube-Wells in Bihar	30
4237. ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों के ऋण लेने वालों को ऋण देने के लिये ऋण संस्थाओं की स्थापना	Setting up of Credit Institutions of provide Credit to Borrowers from Rural and Agrarian Sectors	31
4238. मध्य प्रदेश में भिंड ग्वालियर और शिवपुरी में खादर को भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Ravine Land of Bhind Gwalior and Shivpuri in Madhya Pradesh	32
4239. उड़ीसा में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये पनधारा प्रबंधक बोर्ड	Watershed Management Board for River Valley Projects in Orissa	32
4240. तराई विकास निगम	Trail Development Corporation	32
4241. हजारी बाग जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा खोज	Exploration by National Coal Development Corporation in Hazari bagh District	33
4242. विभिन्न राज्यों में कमी वाले क्षेत्र	Scarcity areas in various States	34
4243. सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना	Workers' Participation in the Management of Public and Private Undertakings	35
4244. केरल राज्य में कोचीन में मत्तनचेरी में मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह	A Fishing Harbour at Mattancherry Cochin Kerala State	35
4245. पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के लिये पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for East Bengal Refugees	36
4246. तमिलनाडु, केरल उड़ीसा तथा हरियाणा में ग्राम्य रोजगार का द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Rural Employment in Tamil Nadu. Kerala Orrissa and Haryana	36

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4247.	मध्य प्रदेश में अलौह धातुओं के लिये वैमानिक सर्वेक्षण — Arrial Survey for non-ferrous metals in Madhya Pradesh	37
4248.	जिला गया (बिहार) में चट्टानों का उड़ाया जाना — Blasting of Rocks in Gaya District (Bihar)	37
4249.	शीट मैटल की मांग — Demand for Sheet Metal	37
4250.	श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये श्रमिक कानूनों का सहितावद्ध और सरलीकरण किया जाना — Modification and simplification of Labour Laws to safeguatd the interests of Labour	38
4251.	विशाखापत्तनम और होस्पेट इस्पात कारखानों को चूना पत्थरों की सप्लाई — Supply of Lime Stone to Visakhapatnam and Hospet Steel Plants	39
4252.	रेलवे को कोयला बेचने वाली कोयला खानें द्वारा कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित न किया जाना — Non-Implementation of Coal Mines Wage Board recommendations by Coal Mines selling Coal to Railways	39
4253.	1981 तक का खाद्यन का लक्ष्य — Food Target by 1981	39
4254.	श्रमिक कानून के उल्लंघन के बारे में रेलवे कर्मचारी और संगठनों द्वारा दी गई सूचना — Violation of Labour Laws as reported by Railway Employee and Organisations	40
4255.	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा राज्यों में नलकूपों का लगाया जाना — Erection of Tube-wells in States by Central Ground water Board	40
4256.	उत्तर प्रदेश गढ़वाल में भूमिगत जल संसाधनों के प्रयोग के लिये नलकूपों का लगाया जाना — Sinking of Tube-wells for use of Under-Ground Water Resources in Garhwal, U.P.	42
4257.	गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड दिल्ली में मजदूरों को जबरन छुट्टी — Workers laid off in Ganesh Flour Mills Ltd., Delhi	42
4258.	उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी के लिए कीटनाशी औषधियों की आवश्यकता — Requirement of insecticides for Agricultural and Horticultural purposes in U.P.	43
4259.	उत्तर प्रदेश में कृषि प्रयोजना के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता — Requirement of Chemical Fertilisers in U.P. for Agricultural purposes	43
4261.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विनियोजन — Investment in National Coal Development Corporation	44
4262.	हथकरघा मजदूरों के लिये श्रम कल्याण सम्बन्धी अधिकार — Labour Welfare Rights for Handloom Workers	44

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4263.	मध्य प्रदेश में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली बारानी खेती के लिये केन्द्रीय सहायता — Central Assistance for Dry Farming by Tribals in Madhya Pradesh	45
4264.	मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी की खादर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये विश्व बैंक से सहायता — World Bank Assistance for Development of Ravine Land of Chambal Valley in Madhya Pradesh	45
4265.	मध्य प्रदेश में कृषि आदि के लिये उपयुक्त खादर भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में) और उससे प्राप्त होने वाला अनुमानित राजस्व — Acreage of Ravine Land in Madhya Pradesh fit for Cultivation and estimated Revenue therefrom	45
4266.	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में जालसाजों का पता लगाया जाना — Fraud Unerthed by C.B.I. in Central Arid Zone Research Institute at Jodhpur	46
4267.	बंगला देश के शरणार्थियों का अन्य राज्यों को भेजा जाना — Dispersal of Bangla Desh Refugees	46
4268.	आंध्र प्रदेश द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता देने का अनुरोध — Request from Andhra Pradesh for Aid from F.A.O. for Deep-Sea Fishing Industry	47
4269.	राज्यों में बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत बीज फार्म स्थापित किया जाना — Setting up of Mechanised Large Scale Seed Farms in States	48
4270.	छोटे किसानों के लिये विकास एजेंसियों का पुनर्विलोकन — Review of Small Farmers' Development Agencies	48
4271.	बंगलौर में कम्पनियों के वी० एस० टी० ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल — Hunger Strike by Employees of V.S.T. Group of Companies in Bangalore	48
4272.	केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्य सामग्री सप्लाई करने संबंधी योजना — Plan for Supply of Foodstuff to Evacuees of Bangla Desh by Central/State Government	49
4273.	विश्वविद्यालयों में मत्स्य पालन पर अनुसंधान — Research on Fisheries in Universities	49
4274.	मत्स्य सहकारी समितियां और उन्हें मत्स्य नौकाओं और गीयरों की सप्लाई — Fishing Cooperatives and Use of Fishing Boats and Gears Supplied to them	50

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4275.	वाणिज्यिक और भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी आंकड़े / Data on Fishing in Vessels of Merchant Navy and Indian Navy	50
4276.	कर्मचारी राज्य बीमा से प्राप्त होने वाले लाभ / E. S. I. Benefits	51
4278.	पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिये योजना / Plan to help Agriculturists of Backward Areas of West Bengal	51
4379.	बंगाल देश के विस्थापितों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजा जाना / Sending of Bangla Desh Displaced Persons to Andaman and Nicobar Islands	52
4280.	कूच बिहार को खराब चावल सप्लाई किये जाने के बारे में शिकायतें / Complaints Regarding supply of Bad Quality of Rice to Coochbehar	53
4281.	कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर / Rate of Interest on Employees Provident Fund	53
4282.	मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिले के लिये विकास योजनायें / Development Schemes for Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradesh	53
4283.	वर्ष 1970 और 1971 में राज्यों को अलाट की गई तथा सप्लाई की गई चीनी और खाद्यान की मात्रा / Sugar and Foodgrains allotted and supplied to States during 1970 and 1971	54
4284.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटिया के ज्वार के संकर बीजों की सप्लाई / Supply of inferior Hybrid Jawar Seeds by National Seeds Corporation	54
4285.	राजस्थान में उदयपुर को झामर कोटड़ा खानों में रॉक फोस्फेट का जमा होना / Accumulation of Rock Phosphate at Jhamar Kotra Mines in Udaipur, Rajasthan	55
4286.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कार्य का विकास / Development of Deep–Sea Fishing	55
4287.	अन्तर्देशीय मछली उद्योग में प्रगति / Progress of Inland Fisheries	57
4288.	सिंचाई के टैंकों और कुओं में मत्स्य-पालन / Pisciculture in Irrigation Tanks and Wells	58
4289.	बिहार स्थित बोकारों कोयला खान द्वारा कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान न किया जाना / Non-payment of Worker's Wages by Bokaro Colliery, Bihar	58

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4290.	हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन, रांची को स्थानीय छोटे छोटे ठेकेदारों द्वारा कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials by local petty cont ractors to H. E. C., Ranchi 58
4291.	कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को क्रियान्विति	Implementation of Employees Family Pension Scheme 1971 59
4292.	कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये कल्याण कार्य	Welfare Works for Coal Mines Workers 59
4293.	सड़क परिवहन द्वारा खाद्यानों का भेजा जाना	Transporting of Foodgrains by Road 59
4294.	केरल में सल्फर पाइराईट के निक्षेप	Deposits of Sulpher Pyrites in Kerala 60
4295.	नए इस्पात संयंत्रों के लिये परामर्श-दात्री फर्मों की नियुक्ति	Appointment of Consultancy Firms for the New Steel Plants 61
4296.	बैज और पेड्रो किनारों पर समुद्र तल का चार्ट और मान-चित्र बनाया जाना	Charting and Mapping of Sea Bed in Wadge Bank and Pedro Bank 61
4297.	मनीपुर में गोदामों का निर्माण	Construction of Godowns in Manipur 62
4298.	मनीपुर में धान को अधिक उपज देने वाली नस्ल का प्रयोग	Experiments in High Yielding variety of Paddy in Manipur 63
4299.	मनीपुर के जिला मुख्यालय में रोजगार दफ्तरों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Employment Exchange in District Headquarters of Manipur 63
4300.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये नारवेजियन रेडक्रास से प्राप्त मछली	Fish recieved from Norwegian Red Cross for Bangla Desh Rufugees 63
4301.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा कपास का उत्पादन बढ़ाने के सम्बंध में तैयार की गई योजना	Scheme for break throgh in Cotton Production as evolved by Indian Agriculture Research Institute 64
4302.	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये खाद्य सामग्री की सप्लाई लेने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अधिकार दिया जाना	Authorisation by F. A. O. to obtain Food Supplies for Refugees of East Bengal 65
4303.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के श्रमिकों को महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना	Implementation of D. A. Linking of workers of H.E.C. Ranchi 65

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4304.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रबंधकों द्वारा बस्ती रखरखाव निधि का उपयोग किया जाना	Utilization of Township maintenance Fund by Management of H.E.C. Ranchi	66
4305.	त्रिपुरा में पंजीकृत श्रम संघ	Registered Labour Unions in Tripura	66
4306.	झांसी जिले में तांबे के निक्षेप	Coppet Deposits in Jhansi Disrict	67
4307.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत का अध्ययन	Study of cost of production of sugar cane by Rajendra Agriculture University, Bihar	67
4308	नहरों तथा नदियों द्वारा न सींचे जाने वाले क्षेत्रों में सिंचाई हेतु कुएं खोदने के लिये सर्वेक्षण करना	Survay for sinking of wells for Erigation in areas not irrigated by Canals and Rivers	68
4309.	श्रम मंत्रालय में कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Staff in Labour Ministry	68
4310.	इस्पात और खान मंत्रालय के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना	Confirmation of Employees of Ministry of Steel and Mines	68
4311.	अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये पादप प्रजनन	Plant breeders to raise output Cercals	69
4312.	नई दिल्ली को व्यापार कर्मचारी ऐसोसिएशन के लाभ के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन	Amendment of Minimum Wages Act to the benefit of Trade Employees Association of New Delhi	69
4313.	शरणार्थियों का मेघालय से वापिस पश्चिम बंगाल को जाना	Return of Refugees from Meghalaya to West Bengal	70
4314.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राज्यों में शिविरों की स्थापना	Camps set up for Bangla Desh refugees in States	70
4315.	खेतड़ी तांबा परियोजना में गड़ाई तथा डिजाइन का कार्य ठेकेदारों को सौंपना	Assignment of Fabrication and Designing work to contractors at Khetri Copper Project	71
4316.	खेतड़ी तांबा परियोजना में खनन विकास तथा कूप (शेफ्ट) खोदने का काम गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंपा जाना	Assignment of Mining Development and Shaft Sining works to Private Contractors at Khetri Copper Project	71
4317.	1971 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar during 1971	72
4318.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह	Holiday Homes for Workers in Public Sector Undereakings	72

ता. प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4319.	सुपर फास्फेट के मूल्य में वृद्धि — Increase in Price of Super-Phosphate	73
4320.	राजस्थान में इस्पात का वितरण — Distribution of Steel in Rajasthan	73
4321.	देश में कृषि विश्वविद्यालय — Agricultural Universities in the Country	73
4322.	बेकार मछली पकड़ने को रोकने हेतु उपाय — Steps to Check Wasteful Fishing	74
4323.	समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गई नौकाओं को मछलियों के झुण्ड तूफान आदि के बारे में सूचना भेजने की व्यवस्था — Arrangement for Despatch of Information about Fish Schools, Tempest etc. to Fishing Vessels out in the Sea	75
4324.	समुद्री घास-पात को उपयोग में लाना — Exploitation of Sea-Weeds	76
4325.	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम — Crash programme for Rural Employment in West Bengal	77
4326.	गेहूँ के व्यापार का राष्ट्रीयकरण — Nationalisation of Wheat Trade	77
4327.	चीनी की खपत और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में चीनी मिलें — Consumption of Sugar and Sugar Mills in Public Private Sectors	78
4328.	दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता — House Rent Allowance for E.P F.O. Employees at Delhi	80
4329.	पश्चिम बंगाल के भूमि की उच्चचम सीमा (संशोधन) अधिनियम का अन्य राज्यों के लिये आदर्श कानून होना — Land Ceiling (Amendment) Act of West Bengal as Model Law for other States	80
4330.	रागी उत्पादन — Ragi Cultivation	81
4331.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पटना के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन और कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण — Construction of Office Building and Staff Quarters for Regional Office of Employees Provident Fund Organisation Patna	81
4332.	दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये भवनों का निर्माण — Construction of Buildings for Regional and Central Offices of E.P.F.O. at Delhi	82
4333.	गुजरात में खनिजों का सर्वेक्षण — Survey of Minerals in Gujarat	82
4334.	राज्यों में ट्रैक्टर प्रशिक्षण के केन्द्र — Tractor Training Centres in States	83
4335.	तमिलनाडु में लौह अयस्क के निक्षेप — Iron ore deposits in Tamil Nadu	83

ता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4336. तमिलनाडु में स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान खनिजों के निक्षेप	Deposits of Gold and other rich minerals in Tamil Nadu	84
4337. राज्यों में बारानी भूमि अनुसन्धान हेतु कनाडा की ओर से सहायता	Canadian Aid for Dry land research in States	84
4338. पशुधन को हरित क्रान्ति के अन्तर्गत लाना	Extension of Green Revolution to live stock	85
4339. राज्यों में नमक तथा मृत्तिका उद्योगों में वेतन-ढांचे	Pay structures in salt and Ceramic industries in States	86
4340. छोटे किसानों सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये अखिल भारतीय ग्रामीण पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें	Recommendations of All India Rural Credit Review Committee on projects for small farmers	86
4341. बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का फिर से अनुमान लगाया जाना	Fresh assessment of in flux of refugees from Bangla Desh	87
4342. सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat from Saharanpur, Uttar Pradesh	87
4343. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of bonus to employees of Public Undertakings	88
4344. गोआ की लौह अयस्क खानों सम्बंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Wage Board on Iron ore Mines, Goa	89
4345. चतुर्थ योजना केरल में धान की खेती के लिये धन का नियतन	Allocation for Paddy cultivation in Kerala during Fourth Plan	89
4346. केरल में भूमि विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by Land Development Banks in Kerala	89
4347. सहकारी समितियों को केन्द्रीय विषय बनाने सम्बन्धी विधान	Legislation for Cooperative Societies as Central Subject	90
4348. कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर रूस के साथ समझौता	Agreement with USSR on Scientific and Technical Cooperation in Agricuiture	91
4349. कच्छ में बौकसाईड और लिगनाईट के निक्षेप	Deposits of Bauxite and Lignite in Kutch	91
4350. त्रिपुरा के अभावग्रस्त जनजातियों के क्षेत्रों में सहायता कार्य	Relief Work for Scarcity Tribal Belts of Tripura	91
4351. भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्यालय का स्थान	Location of Head Office of Food Corporation of India	92

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	92—94
अखबारी कागज के आयात में पोत परिवहन कम्पनियों द्वारा किये जा रहे कथित अनाचार और अनियमितताए	Reported malpractices and irregularities by Shipping Companies in import of newsprint	92
श्री दण्डवते	Shri Dandvate	92
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	94
पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में	Re. Law and Order Situation in West Bengal	95
दिल्ली में खराब डबल रोटी की सप्लाई के बारे में	Re. Supply of Defective Bread in Delhi	95
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	95
अनुदानों की मांगे, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	96—127
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	100
श्रीमती नंदिनी शतपथी	Shrimati Nandini Satpathy	
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	100
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	100
श्री निबांलकर	Shri Nimbalkar	103
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	106
श्री बी० बी० नायक	Shri B. V. Naik	109
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	110
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder Jit Malhotra	112
श्री बृजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah	113
श्री राजा राम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri	114
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	115
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	117
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	118
श्री चंदूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	119
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	120
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	121
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	123
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	124
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shakarrao Savant	125
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	126
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	127
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	127

मैसूर बजट, 1971-72 — Mysore Budget, 1971-72

गुजरात बजट, 1971-72 — Gujarat Budget, 1971-72

पश्चिम बंगाल बजट, 1971-72 — West Bengal Budget, 1971-72

दिल्ली स्थिति गणेश फ्लोर मिल्स के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा — Half-An-Hour Discussion Re. Lay-Off of Workers of Ganesh Flour Mills, Delhi

श्री शशि भूषण — Shri Shashi Bhushan

श्री बालगोविन्द वर्मा — Shri Balgovind Verma

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 8 जुलाई, 1971/17 आषाढ़, 1893 (शक)
Thursday, July 8, 1971/Asadha 17, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे सम्वेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए केन्द्र द्वारा खाद्यानों की सप्लाई

***991 श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगला देश से आये निष्क्राँत व्यक्तियों के राहत कार्य के लिए केन्द्रीय भण्डार से कितना चावल और गेहूँ सप्लाई किया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई माँग पूर्ण रूपेण पूरी कर दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बन्सीगोबिन्द वर्मा) (क) और (ख) : आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : आश्चर्य की बात है कि यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार किस प्रकार चल रही है । शरणार्थियों के लिए खाने की व्यवस्था करनी है । कुछ सामग्री भेजी गई है । क्या हम जान सकते हैं कि कितनी सामग्री भेजी गई है ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह जानकारी खाद्य निगम अर्थात खाद्य मन्त्रालय के पास है । अनेकों स्थानों पर हमारे डिपो हैं । अतः हमें सभी डिपो तथा उपडिपो से सूचना एकत्र करनी होती है । फिर भी जो कुछ जानकारी मेरे पास है, यदि आपको इसमें रुचि है तो मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूँ ।

पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार 1 नवम्बर 1970 से आरम्भ होने वाली फसल के वर्ष के लिए चावल की कुल आवश्यकता इस प्रकार है। 5,25,000 मी. टन सामान्य उपयोग के लिए तथा 3,00,000 मी टन शरणार्थियों के लिए, इस प्रकार कुल 8,25,000 मी. टन चावल की आवश्यकता है। अब तक 8,07,000 मी. टन का नियतन किया गया है। परन्तु मैं बता चुका हूँ ये आंकड़े आज तक के नहीं हैं।

26 जून 1971 तक पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ शरणार्थियों के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपोज से 47233 मी. टन चावल भेजा गया था। गेहूँ सदैव की तरह मिलों को तथा उचित दर दुकानों को भेजा जाता है।

वर्ष 1971 के लिए जहां तक आसाम मेघालय और त्रिपुरा की केन्द्रीय भण्डार से आवश्यकता का सम्बन्ध है आसाम सरकार के अनुमान के अनुसार 75,000 मी. टन से कुछ अधिक हैं। अब तक आसाम सरकार को 1000 टन बास्मती चावल के अतिरिक्त 2,7000 मी. टन चावल आबंटित किया गया है। मेघालय के विषय में भी मेरे पास जानकारी है.....

अध्यक्ष महोदय : यह पटल पर रखी जा सकती है।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैं बता चुका हूं हम यह जानकारी विभिन्न डिपोज से एकत्र करेंगे। और तत्पश्चात यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : मूल प्रश्न में जो जानकारी मांगी गयी है उसके लिए यह उत्तर दिया गया है यह उपलब्ध नहीं है। परन्तु एक अनुपूरक के उत्तर में काफी जानकारी दे दी गयी है। दोनों उत्तरों में किस प्रकार सामजस्य स्थापित किया जा सकता हैं ? आप कृपया सरकार को आदेश दें कि वे पूरी जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कुछ कहने जा रहा था।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पूरी जानकारी खाद्य मन्त्रालय के पास उपलब्ध है। इसे एकत्र किया जायेगा। इस समय मैं आज तक के सही आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं इन्हें सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी स्थिति है तो थोड़ी बहुत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में अतिरिक्त खाद्य सामग्री जिसे पश्चिम बंगाल में भेजा जा सकता है के विषय में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया है और क्या सरकार शरणार्थियों के लिए खाद्यान्नों का आयात करने का विचार कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस समय खाद्यान्नों के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम अपने भण्डारों से खाद्यान्न निकाल रहे हैं। राज्य सरकारों से, राज्य तथा शरणार्थियों की आवश्यकताओं के विषय में प्रतिदिन बात चीत होती रहती है। खाद्य निगम को आदेश दे दिये गए हैं तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गयी हैं जो भी आवश्यकता होगी खाद्य निगम उसका प्रबन्ध करेगा।

दिल्ली में गेहूँ का मूल्य

***992. श्री नीरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि जिस गेहूँ का वसूली मूल्य सरकार ने 70रु०

प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, वही गेहूं दिल्ली में खुदरा बाजार में 98 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है कि दलाल मूल्यों में वृद्धि न कर पायें ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वे ठीक नहीं हैं। ठीक स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश भर में देशी लाल किस्म की गेहूं के अलावा गेहूं की अन्य सभी किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल है। अम्बर रंग की देशी गेहूँ सहित सभी आयातित और देशी किस्मों का सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल है। दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से बेची जाने वाली गेहूँ का खुदरा मूल्य 81 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूँ के खुले बाजार के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। खुले बाजार के मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं का पर्याप्त वितरण कर नियंत्रण रखा जाता है। चालू विपणन मौसम (अप्रैल-जून, 1971) के दौरान खुले बाजार में दड़ा गेहूं के मूल्य 80.00 और 90.00 रुपये प्रति क्विंटल और फार्म गेहूँ के 90.00 और 100.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे हैं। इन दोनों किस्मों के गेहूँ के मूल्य पिछले मौसम की उसी अवधि में क्रमशः 85.00 और 107.00 और 100.00 और 120.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे थे।

Shri Narendra Singh Bist : It has been said in the statement that "there is no statutory control over open market prices of wheat." May I know whether government would impose statutory control to regulate the open market prices and it so, by what time and it not, the reasons there for ?

Shri Sher Singh : It does not seen to be necessary at this time. We have got enough stocks to ragulate the prices which will be released when needed.

Shri Narendra Singh Bist : The government have said that they have gotfair price shops to control the prices. I would like to know their member in Delhi and New Delhi and how many out of them are functioning at present.

Shri Sher Singh : There are 1663 fair prices shops at present and it is time that very few people are purchasing food grains from them. Last year the purchase during one month was to the extent of 15,000 tonnes against 3,000 tonnes at present.

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has said that the open market pricc of wheat Rs. 90 to 100 per quintal. May I know the rate fair price shops ?

Shri Sher Singh : The price of Rs. 90 to 100 per quintal stated by me pertains to farm wheat. Rs. 80 to 90 is the price of mixed (Dara) wheat and people are purchasing at this rate. The price of wheat available at fair price shops is Rs. 81/-per quintal.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या सरकार ने खुले बाजार में समय-समय पर कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की है, और यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री शेरसिंह : बाजार की कीमतों के विषय में हमें दिल्ली प्रशासन से समय-समय पर सूचना मिलती रहती है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : यह तो कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री शेरसिंह : जब कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कीमतों में असाधारण वृद्धि हो गयी है तो हम उचित दर दुकानों पर अधिक खाद्यान्न भेज देते हैं। जो लोग खरीदना चाहें 81/—रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मेरा प्रश्न उत्तर से बिलकुल भिन्न है। यहां खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखे कि देश में खाद्यान्नों की कीमतें असाधारण रूप से न घटें बढ़े। खुले बाजार में समय समय पर कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सरकार ने कोई स्थायी व्यवस्था की है, यदि की है, तो वह क्या है ?

श्री शेरसिंह : हमारे यहाँ विपणन विभाग है, विपणन निरीक्षक हैं। ये निरीक्षक कीमतों के उतार चढ़ाव पर ध्यान रखते हैं और हमें उनसे सूचना मिलती है।

श्री भागवत झा आजाद : इस विवरण में प्रश्न के (क) भाग का सही उत्तर नहीं है। जहाँ तक हमें पता है कीमते, विशेषतया खाद्यान्नों की, थोक तथा फुटकर दोनों प्रकार की ही बढ़ रही हैं। आज सवेरे के समाचार पत्रों में भी ऐसी सूचना देखी गयी है तथा हमारे अपने अनुभव के अनुसार भी यही स्थिति है। किन-किन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है और क्यों ? क्या दो प्रकार की कीमतें प्रचलित हैं, कुछ लोगो के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरी, क्योंकि हमारी जानकारी में तो कीमतें कम नहीं हो रही हैं अपितु बढ़ रही हैं। यह क्या मामला है ?

श्री शेरसिंह : बाजार में कई प्रकार का गेहूं उपलब्ध हैं एक फार्म का गेहूं है और दूसरा फार्म का विशेष गेहूं भी है। फार्म के विशेष गेहूं की कीमतें.....

श्री इन्द्रजीतगुप्त : फार्म का कोई विशेष गेहूँ नहीं है। आपको पता ही नहीं कि बाजार में किस प्रकार का गेहूं है।

श्री भागवत झा आजाद : एक ही प्रकार के गेहूं की दो अलग-अलग कीमतें हैं।

श्री शेरसिंह : ऐसा कैसे हो सकता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विभिन्न प्रकार के गेहूं की कीमतें बतायी हैं। सामान्य किस्मों के नाम प्रचलित नहीं है।

श्री शेरसिंह : हम सामान्यतः दिल्ली की उचित दर दुकानों को ऐम्बर वर्ण का कल्याण सप्लाई कर रहे हैं। इस किस्म का दाम 81 रुपये प्रति क्विंटल है। इसे जितना लोग चाहें ले सकते हैं। जितनी मांग हो हम सप्लाई कर सकते हैं। कठिनाई यह है कि जनता इसे खरीद नहीं रही है। गत वर्ष हमने एक महीने में 15,000 टन की सप्लाई की। इस वर्ष 3,000 टन गेहूँ उठता है। गेहूं की कोई कमी नहीं है। जो सस्ता गेहूं चाहते हैं उन्हें 81/—रुपये प्रति क्विंटल में मिल सकता है। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The wheat available at fair price shops is not purchased by the consumers for the simple reason that the stuff is not good. The flour is also available atf.ir price shops. Flour mills purchase the lowest quality of wheat and prepare flour from this. Do you intend to arrange good quality of flour at fair price shops···

Mr. Speaker : The question is regarding the prices of wheat. This has got nothing to do with the quality of flour.

Shri Hukam Chand Kachwai : The government has fixed procurement price at Rs 75/—per quintal. It is seen that a small quantity is purchased at this price. I make my household purchases myself. I have found that the wheat is available in the market at the price of Rs 120/—125/—and Rs 130/- per quintal the statement of the minister is not correct what steps government for propose to take check this price rise ?

Mr. Speakar : Some time, you go with him for marketing.

श्री नटवर लाल पटेल : क्या यह सच है कि गत वर्ष की कीमत की तुलना में इस वर्ष खुले बाजार में इस समय गेहूँ की कीमत बहुत ही कम है ।

श्री शेरसिह : गत वर्ष की तुलना में कीमत बहुत कम है ।

विभाजन के पश्चात पश्चिमी बंगाल में आकर बसे विस्थापितों का पुनर्वास

*993. **श्री वी० के० दास चौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत के विभाजन के पश्चात पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बसे विस्थापितों को सरकार द्वारा अधिकांश मामलों में कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं दी गयी है अथवा कोई भी सहायता नहीं दी गई है तथा वे लोग बड़ी ही दयनीय दशा में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार विस्थापितों की सहायता करने के उद्देश्य से पुनर्वास उद्योग निगम के अधीन उद्योग अ रम्भ करने का है;

(ग) क्या सरकार बेहतर सड़क-संचार व्यवस्था, सफाई, जल सप्लाई तथा पेय जल की सुविधाओं से पूर्ण शरणार्थी-बस्तियां बसाने के लिए सहायता देने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुराने तथा नये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन देने का है, और यदि हां तो किस रूप में ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिंद वर्मा) (क) से (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

31—3—1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या 1960-61 में लगभग पूरी हल हो चुकी थी, उस समय कुछ अवशिष्ट समस्या रह गयी थी जिसके लिये पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से 1961-62 में 21.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

2. चूंकि पश्चिम बंगाल में विस्थापितों की संख्या चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी अत: 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एक नीति विषयक निर्णय किया गया कि उन नए प्रवासियों को, (जो 1.1. 1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये हों) जिन्होंने राहत शिविरों में प्रवेश चाहा हो और जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए हो उन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर पुनर्वास सहायता दी जाय ।

3. भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल में जनवरी 1967 में पुनर्वास कार्य की एक समीक्षा समिति नियुक्ति की है जिसका कार्य :—

(क) अवशिष्ट समस्या के काम का मूल्यांकन तथा निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश करना है :—

(i) बस्तियों का विकास

(ii) स्थायी दायित्व गृहों के परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि अर्जन ;

(iii) अवशिष्ट समस्या के निर्माण के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिए पुनर्वास ऋण; और

(iv) तकनीकी प्रशिक्षण तथा औद्योगिक योजनायें

और (ख) नये प्रवासियों के कारण उत्पन्न समस्या के स्वरूप और विस्तार का पता लगाना और उनकी तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार शैक्षिक तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए आवश्यक सीमा तक वित्तीय सहायता की सिफारिश करना।

4. अब तक समिति 7 रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुकी है, भारत सरकार ने 4 रिपोर्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सिफारिशों को लगभग पूर्णतया स्वीकार कर लिया है और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 545.20 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी है। शेष 3 रिपोर्टें विचाराधीन हैं।

5. पुनर्वास उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार की सम्भावनाओं के कुछ उपाय उपलब्ध कराता है :—

(i) अपनी निजी औद्योगिक यूनिटों में

(ii) निगम से ऋण की सहायता लेकर स्थापित गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटों में ; और

(iii) निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक बस्तियों में स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटों में

इसमें रोजगार पाये विस्थापित व्यक्तियों की वर्तमान संख्या 5,700 है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मन्त्री महोदय ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसको देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों में से पश्चिम बंगाल में बसाये गये उन विस्थापितों की संख्या क्या है जो तम्बुओं में रहते हैं तथा स्थायी दायित्व की श्रेणी वाले विस्थापितों की संख्या क्या है तथा उनमें से कितने विस्थापितों को समुचित रोजगार दे दिया गया है।

श्री बालगोविन्द सिंह वर्मा : पूर्वी पाकिस्तान से ये निष्क्रांत व्यक्ति देश के विभाजन के समय ही नही अपितु अन्य अवसरों पर भी आये। उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक श्रेणी वह है जो वर्ष 1947 से 31 मार्च, 1958 तक यहां आये, ऐसे लोगों की संख्या 41,17,000 है। इनमें से पश्चिम बंगाल में 31 लाख से अधिक व्यक्ति पुनर्वासित हुये हैं। इनमें से 21.75 लाख व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में पुनर्वासित कर दिया गया है। उन्हें सहायता दी गयी। शेष 8.57 लाख व्यक्तियों ने या तो पुनर्वास के लिए सहायता नहीं मांगी अथवा वे तम्बुओं में रहते रहे और पुनर्वास की प्रतीक्षा में रहे, जैसा कि नीचे बताया गया है। (एक) ऐसे व्यक्तियों की संख्या 6.44 लाख है जिन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की; (दो) गृहों तथा तम्बुओं में रहने वालों की संख्या 1.28 लाख है; और (तीन) जिन्हें पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जानी है ऐसे लोगों की संख्या 0.58 लाख है। ये आंकड़े हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल में आये विस्थापितों पर 166 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है।

श्री बी० के० दास चौधरी : पश्चिम बंगाल सरकार से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों का विरोध करता हूँ। मुझे पता है कि पुनर्वास मन्त्रालय को भी ऐसी सूचना भेजी गयी है। क्या यह सच है कि 21 लाख विस्थापितों में से जिन्हें पुनर्वास की सहायता नहीं मिली है वे सभी ऐसे विस्थापित शिविरों या बस्तियों में रह रहे हैं जो उन्होंने

अपने प्रयत्नों से तैयार की हैं ? क्या यह भी सच है कि 1,100 ऐसी कालोनियाँ गैर-सरकारी रूप से बसायी गयी हैं और उन्हें मान्यता देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार दिसम्बर 1950 के पश्चात बनाये गये कैम्पों को आसानी से मान्यता नहीं दी जा सकती ? क्या सरकार इन कैम्पों को मान्यता देगी ?

श्री बाल गोबिन्द वर्मा : माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी मैं समझता हूं सही नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है उनमें से अधिकतर लोगों को बसाया जा चुका है और जो बचे है उनके बसाने का काम चल रहा है। जैसा कि वे पहले से ही जानते हैं एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने सात प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं जिनमें से चार को स्वीकृत कर लिया गया है। 545.20 लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गई हैं। योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं स्वीकृत मुख्य योजनाओं के नाम बता सकता हूं। सभी योजनाओं के कार्य में प्रगति हो रही है तथा हम यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : कालोनियों के नियमित किये जाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

श्री बाल गोबिन्द वर्मा : जितनी भी धन राशि पश्चिम बंगाल ने मांगी थी, वह हमने उन्हें दे दी है जिससे कि वे समुचित कार्रवाई कर सकें।

डा० रानेन सेन : वक्तव्य में यह बताया गया हैं कि कुछ सीमा तक रोजगार देने के लिए पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना की गई है। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पुनर्वास उद्योग निगम के अधिकतर एकक बन्द किये जा रहे हैं या बन्द हो गए हैं जैसे अशोक नगर, हावड़ा और रूपनरायणपुर में ? यदि हों, तो क्या उन एककों में पुनः चालू करने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि बेरोज़गारी बड़ाने के बजाय अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह सही है कि कुछ उद्योगों के सम्बन्ध हैं कुछ गड़बड़ी है। इसका कारण यह है कि निगम द्वारा निर्मित सामान बाजार में उपलब्ध सामान से मंहगा है इसलिए बहुत सा सामान इकट्ठा हो गया हैं, सामान को बेचा जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप निगम धन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इसी कारण दिक्कत पैदा हुई पर सरकार यह पता लगा रही है कि इस सामान को किस प्रकार बेचा जाये और एककों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न कर रही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या समस्त पुनर्वास कार्यक्रम के लिए कोई विशेष कार्यक्रम हैं तथा क्या पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को दी जा रही सुविधायें दिल्ली और पंजाब के शरणार्थियों के प्रति परिवार को दी गई सुविधाओं के वास्तव में बराबर है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य जानते है कि शरणार्थी समस्या को जांच समिति के पास भेजा गया है। उसकी प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और अभी-अभी जैसा कि मेरे साथी ने कहा चार रिपोर्टें लागू कर दी गयी हैं तथा तीन विचाराधीन है। यह सारा मामला जांच समिति के जिम्मे छोड़ दिया गया है।

श्री समर मुखर्जी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि पश्चिम बंगाल की दो संयुक्त मोर्चा सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के इस दावे को चुनौती दी हैं कि पुनर्वास समस्या एक बड़ी सीमा तक हल कर ली गई है। उनका कहना है कि वह हल नहीं हुई है, हल होनी शेष है। इसी कारण वे केन्द्रीय सरकार की समस्त नीति का पुनर्विलोकन चाहते थे।

श्री आर० के० खाडिलकर : संयुक्त मोर्चा सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की अनेक बातों को

चुनौती दो हैं पर जहां तक शरणार्थियों की समस्या का सवाल है वह पर्यवेक्षण समिति के सुपुर्द है। जहां तक पुराने शरणार्थियों का प्रश्न है यह एक वची-खुची समस्या है।

श्री जगन्नाथ राव : विवरण के अनुसार पश्चिम बंगाल में 5,070 लोगों को काम पर लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में ऐसे कुल कितने शरणार्थी हैं जो औद्योगिक एककों में काम नहीं कर रहे हैं और क्या वे अभी तक बिना मकानों के हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : पुनर्वास आयोग ने अपने एककों में 5,090 लोगों को काम दिया है। उन्हें अब महाराष्ट्र और आंध्र आदि में भेज दिया गया है। मैं मानता हूं कि उस क्षेत्र से तादात्म्य स्थापित करने में उन्हें कुछ समय लगेगा, ऐसा हमारे विभाग का अनुभव है। वे इन स्थानों के आदी होने जा रहे हैं और खेती अथवा तत्सम्बन्धी उद्योगों या लघु उद्योगों में अपने आप को लगा रहे है।

श्री समर गुह : क्या लगभग 95 प्रतिशत सदस्य न तो पिछली लोक सभा के सदस्य है और न ही वर्तमान लोक सभा के। क्या सरकार पर्यवेक्षण समिति का पुनर्गठन करने का विचार करेगी ?

दूसरे क्या कलकत्ता के चारों ओर बसी ये बस्तियां कलकत्ता में हिंसा और उग्र गतिविधियों का जन्म स्थल हैं। उनमें अधिकतर मामलों में अर्पण पत्र नहीं दिये गये हैं तथा उनके विकास के कार्यक्रम की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पहला सुझाव तो यह है कि पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन किया जाये। उस पर कुछ विचार किया जायेगा क्योंकि कुछ सदस्य जो इस सभा के या दूसरी सभा के सदस्य नहीं है.....

श्री समर गुह : उसके 95 प्रतिशत न तो इस सभा के और न दूसरी सभा के सदस्य हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक सुझाव है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति है।

Centra l Assistance to Bihar for Agricultural Development.

***994. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have sought assistance from the Central Government for development of agriculture;

(b) if so, the nature there of; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) Yes.

(b) & (c) Due to extensive damage caused to Rabi crops on account of untimely and excessive rains, the Bihar Government asked for a short term loan of Rs. 1.00 crore for procurement of rabi seeds and for advancing credit facilities to the farmers of the affected areas. This has been sanctioned.

Shri Ramavatar Shastri : Damage caused by untimely rains in Bihar was discussed in this House on 1st July. A dispute has given over this between Bihar and Central Government According to Central Government the loss is to the time of 20 to 35 per cent but Revenue Minister of Bihar has put the loss at 80 to 90 per cent. What are the details of this damage supplied by the Bihar Government on the basis of which the Central Government has Committed Rs. 1 crore and ?

Shri Sher Singh : I have got no definit information from the Bihar Government.

Shri Ramavatar Shastri : Bihar Government claims that the loss is colosal. They must have forwarded some details. If they have not sent any information on what basis have the Central Government given the money ?

May I know whether Bihar Government have asked for assistance for tubewells apart from seeds and loan and if so, the reaction of the Central Government here is ?

Shri Sher Singh : They have not made any special demand for tubewells. But last year Agriculture Minister of Bihar sent a letter, in which be stated about the problems of agriculture in Bihar.

Last year Bihar Government asked additional financial grant for these schemes : Rural Communications and Marketing Complex, soil Conservation, fisheries etc. They asked for another pilot project for Small Farmers' Development Agencies. They have sent a scheme for marginal farmers and a agricultural labourers. They have asked for establishing a Central Seed Farm in Bihar and have sent a scheme of Plant Protaction. These are major demands of Bihar.

Shri A.P. Sharma : Is aid given to Bihar meant meeting for the loss caused by drought or for the development of agriculture ?...(Interruption)

Shri Sher Singh No, not for dronght. It is for the seeds of rabi crop.

Shri Shankar Dayal Singh : May I know whether Bihar Government have writteen to them that the report of study team is not correct and as such another team should be sent for estimating the loss and if so whether Government is sending another teams ?

Mr. Speaker : This question is not regarding study teams.

Shri Ramdea Singh : May I know whether the loans given through Co-operative Societies are not being recovered in Bihar and as such the societies and Co-operative Banks are not in a position to have loan from the Reserve Bank and whether Bihar Government have asked money from the Central Government to Contribute to the shave Capital ?... (Interruption). ...It is related to the main question.

Mr. Speaker : It does not arise out of this question.

Shri Rajendra Prasad Yadav : Hon, Minister just now stated that no information has been received from Bihar Government so far, May 1 know whether Government will take steps to have the details of loss ?

Shri Sher Singh : A study team will be sent to assess the question of loss. Loss has been there and that is why on account of Rs. one crore has been given.

Shri Mohammad Jamilurrahman : May I know whether any amount has been kept apart for water logging ?

Shri Sher Singh : Every year block loan and block grant is given and it is upto the state Government to devise ways of its use.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में औद्योगिक सम्बन्ध

*** 996. श्री एस० एम० बैनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई संयुक्त सलाहकार व्यवस्था स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित की गई श्रमिक समिति के अलावा मान्यता-प्राप्त मजदूर संघ के भाग न लेने के कारण और कोई संयुक्त सलाहकार समिति कार्य नहीं कर रही है।

श्री एस० एम०बनर्जी : यह बड़े खेद की बात है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक संबन्धों में सुधार नहीं हुआ है। क्या विभिन्न कार्मिक संघों से हुए हाल ही के समझौते के बाद औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए नियामकों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त रूप से सलाह करने की प्रक्रिया अपनाने की मांग की थी, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया कारगर नहीं रही है क्या सरकार कोई संयुक्त रूप में सलाह करने की कोई प्रक्रिया अपनाएगी ?

श्री शाह नवाज खाँ : प्रबन्धक कर्मचारियों के साथ सहयोग करने को बड़े उत्सुक हैं और हम विभिन्न समितियों का गठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर कठिनाई यह है कि सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त यूनियन ने हमारे निवेदन का उत्तर नहीं दिया है। पर हम अभी प्रयत्नशील हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि प्रबन्धक मण्डल में दो सदस्यों को रखने के साथ-साथ प्रबन्धक विभिन्न समितियों में कर्मचारियों का सहयोग लेने को उत्सुक हैं। पर आप उन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करेंगे ? क्या कार्मिक संघों में मतैक्य न होने की दशा में गुप्त मतदान किया जायेगा जिससे कि सही प्रतिनिधि चुने जा सकें।

श्री शाह नवाज खाँ : इस समय यह बताना समय के बहुत पहले होगा कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम हैं कि एक संयुक्त वार्ता समिति है जिसने कर्मचारियों की मंजूरी के लिए वार्ता की थी और बड़ी अच्छी तरह की थी। हमने उस समिति को कार्य करते रहने और प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया सुझाने के लिए कहा है।

Shri R. S. Pandey : May I know steps being taken by the Government to steps up the production of Durgapur Steel Plant, in which government have already dumped Rs, 500 Crores ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दामोदर पांडे : मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकतर कार्मिक संघों ने सम्बन्ध सुधारने के सम्बन्ध में की गई अपील पर ध्यान नहीं दिया हैं। क्या ध्यान न देने के राजनीतिक कारण है ?

श्री शाह नवाज खाँ : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्यकरण के सम्बन्ध में ठोस सुझाव देते हुए बहुत समय पहले एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पर विचार किया है, विशेष कर औद्योगिक सुरक्षा बल, जो इस्पात संयंत्र में अत्यधिक गड़बड़ी पैदा कर रहा है, की अनावश्यक दखलन्दाजी के सम्बन्ध में ?

श्री शाह नवाज खाँ : मान्यता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों द्वारा दिए गए अभी सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। औद्योगिक सुरक्षा बल के कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है पर माननीय सदस्य वहां विद्यमान कार्यकरण की स्थिति से अवगत हैं और इस सम्बन्ध में प्रबन्धक कुछ नहीं कर सकते।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : उसे वहां से हटा क्यों नहीं लिया जाता ?

मिट्टी परीक्षण के लिए चल-प्रयोगशालाएं

*** 997. श्री ए० के० गोपालन :**
श्रीमती भार्गव तनकप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार मिट्टी-परीक्षण के लिए चल प्रयोगशालाएं स्थापित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है तथा क्या सरकार का विचार योजना को 1971-72 में क्रियान्विति के लिए मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1968 में केन्द्रीय आयोजित योजना के रूप में चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला योजना आरम्भ की। योजना वर्ष 1971-72 में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारों को दी जाने वाली चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की 100% लागत भारत सरकार दे रही है। चलाने की लागत, जिसमें कार्मिकों, आवश्यक रसायनों, रीजेन्टस, प्रयोगशालाओं की मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय शामिल हैं, राज्य सरकारें वहन करेंगी।

श्री ए०के० गोपालन : क्या यह सच है कि 24 जून 1968 को केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि उसने मिट्टी परीक्षण के लिए चलती-फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित करने की एक योजना को, जो कि केन्द्र द्वारा प्रत्योजित है, अनुमानित कर लिया है और यह कि त्रिवेन्द्रम, एलेपी तथा पटाम्बी में ऐसी मिट्टी परीक्षण चलती फिरती प्रयोगशालाएं राज्य को आवंटित की जायेंगी, और यदि हाँ तो इस समय क्या स्थिति है ?

श्री शेरसिंह : अब तक हम केवल 10 राज्यों में ही ऐसी चल प्रयोगशालाएं स्थापित कर सके हैं और उन राज्यों के नाम हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, आँध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मैसूर, और आसाम तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए दो गाड़ियां लगभग तैयार हैं बाकी 11 गाड़ियां शीघ्र तैयार होंगी तथा उन्हें अन्य राज्यों को सप्लाई किया जाएगा।

श्री ए०के० गोपालन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या 1968 में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि उसने राज्य के तीन स्थानों में चलती फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दे दी है ?

श्री शेरसिंह : हमने योजना को स्वीकृति 1969 में दे दी थी और उसकी क्रियान्विति 1971-72 के दौरान की जाएगी। गाड़ियां तथा सामान तैयार करने में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किए गए कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण अनावश्यक अधिक समय लग गया किन्तु अब हमें यह गाड़ियां प्राप्त हो गई हैं और इन्हें हम उन राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं जहां कृषि कार्य अधिक हो रहा है। धीरे धीरे हम अन्य राज्यों को भी यह गाड़ियां सप्लाई करेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास 34 गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 हम सप्लाई कर चुके हैं दो लगभग तैयार हैं तथा 11 बनाई जा रही हैं और हमें आशा है कि 1971-72 के भीतर कुछ और गाड़ियां तैयार की जायेंगी तथा हम इन सभी 34 एककों को एक एक गाड़ी सप्लाई कर सकेंगे।

श्री ए०के० गोपालन : योजना के लिए सहायता किस रूप में दी जाएगी !

श्री शेरसिंह : गाड़ी तथा साज सामान पर शत प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक एकक के लिए यह लगभग 1.25 लाख के करीब बैठता है जिसे सरकार अपनी ओर से देगी। बाकी रख रखाव तथा परिचालन व्यय का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह लगभग 3000 रुपये प्रतिवर्ष होगा।

श्री बसुमतारी : जबाव के दौरान आसाम के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्या आसाम सरकार ने ऐसी एक परीक्षण वैन की माँग की है ।

श्री शेरसिंह : जी हां, हमने एक गाड़ी आसाम को सप्लाई की है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : बिहार में कुल कितने मिट्टी परीक्षण एकक है ?

श्री शेरसिंह : हमने बिहार को भी एक गाड़ी सप्लाई की है !

श्री लक्ष्मीनारायण.न : मिट्टी परीक्षण का उर्वरक की सप्लाई से काफी घनिष्ठ सम्बन्ध है क्या सरकार उर्वरक निगम तथा उर्वरक विक्रेताओं से मिट्टी परीक्षण के कार्य को अपने हाथ में लेने को कहेगी ताकि कृषकों को मिट्टी परीक्षण के उपरान्त उर्वरक की अनुकूल मात्रा सप्लाई की जा सके ।

श्री शेरसिंह : मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है और वह ही कृषकों को मिट्टी के अनुरूप उर्वरक के किस्म खरीदने के सम्बन्ध में राय देगें ।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने में प्रयुक्त मछुआ नौकाओं आदि के उत्पादन के लिए केरल को रूस से सहायता

*999. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने केरल में मछली उद्योग में सम्बर्धन करने के विचार से गहरे समुद्र से मछली पकड़ने में प्रयोग की जाने वाली मछुआ नौकाओं तथा अन्य उपकरणों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ कारखाने खोलने के लिए 1966 में बहुत सी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार को अब रूस से सहायता प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) वर्ष 1966 अथवा उसके पश्चात् केरल में नौका निर्माण यार्ड के लिये सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर गलत तथा भ्रामक है । राज्य सरकार ने सरकारी तौर पर कहा है कि सोवियत संघ द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था और रक्षा मंत्रालय ने उसका विरोध इस आधार पर किया था कि उसमें कुछ रक्षा सम्बन्धी समस्यायें निहित हैं। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि अब, जबकि सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच इस प्रकार के समझौते हो गए हैं, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया है क्योंकि अब इससे हमारी रक्षा को खतरा पहुँचने का कोई भय नहीं ।

श्री शेरसिंह : हमारे पास ऐसी कोई पेशकश नहीं आई । 1966 में मत्स्यपालन उद्योग के बारे में सोवियत संघ से एक समझौता हुआ था किन्तु वह एक सामान्य समझौता था उसका नौकाओं तथा अन्य उपकरणों के उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में एक समझौते का उल्लेख किया है मैंने प्रश्न में गत समझौते के विषय में कुछ नहीं पूछा । प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने केरल में मछली उद्योग में संवर्द्धन करने के विचार से गहरे समुद्र से मछली पकड़ने में प्रयोग की जाने वाली

मछुआ नौकाओं तथा अन्य उपकरणों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ कारखाने खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया था ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि मत्स्यपालन उद्योग के सम्बन्ध में 1966 में एक समझौता किया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने दो बार यह उत्तर दिया है कि उन्हें पत्तन बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्न नौकाओं तथा अन्य उपकरणों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ कारखाना खोलने के सम्बन्ध में है । वह असंगत उत्तर क्यों दे रहे है ।

श्री शेरसिंह : प्रश्न नौकाओं के निर्माण के सम्बन्ध में कारखाना खोलने के बारे में हैं और मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ केवल मछली उद्योग के सम्बन्ध में एक सामान्य समझौता हुआ था ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से सन्तुष्ट नहीं । वह स्वीकार कर चुके हैं कि सोवियत संघ द्वारा ऐसा प्रस्ताव किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मंत्री महोदय इसे स्वीकार नहीं करते ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : वह पत्तन के बारे में उत्तर दे रहे हैं और मैंने पत्तन के बारे में प्रश्न नहीं मैंने नौका निर्माण के लिए खोले जाने वाले कारखाने को दी जाने वाली सहायता के बारे में प्रश्न किया है और मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाल की खाल न निकालिए ।

श्री शेर सिंह : कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई पेशकश नहीं थी ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह सच है कि खरीदी गई कुछ देशी नोकाएं इसलिए बेकार पड़ी हैं कि उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता और साथ ही यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया है जब तक देशी नौकाएं खरीदी नहीं जाती तब तक बाहर से नौकाओं का आयात नहीं किया जाएगा । वक्तव्य के अनुसार नौकाओं का निर्माण स्थानीय दशाओं के अनुरूप बाद में किया जाएगा क्या सरकार का विचार तब तक प्रतिबन्ध हटाने का है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सोवियत संघ द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में है ।

श्री शेर सिंह : जब कभी प्रस्ताव किया जाएगा हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री वरके जार्ज : मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें सोवियत संघ द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली मत्स्य नौकाओं के उत्पादन के सम्बन्ध में कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे । सरकार को सोवियत संघ द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

श्री शेर सिंह : मैं बता चुका हूं कि कि सोवियत संघ द्वारा एक समझौता 1966 में किया गया था और वह एक सामान्य समझौता था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विषय को भी सम्मिलित किया गया है ?

श्री शेर सिंह : जी हां ।

राज्यों में कृषि सहकारी संघों की स्थापना

* 1002 **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में कृषि सहकारी संघों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : 1966-67 में राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे सहकारी खेती समितियों के राज्य तथा जिला स्तरीय परिसघ स्थापित करने के संबंध में विचार करें, ताकि सहकारी खेती समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा सके और सामान्यत: उनके कार्य में ताल-मेल बिठाया जा सके तथा उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। इस योजना, जो 1966-67 से 1968-69 तक सहकारी खेती की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का एक भाग थी, की प्रमुख विशेषताएं सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 627/71]

केन्द्रीय सरकार की सलाह के प्रत्युत्तर में थोड़े से राज्यों में राज्य और। अथवा जिला स्तरीय सहकारी खेती परिसंघ स्थापित किए गए हैं। अप्रैल, 1969 से सहकारी खेती कार्यक्रम पूर्ण रूप से राज्य क्षेत्र में हैं। इस विषय पर केन्द्र सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

श्री नवल किशोर सिंह : राज्य कृषि सहकारी संघ के गठन हेतु कम से कम कितने सदस्य होने आवश्यक है। उदाहरणार्थ जैसे जिला संघ के लिए यह संख्या 50 है।

दूसरे प्रायः सभी राज्यों के मुख्य सहकारी संगठनों के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन संगठनों के लिए कुछ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाने का है ताकि नए बने सहकारी संगठनों का कार्य अन्य शीर्ष संगठनों की अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से चल सके।

श्री जगन्ननाथ पहाड़िया : राज्य कृषि सहकारी संगठन के गठन हेतु कम से कम 250 सदस्य होने चाहिए। जिला संघ के लिए सदस्यो की संख्या 50 तथा राज्य संघ के लिए 250 निश्चित की गई है।

जहां तक मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है केन्द्र सरकार समय समय पर इन संगठनों को निदेश देती रही है। राज्य सरकार अब इन संगठनों के कार्यकरण की देख-भाल कर रही है और यह विषय राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

श्री नवल किशोर सिंह : सदन के समक्ष रखे गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का है तथा क्या इन संस्थाओं के उत्पादन को बाजार में बेचने तथा उन्हें प्रत्यक्ष रीति से धन देने का है ?

श्री जगन्ननाथ पहाड़िया : जी हाँ एक ऐसा प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने देश भर में ऐसे 500 कृषि सेवा केन्द्रों को खोलने की स्वीकृति दे दी है।

Shri Onkar Lal Beswa : May I know the number of farm Co-operative Federations constituted uptill now as also the number of those running and of those which proved a stop together with the reasons of their failure ? (interruptoins) Sir more than half of such co-oprative have failed because state governments have not provided them with adequate assistance therefore I wish to know the number of running farms.

Shri Jagannath Paharia : You are asking about distt, level or of state level.

Shri Onkar Lal Beswa : I am asking about state level.

Shri Jagannath Poharia : So far as the state level federations are concerned the farms have been constituted only in 3 states viz Gujrat, Mysore & Madhya Pradesh but Madhya Pradesh has shelved this matter for the present and other State Governments are still Considering this.

पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला खानों द्वारा खान विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया जाना

* **1003 श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार की कई कोयला खानों ने 1970-71 में और जनवरी, 1971 से मई, 1971 के दौरान खान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में उन कोयला खानों की कुल संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने खान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है; और

(ग) संबंधित कोयला खानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री समर मुखर्जी : कब तक यह सूचना प्राप्त होने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य ने कोयला खानों के नाम तथा उनकी कुल संख्या के बारे में पूछा है। खानों की संख्या सैकड़ों में है।

प्रश्न में एक गलती है 'खान विनियमन अधिनियम' जैसा कोई अधिनियम नहीं है। केवल 1952 का ही एक खान अधिनियम है। खान सुरक्षा निदेशालय के अधीन समय समय पर खानों की जाँच की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ जानकारी दे सकता हूं पर निश्चय ही वह सब खानों के बारे में नहीं होगी। यदि वह जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि 1969-70 के दौरान कुल कितनी बार खानों की जाँच की गई। मुख्य बात यह है कि कितने व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया गया इस सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :

1965	155 मुकद्दमे
1966	173 ,,
1967	238 ,,
1968	168 ,,
1969	259 ,,
1970	243 (आँकड़े अन्तिम)

श्री समर मुखर्जी : यह उल्लंघन किस प्रकार के होते हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : विनियमन के अधीन अनेक प्रकार से उल्लंघन किए जाते हैं। मैं फिलहाल बता नहीं सकता कि यह उल्लंघन किस प्रकार के होते हैं मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष पेश करूंगा क्योंकि विनियम काफी कठोर हैं।

बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए रोजगार

* 1004. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और बड़े शरणार्थी शिविरों के निर्माण, प्रबन्ध और विभिन्न विभागों के प्रशासन सम्बन्धी अनेक कार्यों के लिए वहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों की भर्ती करने के लिये हृष्ट पुष्ट शरणार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अब तक भर्ती किये गये शरणार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या शेष व्यक्तियों की भर्ती भारत के पूर्वी क्षेत्र के बेरोजगार शिक्षित युवकों में से की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी विदेशी राष्ट्रिक हैं और मानवता के आधार पर उन्हें काम चलाऊ राहत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसलिए उन्हें, निर्माण, प्रबन्ध और शिविरों के प्रशासन के लिए नियमित आधार पर भर्ती नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ को स्वैच्छिक। दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर उसी सीमा तक रखा जा रहा है जहां तक उनकी रुचि का कार्य उपलब्ध है।

(घ) शरणार्थी शिविरों के विभिन्न विभागों में स्थायी पदों की भर्ती भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों में से की जा रही है जो कि कार्य की अपेक्षाओं से सम्बन्धित आवश्यक योग्यताएं रखते हैं।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने व्यक्तियों को सवैच्छिक तौर पर भर्ती किया गया है। चूंकि वह अपने पुर्नवास का कार्य स्वयं संभाल सकते हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें से कितने लोगों को इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं प्रबन्ध करने का कार्य सौंपा गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहाँ तक शिविर के आन्तरिक प्रबन्ध का सम्बंध है यदि कोई सफाई तथा अन्य कार्यों को करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता है तो निश्चय ही ऐसी स्वैच्छिक सेवाओं का लाभ उठाया जाता है प्रश्न शिविरों के निर्माण प्रबन्ध और प्रशासन में रोजगार देने से सम्बन्धित है। केवल डाक्टर नर्सों तथा चिकित्सा कर्मचारियों को ही दैनिक आधार पर कुछ दिया जाता है। जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि यह शरणार्थी विदेशी राष्ट्रिक है और उन्हें मानवता के आधार पर काम चलाऊ राहतें दी जा रही हैं इसलिए उन्हें नियमित आधार पर भरती नहीं किया जा सकता।

श्री समर गुह : वहाँ हजारों की संख्या में स्वस्थ नवयुवक है क्या उन्हें स्वैच्छिक आधार पर रोजगार नहीं दिया जा सकता।

श्री आर० के० खाडिलकर : शिविरों का निर्माण दूर-दूर के स्थानों पर किया जाता है और जब शिविर तैयार हो जाता है तो शरणार्थियों को वहाँ स्थानान्तरित कर दिया जाता है अतः शिविर निर्माण के समय हम उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। जैसाकि मैंने पहले कहा कि चिकित्सा तथा उससे सम्बन्धित सेवाएं जहाँ कहीं भी उपलब्ध हैं उनसे तदर्थ लाभ उठाया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना तथा उसके लिये मछुआ-नावों की उपयुक्तता

*995. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना आरम्भ करने की कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ख) गहरे समुद्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिये किस प्रकार की मछुआ-नावों को उपयोगी समझा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार केरल तथा मैसूर ने गहन समुद्र मत्स्यकी सहित समुद्रीय मात्स्यकी के वाणिज्यिक उपयोग के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम स्थापित किये है। केन्द्रीय सरकार की एक गहन समुद्र मत्स्य हरण संस्था है जो कि मत्स्य हरण स्थलों तथा ज्ञात किये स्थलों में प्रयोगात्मक मत्स्य-हरण का पता लगाने के लिये समन्वेषी सर्वेक्षण का कार्य करती है। इस संस्था को सुदृढ़ करने के लिये 23 जलयान प्राप्त किये जा रहे है जोकि अधिकतर देशीय जहाज निर्माण यार्डों से प्राप्त किये जायेंगे। भारत नार्वे परियोजना, कोचीन ने भी कुछ जलयान गहन समुद्र संसाधनों का सर्वेक्षण करने में लगा दिये है।

गहन समुद्र मत्स्य-हरण पोतों के विभिन्न किस्म के डिजाइन उपलब्ध है। इनमें श्रिम्प जैसी तलुप्लावी किस्मों के लिये ट्रोलर, सेरडाइन्स तथा मैकरेल जैसी सतह पर तैरने वाली किस्मों के लिये पसिनैर्स, पौम्फरेट्स जैसी किस्मों के लिये गिल न्यूटर्स तथा टयूना के लिये लौंग लाइनर्स आदि सम्मिलित हैं। मत्स्य हरण की एक से अधिक तकनीकों के लिये भी जहाजों के डिजाइन तैयार किये जायेंगे। भारत में आजकल ट्रौलिंग पर ही मुख्यत: अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अन्य देशों में ट्रौलरों के विभिन्न प्रकार के डिजाइनों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से स्टर्न-ट्रौलरों तथा आउट-रिगर ट्रोलरों को उपयुक्त समझा जा रहा है। भारत में ही एक 57 फुटे-ट्रौलरों का डिजाइन विकसित किया गया है। सीमित आयात की योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक मत्स्य हरण के लिये लगभग 108 फुट तक की लम्बाई के बड़े ट्रौलरों की प्राप्ति की आशा है। ये ट्रौलर प्राटोल्टाइप की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे और इनके आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रयोग के लिये विशेष अनुकूल डिजाइनों का विकास किया जा सकता है।

जर्मन जनवादी गणतन्त्र सरकार के साथ आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की वापसी के लिये किए गये करार के क्षेत्र का विस्तार

*998. **श्री नरेन्द्रकुमार सोंधी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र सरकार से इस बारे में कोई बातचीत हुई है कि 21 फरवरी, 1971 को जर्मन जनवादी गणतन्त्र सप्लायर्स द्वारा आर०एस०-09 ट्रेक्टरों के सम्बध में हुए करार का क्षेत्र बढ़ा दिया जाये तथा उसको उन 2000 ट्रेक्टरों पर भी लागू किया जाये जो उन्होंने सप्लाई किये थे तथा दोषयुक्त पाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जर्मन जनवादी गणतंत्र के सप्लायर्स के साथ करार का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने के विषय में बातचीत की जा रही है, और उसके परिणामों की प्रतीक्षा है।

वुडली में आर० एस०-09 ट्रेक्टरों के परीक्षण करने वाली विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*1000. **श्री बूटा सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री 27 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वुडनी में आर०एस०-09 ट्रेक्टरों के परीक्षण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष और इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख) विशेषज्ञ समिति से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) रिपोर्ट पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का शामिल किया जाना

*1001. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को शामिल करने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में श्रमिकों तथा प्रबंधकों के संबंधों में कोई सुधार हुआ हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की कसौटी तय हो चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क ा हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा इस्पात और खान मंत्री ने 14 जून, 1971 को संसद में दिये गये वक्तव्य में की थी। इस निर्णय के क्रियान्वित किये जाने के पश्चात ही हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में मालिक-मजदूर संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

(ख) और (ग) इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्ता समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा गया है। उनके सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Changes in Steel Distribution Policy

*1005 **Shri Phool Chand Verma** : Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to State :

(a) Whether some of the industrialists have criticised the Steel distribution policy of Government on account of certain procedural difficulties therein; and

(b) if so, whether Government propose to make some changes in their policy of distribution of steel through the godowns ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b) : Occasional complaints have been received from consumers and certain Associations about procedural difficulties in the current distribution procedures iaclnding distribution of steel materials through stockyards. Certain modifications were made recently with a view to stream line the procedures and these modifications have been widely welcomed.

An Appraisal Division has also been set up in the Office of the Iron & Steel Controller to look into complaints. Regional Offices of the Iron & Steel Controller have also been set up. One of the functions of these offices is to ensure that distribution from Stockyards is in line with laid down procedures.

उड़ीसा में निकल भट्टी और सीसा भट्टी का स्थापित किया जाना

*1006 **श्री पी०के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में निकल-भट्टी और सीसा भट्टी स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों कारखानों को आरम्भ करने के लिए लायसेंस कब तक दिये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

मछलियां ले जाने के लिए वातानुकूलित रेल परिवहन सुविधा

*1007. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के आन्तरिक भागों में बिना खराब हुये सुविधापूर्वक मछलियां ले जाने के लिये वातानुकूलित रेल परिवहन सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) क्या केरल तट की मछलियों को तमिलनाड, आंध्र प्रदेश, मैसूर और मध्य प्रदेश के आन्तरिक भागों में ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) प्रशीतित रेल परिवहन का कार्य इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1959 में प्रारम्भ किया गया था। पलासा तथा हावड़ा, कालिकट तथा मद्रास और वेरावल तथा दिल्ली के मध्य 9 वैने चल रही हैं। 3 वैने निर्माणाधीन हैं और वर्ष 1971-72 तक इनकी सुपुर्दगी प्राप्त हो जाने की आशा है। 6 और वैनों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) कालिकट तथा मद्रास के मध्य अर्द्ध-साप्ताहिक प्रशीतित रेल वैन सेवा की व्यवस्था है, किन्तु केरल से रेल द्वारा मछलियों का परिवहन अधिकतर पार्सल परिवहन के रूप में होता है।

मछलियों को परीरक्षण के लिये बर्फ में रख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, बर्फयुक्त मछलियों को सड़क वाहनों द्वारा कुर्ग, बंगलौर तथा नीलगिरी जैसे आन्तरिक क्षेत्रों को भी पर्याप्त मात्रा मे भेजा जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए उपदान

*1008. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य स्वायतशासी निकायों में कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान और परिवार पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था है जब कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन एवं उपदान अथवा अंशदायी भविष्य निधि सम्बन्धी सुविधायें ही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उन कर्मचारियों के साथ भेद भाव बरते जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प किया है परन्तु उन्हें उपदान की सुविधा नहीं दी जा रहीं हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है और इसका सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) अन्य स्वायतशासी निकायों के अपने नियम हैं, जो सारे के सारे किसी एक प्रतिरूप के अनुसार नहीं हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 1-4-1960 से पहले सेवा आरम्भ की, अंशदायी भविष्य निधि का लाभ दिया गया, परन्तु उन्हें अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के स्थान पर पेंशन व उपदान का लाभ प्राप्त करने का विकल्प दिया गया। जो कर्मचारी 1-4-1960 को और उसके बाद नियुक्त हुए हैं वे अनिवार्य रूप से केन्द्रीय सरकार के तदनुसार कर्मचारियों को समय समय पर स्वीकार्य उदारीकृत पेंशन-व-उपदान योजना और परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाते हैं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त परिस्थितियों में, भेद-भाव या विषमता का प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए योजना

*1009. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई ठोस योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तमिलनाडु में चीनी के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र में और कितने प्रतिशत सरकारी क्षेत्र (सहकारी चीनी मिलों) में होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह): जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1970-71 में 22 जून, 1971 तक, तमिलनाडु की चीनी मिलों के 2.69 लाख मी०टन के कुल चीनी उत्पादन में प्राइवेट चीनी मिलों का 69.1 प्रतिशत और सहकारी चीनी मिलों का 30.9 प्रतिशत योगदान रहा है।

वनस्पति का मूल्य

*1010. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में मंदी का रुख चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वनस्पति के नियंत्रित मूल्यों में भी कमी की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) किसी भी क्षेत्र में तेल के मूल्यों में कमी को या तो उस क्षेत्र में वनस्पति के मूल्यों अथवा उसी क्षेत्र में कारखानों द्वारा सोयाबीन के तेल के सम्मिश्रण के स्तर अथवा दोनों में की गई उचित कमी में दिखाया जाता है। हाल ही में तेल के मूल्यों में कमी होने के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में सोयाबीन के तेल का मिलाया जाना बन्द कर दिया गया है और इसके अलावा, 23 जून, 1971 से दक्षिणी क्षेत्र में वनस्पति के मूल्यों में 20 पैसे प्रतिकिवटल की कमी कर दी गई थी।

कृषि विकास के लिये जल तथा वन संसाधनों का उपयोग करने हेतु एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास निगम

*1011. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और सहायक उद्योगों के विकासार्थ पश्चिमी घाट, हिमालय के क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य क्षेत्रों में जल एवं वन संसाधनों का उपयोग करने के लिये एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

ढांचों की इस्पात कतरनों का अलाय स्टील प्लान्ट (मिश्र धातु इस्पात संयंत्र), दुर्गापुर में, बड़ी मात्रा में जमा हो जाना

*1012. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलायस्टील प्लांट, दुर्गापुर में विभिन्न आकार की इस्पात कतरनों का बहुत बड़ा स्टाक जमा हो गया है;

(ख) क्या उक्त कतरनों का कारखाने में पिघलने के लिये प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या ढांचों की कतरनें बाजार में अथवा अन्य कारखानों से उपलब्ध होने वाली कतरनों की तुलना में अधिक कीमती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर किये जा रहे अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस्पात के ढांचे बनाने वाले ठेकेदारों ने, जिन्होंने कारखाने की कर्मशालाओं का निर्माण किया था, लगभग 15000 टन सरंचनात्मक इस्पात की विभिन्न आकार की कतरनें कारखानें को वापस कर दी थीं। कारखाने ने यह माल बेच दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह जरूरी नहीं है, परन्तु जो कतरने इस आकार की है जिन्हें पुर्नवेल्लन मिलों में अथवा औद्योगिक स्क्रैप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बाजार में मिलने वाले मैल्टिंग स्क्रैप से महंगी हैं।

(घ) कारखाने ने ये कतरनें खुले टेन्डरों द्वारा अधिकतम मूल्य पर बेच दी हैं इसलिए कारखाने ने कोई अनावश्यक खर्च नहीं किया है।

नियन्त्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि

*1013. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर से नियंत्रण हटाने और सरकार द्वारा विक्री के लिये 405 हजार मी० टन चीनी की असाधारण मात्रा दिये जाने के पश्चात भी चीनी का मूल्य कम नहीं हुआ है;

(ख) चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ग) चीनी के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) विनियंत्रण के बाद चीनी के मूल्य विनियंत्रण से पूर्व के खुले बाजार के मूल्यों से सामान्यतः कम ही हैं। विनियंत्रण के बाद मई, 1971 में नियुक्त की गई चीनी की मात्रा 450 हजार मीटर टन थी।

(ख) कुछ प्रमुख मंडियों में चीनी के अद्यतन फोक और खुदरा मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) मंडियों में मूल्यों को उचित स्तर पर और स्थिर बनाए रखने के लिए कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री हेतु निर्मुक्तियां विनियमित की जा रहीं हैं।

विवरण

कुछ प्रमुख मंडियों में चीनी के अद्यतन थोक और खुदरा मूल्यों को बताने वाला विवरण।

	(जैसा 30-6-71 को था)	
	थोक मूल्य	खुदरा मुल्य
स्थान	(रु० प्रति क्विंटल)	रु० 1 किलो०
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	180	1.85
गोहाटी (असम)	188	2.00
पटना (बिहार)	183	1.95

अहमदाबाद (गुजरात)	184(29.6.71)	1.90
त्रिवेन्द्रम (केरल)	181	1.90
इंदौर (मध्य प्रदेश)	175	1.78
मद्रास (तामिल नाडु)	175	1.80
बम्बई (महाराष्ट्र)	184	1.95
बंगलौर (मैसूर)	182	1.90
कटक (उड़ीसा)	190	2.00
जयपुर (राजस्थान)	183	1.95
कानपुर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	180	1.90
आसनसोल (पश्चिमी बंगाल)	195	2.00
कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	196	2.10
दिल्ली	193	1.95

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम का बन्द किया जाना

*1014. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को तुरन्त बंद करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) निगम के भविष्य के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, परन्तु इस विषय में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है :

Scheme for help to Farmers having less than 10 acres of land

*1015. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated a workable scheme with a view to help small farmers having less than 10 acres of agricultural land;

(b) if so, the arrangments made by Government to make available electricity, water and agricultural implements at cheap rates and tractors on co-operative basis as well as loans on low rates of interest to those farmers under the said scheme; and

(c) whether administrative machinery has been set right to implement the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahariya) : (a) To Central Sector Schemes, one for small, but potentially viable farmers, generally having holdings between 2.5 acres and 5 acres and the other for marginal farmers and agricultural laborers, generally having Holdings less than 2.5 acres of land, have been started during the Fourth Plan;

(b) & (c) The Scheme contemplates setting up of coordinating agencies for the project areas to identify the problems of small farmers, prepare appropriate programmes and help ensure timely flow of inputs, service and credit to the small farmers. The agencies will do these through the existing institutions or authorities as far as posible. The agencies are registered under the Societies Registration Act and their Chairman are generally the District Collectors with the District officials of Devlopment Departments, Co-operative institutions and two non officials as members. The agencies provide risk fund contribution to the co-operatives and subsidies for some items to enable the small farmers to undertake developmental programmes

and obtain credit support. Improved agriculture through land development, minor irrigation works, use of improved agricultural implements and other inputs in an important programme of the Small Farmers Development Agencies.

गिरिडीह कोयला खानों का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत काम करना

* 1016. **श्री चपल भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार वर्ष 1959 से 1968 तक भारत में सबसे बढ़िया किस्म का मैटालरजकल कोल और प्रीमियम कोक का उत्पादन करने वाली गिरिडीह कोयला खानों का संचालन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किया जाता था;

(ख) क्या राष्ट्रपति के निदेशों का पालन करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में कब तक निर्णय लेने का विचार है;

(घ) क्या विदेशों द्वारा गिरिडीह कोयला खानों के कोयले के बारे में पूछताछ करने पर उसका मूल्य 150 रुपये प्रति टन कोट किया गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पत्र व्यवहार के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) : (क) गिरिडीह कोयला ख नें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सितम्बर, 1960 में जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देश के अधीन संचालित की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) हानि-प्रतिपूर्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा की जाती है कि उस पर शीघ्र ही विनिश्चय लिया जायेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है ;

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड का प्रतिवेदन

* 1017. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड का प्रतिवेदन, जो लोक सभा (1971) के समक्ष रखा जाना था, चुरा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में मोटरगाड़ियों के पुर्जों की खरीद में धोखाधड़ी

*1018. **श्री अमर नाथ चावला :**

श्री शशि भूषण :

क्या **कृषिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने वर्ष 1970-71 में 4 लाख रुपये के मूल्य के मोटरगाड़ियों के पुर्जे खरीदने के लिए जमशेदपुर की एक फर्म को क्रयादेश दिया था;

(ख) क्या उपरोक्त पुर्जे दिल्ली दुग्ध योजना में कदापि नहीं पहुंचे और लेखा परीक्षकों ने इस असंगति का पता लगाया था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस के पास भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी;

(घ) क्या स्मरणकर्त्ता फर्म ने पुर्जे भेजे थे परन्तु दिल्ली दुग्ध योजना के स्टोर कें कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके पुर्जों को रास्ते में ही बेच दिया था; और

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस मामले में जांच करने का आदेश दिया गया है; यदि हां तो जाँच कब तक पूरी हो जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने वर्ष 1970-71 में लगभग 5,76,000 रुपये के मूल्य के मोटरगाड़ियों के पुर्जे खरीदने के लिये मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर को क्रयादेश दिया था ।

(ख) उपरोक्त क्रयादेश दिये जाने पर मैसर्स टेलको ने अपने माल ढोने वाले ठेकेदार मैसर्स एकोनोमिक ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन के द्वारा 30 जून, 1971 तक 4,18,324.01 रुपये के मूल्य के पुर्जे भेजे थे । यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना ने जून, 1971 के अन्त तक 3,67,555.04 रुपये के मूल्य के पुर्जे अपने भण्डार में जमा किए । शेष 50,768.97 रुपये के मूल्य के पुर्जों के विषय में स्थिति इस प्रकार है :—

(1)	पुर्जे जो एकोनोमिक ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन ने अभी पहुंचाने हैं ।	38965·72 रुपये
(2)	पुर्जे जो दिल्ली दुग्ध योजना में पहुँचाये गये बताये जाते हैं किन्तु जिनको अभी तक भण्डार में जमा नहीं किया गया ।	7643.42 रुपये
(3)	पुर्जे जिनका मैसर्स टेलको ने बीजक बनाया किन्तु जो दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त प्रतीत नहीं होते ।	4159.83 रुपये
		योग 50768.97 रुपये

परिवहन अभियन्ता (ट्रांसपोर्ट इंजीनियर) के जमशेदपुर के दौरे तथा दिल्ली दुग्ध योजना के आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हुई है

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के स्टोर के कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांठ गाँठ करके भण्डार (स्टोर) में जमा न किये गये पुर्जों को बेचे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। 7643.42 रुपये के मूल्य के पुर्जों का जो भेजे गए बताये जाते हैं किन्तु जो दिल्ली दुग्ध योजना के भंडार में जमा नहीं किए गए हैं, अभी लेखा देना है।

(ङ) सरकार ने इन असंगतियों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया है और दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष को मामले की पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना ने उस भंडारी को जो उस समय, जब पुर्जे प्राप्त किये गये बताये जाते हैं स्टोर रिसीट अनुभाग का इन्चार्ज था "कारण निर्देशन नोटिस" दे दिया है। भंडारी गबन के एक दूसरे मामले में पहले से ही मुअत्तिल है।

कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस पाने का अधिकारी होना

*1019. **श्री रामनारायण शर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 191, दिनाँक 22 जनवरी, 1968 के द्वारा प्रतिमास 730 रुपये तक मूल आय वाले कोयला खान कर्मचारियों को कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस सम्बन्धी सुविधाएं लेने का अधिकारी बना दिया गया था;

(ख) क्या एक अन्य अधिसूचना द्वारा उक्त उपबन्ध को वापस ले लिया गया और प्रमिमास केवल 500 रुपये तक मूल आय वाले कर्मचारियों को बोनस पाने का अधिकारी बना दिया गया;

(ग) क्या प्रतिमास 500 रुपये तक वेतन पा रहे परन्तु प्रबन्धात्मक अथवा प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे तथा 15 मार्च, 1967 के बाद इन पदों पर नियुक्त हुए व्यक्तियों पर कोयला खान बोनस योजना लागू नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा एक तरफा तरीके से कोयला खान बोनस योजना में संशोधन किये जाने के क्या कारण हैं जो कि कोयला खान कर्मचारियों के हितों को हानि पहुंचाने वाला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कोयला खान बोनस योजनाओं में मार्च, 1971 में संशोधन करके ऐसे कर्मचारी को इनकी परिधि से बाहर रखा गया—

(i) जो मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित हों; या

(ii) जो पर्यवेक्षी हैसियत में नियुक्त हो और 500 रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी प्राप्त करता हो या अपने पद से सम्बद्ध ड्यूटियों के स्वभाव द्वारा या अपने में निहित अधिकारों के कारण मुख्यतः प्रबन्धकीय किस्म के काम करता हो;

क्योंकि कोयला खान उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं हुई। तथापि, ऐसी विशिष्ट व्यवस्था की गई है कि वह संशोधन ऐसे किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार का बोनस प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगा जो कोयला खनन उद्योग

सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति से पहले बोनस प्राप्त करने का हकदार था ।

आसाम को गेहूं का न भेजा जाना

*1020. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारयीय खाद्य निगम ने आसाम को नवम्बर, 1970 से अब तक गेहूं नहीं भेजा है यद्यपि कागज पर आसाम को कोट का आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । नवम्बर, 1970 से जून, 1971 तक की अवधि में असम को लगभग 1.5 लाख मी० टन गेहूं भेजी गई थी, जिसमें से राज्य सरकार, फ्लोर मिलों आदि सहित असम में अटालियों के लिए लगभग 1.3 लाख मी० टन गेहूं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में बारानी खेती योजना

4226. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बारानी खेती योजना के अन्तर्गत चुनी गई मार्ग दर्शी परियोजनाओं के नाम तथा उनकी संख्या क्या है; और

(ख) उस राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) बारानी कृषि योजना के अधीन गुजरात के राजकोट तथा अमरेली जिलों के लिए वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 की अवधि में क्रमशः दो योजनायें स्वीकृत की गई हैं । योजनाओं की क्रियान्विति के प्रथम वर्ष में प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र 2,000 एकड़ होगा, जो कि वर्ष 1973-74 तक 2,000 एकड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ता रहेगा ।

धान, गेहूं और दालों की प्रति एकड़ उपज

4227. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, धान, गेहूं और दालों की प्रति-प्रति एकड़ उपज कितनी रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : 1967-68 से 1969-70 के पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों के चावल, गेहूँ और दालों का प्रति हैक्टर उत्पादन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी--627ए/71] वर्ष 1970-71 के इसी प्रकार के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

Boring Operations for Irrigation in Saharsa, Bihar

4228. **Shri Charanjib Jha** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of boring operations conducted for irrigation purposes sub-Division-

wise in Saharsa District of Bihar and the number of those done with Government aid and without aid separately ;

(b) the number of borings sunk by the people without any aid from Government, Sub-Division-wise ;

(c) the number of borings energised ;

(d) the number of borings energised so far in Kishenpur Sub-Division ; and

(e) if not, the reasons for not energising the borings and the time by which they are likely to be energised ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) (a) to (c) : The number of tubewells drilled for irrigation purposes, Sub-Division-wise, in Saharsa District of Bihar with Government aid and without Government aid and the number of tubewells energised is as below :

Sub-Division-wise	With Govt. aid	Without Govt. aid	No. of tubewells energised
Saharsa Sub-Division I	243	160	120
Madhepura	221	119	39
Supaul	140	66	11

(d) In Kishenpur Block, no tubewell has so for been energised.

(e) The State Electricity Boad has already finalised the programme for energisation in the area and the work is likely to be taken up as soon as finances required are available. The work is likely to be completed within a year.

भारतीय खाद्य निगम के गया, मोकामेह और जमशेदपुर स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

4230. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गया, मोकामेह और जमशेदपुर स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी क्षेत्रीय प्रबन्धक, पटना के कार्यालय के सामने भूख-हड़ताल पर है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा कोई भूख-हड़ताल नहीं की गई थी। इन डिपों पर हैण्डलिंग और परिवहन ठेकेदारों के काम कर रहे मज़दूरों की यूनियन ने 9-6-71 और 30-6-71 के बीच पटना में प्रादेशिक प्रबन्धक के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल का आयोजन किया था। यह हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है।

(ख) मजदूर संघ मजदूरों के विभागीयकरण के लिये ज़ोर डाल रहा है और उनकी मांग निगम के विचाराधीन है।

दण्डकाण्य में बसे पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को दिये गये ऋण की वसूली

4231. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में बसे पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को दिया गया ऋण वसूल कर लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम और खाद्य विभाग के कृत्य

4232. श्री ए० एम० चेलाचामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और खाद्य विभाग के कृत्य लगभग समान है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम मितव्ययी रूप से जन सेवा करने के स्थान पर भारी ऊपरी खर्च करता है और इस प्रकार उसे भारी हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार की खाद्य-नीति तैयार करने और विनियामक उपाय घोषित करने तथा उनका कार्यान्वन सुनिश्चत करने की सारीजिम्मेदारी खाद्य विभाग की है लेकिन भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भण्डारण, संचलन, परिवहन. वितरण और बिक्री करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एक-मात्र कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इनके अलावा, भारतीय खाद्य निगम ने सरकारी खाते में आयातित उर्वरकों को सम्भालने और उनकी बिक्री करने तथा खाद्य-विधायन यूनिट स्थापित करने जैसी कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी सम्भाली है।

(ख) जी नहीं। निगम किसान और उपभोक्ता-पहले को निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर काफी साहाय्य मूल्य देकर और दूसरे को निर्धारित निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करते हुये मूल्य में स्थिरता लाकर-दोनों की ही सेवा करता है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मौदों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति कर रही है क्योंकि केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में खाद्यान्न की सारी इकनोमिक लागत शामिल नहीं होती है और उनमें उपभोक्ता के लिए राजसहायता का अंश सम्मिलित होता है। सरकार ऊपरी खर्चों जोकि अधिकांशतः सरकारी ऋण तथा बैंक ओवरड्राफ्टों पर ब्याज, रेल-भाड़ा, कर मंडी प्रभार और अन्य सांविधिक लेवी के रूप में हैं, की सतत समीक्षा करती रहती है और ये खर्चे यथा सम्भव न्यूनतम स्तर पर रखे जाते हैं। निगम ने जबसे नियमित कार्य शुरू किया है तब से उसे कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं के एक नए बीज का विकास

4233. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूँ के एक नए बीज का विकास किया है जो कि मैक्सीकन किस्म के बीज सहित सभी बीजों से उत्तम है;

(ख) यदि हां, तो गेहूँ के इस नई किस्म के बीज का नाम क्या है; और

(ग) गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्मों की तुलना में यह नया बीज किस रूप में उत्तम है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों में उपज और अन्य गुणों के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रों में गेहूं प्रजनन कार्य-

क्रमों से प्राप्त बहुत सी नयी किस्मों की तुलना की जा रही है। इन परीक्षणों के परिणामों को पूर्ण रूप से अन्तिम समझना और गेहूं की वर्तमान बौनी किस्मों के मुकाबले किसी विशेष किस्म के बढ़िया होने का दावा करना अभी उचित नहीं है।

(ख) पिछले वर्ष (1970-71) के परीक्षणों में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त किस्मों में, डब्ल्यू० एल० 212, डब्ल्यू० जी० 357 और डब्ल्यू० जी० 377 नामक किस्में आशाजनक थी और इस वर्ष इनमें डब्ल्यू० जी० 461 नामक किस्म और सम्मिलित कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता

4234. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
श्री जी० भुवाराहन : क्या कृषि मंत्री तमिलनाडु में विशेष भूमि विकास योजना के लिये विश्व बैंक के ऋण के संबंध में 3 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार भी उसी प्रकार से सहायता देगी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) परियोजनाओं के लिये (चाहे तमिलनाडु के लिये हो अथवा अन्य किसी राज्य के लिये) जोकि विश्व बैंक के करारों पर आधारित होती हैं, ऋणों सहित दी गई समस्त सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्रोतों से ही मिली सहायता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा स्वीकृत तमिलनाडु परियोजना अन्य किसी केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना के समान ही है और आशा है कि इससे इस राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस्पात वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए सतर्कता जांच आयोग की स्थापना

4235. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग के कुछ कर्मचारियों के लेखा-बाह्य संशोधनों तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सतर्कता जांच की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच की स्थापना की गई है ?

इस्पात और खानमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, नहीं इस्पात विभाग के किसी कर्मचारी के बारे में कोई ऐसी जांच करने का आदेश नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नलकूपों का लगाया जाना

4236. श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक बिहार राज्य में कितने नल कूप लगाए गए हैं;

(ख) क्या भूमि का पर्याप्त भाग अभी भी पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर रहता है; और

(ग) बिहार राज्य में पर्याप्त मात्रा में नलकूप लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तीसरी योजना के दौरान 2048 नलकूप लगाये गये और अप्रैल 1971 के अन्त तक 12,729 लगाये गये जिन में से चौथी योजना के पहले दो वर्षों में (1969-70 और 1970-71) के दौरान 3,805 नलकूप लगाये गये।

(ख) वर्ष 1967-68 के लिये उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 80 लाख हैक्टार काश्त अधीन भूमि विशुद्ध रूप से वर्षा जल पर ही निर्भर करती थी।

(ग) अधिक नलकूप लगाने के लिये उठाये जा रहें कदमों में ये शामिल हैं (क) राज्य योजनाओं के अधीन लघु ससंचाई के लिये उपलब्ध सार्वजनिक क्षेत्र में धन नियत करते समय राज्य नलकूपों को सार्वधिक प्राथमिकता दी जाये; (ख) भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्तनिगमों और केन्द्रीय सरकारी बैंकों से निजी नलकूपों के लिये धन संसाधन जुटाना; (ग) नलकूपों के विस्तृत कार्यक्रमों को देखने के लिये राज्य में पर्याप्त भूमिगत जल संगठन स्थापित करना; और (घ) राज्यों में भूमिगत जल सर्वेक्षणों और खोज के लिये प्रबन्ध सुदृढ़ करना।

ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों के ऋण लेने वालों को ऋण देने के लिये ऋण-संस्थाओं की स्थापना

4237. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों के ऋण लेने वालों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न पद्धति वाली-ऋण-संस्थायें स्थापित करने का है।

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या है।

(ग) क्या इस संबंध में कृषि आयोग द्वारा श्री टी० ए० पाई० की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि ऋण की समस्याओं की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए श्री टी० ए० पाई की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल स्थापित किया है। दल ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

Reclamation of Ravine Land of Bhind Gwalior and Shivpuri in Madhya Pradesh

4238 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1228 on the 3rd June, 1971 regarding reclamation of revine land in Madhya Pradesh and state

(a) the areas in Morena District where the scheme for the development of two thousand hectares of land is proposed to be implemented by Government;

(b) whether Government propose to introduce such schemes in Bhind, Gwalior and Shivpuri also ; and

(c) if so, the time by which the said scheme is likely to be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) (a) An area of 2000 hectares has been taken up in the District Morena for ravine reclamationd with an outley of Rs. 50.00 lakhs duriug the 4th Plan under the Centrally Sponsoreri Scheme of Pilot Project. The reclamation blocks are situated along the Kuwa tributaries of the Chambal river in Amba Tehsil of Morena District on both sides of the Morena Bhind road.

(b) Further extension of the scheme will depend upon the results of the pilot project undertaken in Morena District

(c) Does not airse,

उड़ीसा में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये पनधारा प्रबन्धक बोर्ड

4239 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नदी घाटी परियोजनाओं के लिए एक पनधारा प्रबन्धक बोर्ड का गठन अब तक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के द्वारा उड़ीसा के लिए बनाये गये कार्यक्रमों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की पनधारा योजना और प्रबन्ध कार्यवाहियों का समन्वय करेगा, समन्वित कार्यक्रम तैयार करेगा और उनके कार्यान्वियन की समीक्षा करेगा । बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए बहुत सी पनधाराओं को चुना है ।

(ग) हीराकुंड और माचकुंद नदी घाटी परियोजना के अपवाह क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित भू-संरक्षण के कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार ने मार्च, 1971 तक 255.25 लाख रुपये की सहायता दी है, जिसमें 172.11 लाख रुपया अनुदान के रूप में और 83.08 लाख रुपया ऋण के रूप में है ।

तराई विकास निगम

4240. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्तनगर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बीज निगम के शेयरों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के तराई विकास निगम का नियन्त्रण बड़े किसानों और उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तराई विकास निगम में कितने किसानों के शेयर हैं और कितने किसानों के पास दस एकड़ तक भूमि है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तराई विकास निगम के शेयर राष्ट्रीय बीज निगम तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त तराई क्षेत्र के 1022 कृषकों द्वारा क्रय किये गये हैं। तराई विकास निगम के निदेशक मण्डल में 6 कृषक है। इनमें से एक कृषक उद्योगपति भी है। इनमें से दो कृषकों की कृषि जोत 100 एकड़ से कम तथा अन्य दो की भूमि 100-200 एकड़ के मध्य है। पांचवें कृषक की भूमि 200 एकड़ तथा छटे कृषक की कृषि जोत 700 एकड़ है।

(ख) तराई बीज विकास परियोजना में भाग लेने वाला ऐसा कोई कृषक नहीं है जिसकी भू-जोत 10 एकड़ तक हो।

हजारी बाग जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा खोज

4241. श्री दामोदर पांडे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारी बाग जिले के केतला और पपिन ब्लाक में अग्रेतर खोज के लिए जिस क्षेत्र को बोकारो रामगढ़ लिमिटेड के रिसीवर को दे दिया गया है उसमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कितने क्षेत्र में खोज की गई है।

(ख) क्या उस रिसीवर ने उक्त क्षेत्र को अपनी ओर से प्रबन्धक एजेन्सी के नाम से निजी उद्यमियों को वितरित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन ब्लाकों में कितने निजी उद्यमियों को भूमि को अलाट किया गया है।

(घ) क्या यह कार्य खनिज उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखने सम्बन्धी औद्योगिक नीति संकल्प के अनुरूप है। और

(ङ) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा जिन अन्य क्षेत्रों में खोज की गई है उनको भी सरकार से अपने हाथ में लेने के बारे में निजी उद्यमी इसी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) (क) से (ङ) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने केडला और टेपिंग खण्डों में क्रमशः 3000 एकड़ और 2160 एकड़ का पुर्वेक्षण किया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा समुपयोजनार्थ कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचनान्तर्गत है। तथापि कुल सम्पति बिहार सरकार और मैसर्स बोकारों एण्ड रामगढ़ लिमिटेड के मध्य विवादास्पद है और अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय हजारीबाग में 1961 की बाद सूचना संख्या 16 के रूप में लम्बित है। न्यायालय ने बिहार सरकार के एक अधिकारी को सम्पत्ति के प्राप्त कर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है। क्योंकि मामला न्यायाधीन है, अतः यह समुचित नहीं होगा कि अन्य पूछी गई जानकारी दी जाए।

विभिन्न राज्यों में कमी वाले क्षेत्र

4242. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) इन क्षेत्रों के नाम क्या है जिन्हें इस वर्ष भी राज्य सरकारों ने कमी वाले क्षेत्र घोषित कर दिया है और

(ख) खाद्यानों की इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बिहार राज्य में 8 जिलों के 20 खण्डों के अन्तर्गत क्षेत्र को अकाल से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर और राजस्थान की सरकारों ने कमी की स्थिति के बारे में सूचित किया है। देश में अकाल तथा कमी की चल रही स्थिति का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य के क्षेत्र में विशेष खाद्यानों की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। राज्य में अभिप्राप्त खाद्यान्नों और केन्द्रीय पूल से प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा का निर्धारण करना सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यानों का आवंटन एवं सम्भरण सहायता प्राप्त करने वाले सभी राज्यों की आवश्यकताओं और केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों की समूची उपलब्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

राज्यों में अकाल और कमी की चल रही स्थिति का ब्यौरा-विवरण

अकाल

जिला का नाम	अकालग्रस्त घोषित खण्डों की संख्या	क्षेत्र वर्ग किलो मी० में	जनसंख्या लाख में
1. बिहार	1	185.6	1.15
2. पटना	3	205.6	2.74
3. मुंगेर	9	3216.4	7.97
4. दरभंगा	1	235.0	0.62
5. चम्पारण	1	120.3	0.67
6. सहरसा	2	452.1	1.64
7. संथाल परगना	—	—	—
8. हजारी बाग	2	1186.9	1.50
9. धनबाद	—	—	—
10. शाहबाद	—	—	—
11. मुजफ्फरपुर	1	233.0	1.54
12. भागलपुर	—	—	—
जोड़	20	6434.9	17.83

कमी

राज्य		प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गावों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	असम	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	12	100 ताक्स	94.34
4.	जम्मू तथा कश्मीर	3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	महाराष्ट्र	21	31.125	उपलब्ध नहीं
6.	मध्य प्रदेश	2	380	उपलब्ध नहीं
7.	मैसूर	12	6.625	45.60
8.	उड़ीसा	6	320*	उपलब्ध नहीं
9.	राजस्थान	8	503	3.03

*ग्राम पंचायतें

सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

4243. श्री सतपाल कपूर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के कारखानों/उपक्रमों के प्रबन्ध में अथवा निदेशक मण्डलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधियों के चयन का क्या तरीका है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के०खाडिलकर) (क) और (ख) : सरकार ने एक योजना चालू करने का निश्चिय किया है ताकि सरकारी क्षेत्र के कुछ अनुकूल उपक्रमों के प्रबन्ध मण्डलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जा सकें। उपक्रम के मान्यता प्राप्त संघ को कहा जाएगा कि वह तीन व्यक्तियों की एक नामिका भेजे ताकि सरकार उनमें से एक का चयन करके उसे निदेशक नामित करे। ऐसे व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए, और उपक्रम में उसकी सेवा कम से कम 5 साल की होनी चाहिए और निदेशक के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान उसे वार्धक्य की आयु को प्राप्त नहीं होना चाहिए।

केरल राज्य में कोचीन में मत्तनचेरी में मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह

4244 श्री एम० के० कृष्णन : क्या **कृषि** मन्त्री 30 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न सँख्या 110 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन में मत्तनचेरी में मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है;

(ग) क्या परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (घ) मत्तनचेरी, कोचीन में 272.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक मीन बन्दरगाह निर्माण के लिए भारत सरकार ने 15—6—71 को मंजूरी दे दी है। मुख्य पतनों पर मीन बन्दरगाह व्यवस्था के लिए बन्दरगाह की लागत चौथी योजना की केन्द्रीय स्कीम से भारत सरकार पूरी करेगी।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

4245. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की राहत के लिए केन्द्र से 2 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि मंजूर करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने शरणार्थियों को आधार बना कर यह वित्तीय सहायता माँगी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही आन एकाउन्ट अग्रिम के रूप में 14.82 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(ख) पहली जुलाई, 1971 तक 50.20 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल आये थे जिनमें से 33.26 लाख शिविरों में रह रहे हैं।

तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा तथा हरियाणा में ग्राम्य रोजगार का द्रुत कार्यक्रम

4246: श्री आर. बी. स्वामीनाथन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा तथा हरियाणा सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि ग्राम्य रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के लिए जिसका वित्तीय पोषण केन्द्र द्वारा किया जायेगा, 50 करोड़ रुपये की राशि का नियतन कम है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कौन से कारण बताये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क), (ख) व (ग) : किसी भी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा है कि ग्राम रोजगार के त्वरित कार्यक्रम, जिसके लिए केन्द्र द्वारा धन दिया जाता है, के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का नियतन कम है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों जिनमें तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और हरियाणा की राज्य सरकारें भी शामिल हैं, ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को 12.50 लाख रुपये प्रति जिले के आधार पर देने के बजाय यह धन राशि खण्डों की संख्या के अनुसार अथवा जिलों की ग्रामीण आबादी के अनुपात में दी जाए। ये राज्य सरकारें समझती हैं कि इस धनराशि का नियतन ग्रामीण आबादी के अनुपात से अथवा खण्डों की संख्या के अनुसार करना अधिक उचित होगा। केन्द्रीय सरकार का

विचार है कि जिन राज्यों में दूसरे राज्यों के मुकाबले में ग्रामीण आबादी अधिक है उनके लिए धन-राशि के नियतन में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जानी चाहिए। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

Aerial Survey for non-ferrous metals in Madhya Pradesh

4247. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken any aerial survey of non-ferrous metals in Madhya Pradesh ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) : An airborne magnetic and scintillometric survey over an area of 16,000 sq. kms. covering parts of Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of Madhya Pradesh was conducted by the National Geophysical Re earch Institute at the instance of the State Government who have also since started ground follow up work in the anomaly areas which have been located as a result of this survey.

It is also proposed to cover an area of 17,400 sq. kms. covering parts of Jabua, Harda, Sleemanabad-Sidhi and Malanjkhand areas of this State by airborne geophysical survey under the contract recently signed by the Government of India with the French Government organisation Bureau De Recherches Geologiques and Minieres (BRGM) of Paris.

Blasting Rock in Gaya District (Bihar)

4248. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether the site of blasting rocks is located at a distance of 100 to 300 feet from the area surrounding Ramsheela hill in Gaya District (Bihar) which is inhabited by the people ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to protect the population from such blasting operations ;

(c) whether the Bihar Government has demanded the cancellation of the lease period of the contractors concerned ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) : The requisite information has been called for from the Government of Bihar and the same will be laid on the Table of the House, on receipt.

शीट मैटल की मांग

4249. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में शीट मैटल की राज्यवार माँग कितनी थी;

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार वास्तविक सप्लाई कितनी की गई;

(ग) इस समय शीट-मैटल का नियन्त्रित मूल्य क्या है ?

(घ) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं को शीट मैटल किस-किस मूल्य पर बेचा गया;

(ङ) क्या बहुत से राज्यों में कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्य से दुगना भुगतान करना पड़ा ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) (क) सम्भवत: शीट-मैटल से माननीय सदस्य का अभिप्राय इस्पात की चादरों से है चादरों की राज्यवार मांग उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और जहां तक उपलब्ध हो सकेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) चादरों के मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । फिर भी मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित माल का बड़ा भाग संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर बेचा जाता है, जो इस प्रकार है :—

	संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये मूल्य (रुपये प्रति टन)	
	1—4—69 से 31—12—69 तक	1—1—1970 से आगे
गर्म बेल्लित चादरें (परीक्षित) 14 गेज तथा उससे मोटी)	1074	1177
ठंडी बेल्लित चादरें (परीक्षित) 14 गेज तथा उससे मोटी)	1324	1427
जस्ती सादी चादरें	1804	1866

टिप्पणी : 1) उपर्युक्त आधार मूल्य है तथा रेल पथ सीमा तक निष्प्रभार है ।

2) ठंडे बेल्लित बेस मैटल से बनी जस्ती चादरों का मूल्य 175 रुपये प्रति टन अधिक होगा ।

(ङ) और (च) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात की अत्यधिक कमी होने के कारण चादरों के बाजार मूल्य संयुक्त संयँत्र समिति के मूल्यों से अधिक है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को इस्पात उचित मूल्यों पर मिले, वितरण प्रणाली दोष रहित बनाया गया है । मुख्य इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस्पात के आयात में भी ढील दी गई है ।

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए श्रमिक कानूनों का संहितावद्य और सरलीकरण किया जाना

4250 श्री बीरेन दत्त : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में श्रमिक कानून असंख्य हैं तथा वह श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में भ्रांति पैदा करने वाले हैं; और

(ख) क्या सरकार का श्रमिक कानूनों को संहितावद्ध और सरलीकरण करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार इस विचार से सहमत नहीं हैं कि वर्तमान श्रम विधियाँ इतनी अत्यधिक बहुसंख्यक अथवा अत्यधिक गड़बड़ाने वाली है कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उनकी उपयोगिता नही हैं।

(ख) सरकार समस्त श्रम विधियों को एक समरूप संहिता के रूप में समाकलित करने के कार्य को व्यवहार्य नहीं समझती। तथापि अनेक श्रम विधियों जिनमें समवर्गी विषय शामिल हों का समाकलन करना विचाराधीन है।

Supply of Lime Stone to Visakhapatnam and Hospet Steel Plants

4251. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether lime stone is not being supplied in adequate quantity to the new steel plants at Visakhapatnam and Hospet ;

(b) if so, the extent of such short supply ;

(c) its effect on the working of these plants ; and

(d) the steps taken to ensure adequate supply of lime stone to these plants ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) : Both the Hospet and Visakhapatnam Steel Projects are still in the planning stage. When commissioned, no shortage of lime stone for these two plants is anticipated.

रेलवे को कोयला बेचने वाली कोयला खानों द्वारा कोयला खान मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित न किया जाना

4252. श्री एन० ई० होरो : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में कोयला खानों जो रेलवे को कोयला बेचती है कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को बिलकुल क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) रेलवे ऐसी कोलरियों से कोयला खरीदती है जिन्होंने सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रमायुक्तों से मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रखे हैं। इनमें ए० आर० टी० एण्ड कम्पनी, असम, सम्मिलित नहीं है जिसके साथ रेलवे का दीर्घकालीन करार है।

1981 तक का खाद्यान्न का लक्ष्य

4253. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 1981 तक 16 करोड़ टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार ने, 16 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन प्राप्त करने हेतु सिंचाई संबंधी अधिक सुविधाएं देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन का अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सिंचाई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की

आवश्यकता होगी और किन किन परियोजना में काम में तेजी लाई जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1980-81 तक 1970 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन की अस्थायी परिकल्पना की गई है।

(ख) अस्थायी तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल सिंचित क्षेत्र को वर्ष 1980-81 तक बढ़ाकर 580 लाख हैक्टार तक करना होगा। उपरोक्तानुसार सिंचाईगत क्षेत्र को बढ़ाने, कार्यक्रम की लागत और किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, के विषय में एक विस्तृत कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

श्रमिक कानून के उल्लंघन के बारे में रेलवे कर्मचारी और संगठनों द्वारा दी गई सूचना

4254. श्री एम० कतयामुतु : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की जयपुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों और उनके संगठनों औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उल्लंघन के किन्ही मामलों की सूचना मुख्य श्रमायुक्त केन्द्रीय को दी है ;

(ख) यदि हां, तो 1969-70 और 1970-71 में ऐसे कितने मामलों की सूचना दी गई; और

(ग) इन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा राज्यों में नलकूपों का लगाया जाना

4255. श्री माधुर्य हाल्दार : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने नलकूप लगाए गये ;

(ख) राज्यवार नलकूपों के लगाने पर कितना खर्च हुआ; और

(ग) नलकुपों के लगाने से प्राप्त हुए जल संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) तथा (ख) संलग्न किये गये विवरण 'क' तथा 'ख' के अनुसार।

(ग) इन नलकूपों से लगभग 7 लाख एकड़ भूमि के कुल क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होने की संभावना है।

विवरण

विवरण क

वर्ष 1955 से मार्च 1971 तक बेधे गये समन्वेषी/निक्षेप कुओं का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समन्वेषी	निक्षेप	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	68	—	68
2.	असम	19	2	21
3.	बिहार	27	429	456
4.	गुजरात	106	175	281
5.	हरियाणा	107	9	116
6.	पंजाब	18	—	18
7.	केरल	5	5	5
8.	मध्य प्रदेश	67	22	89
9.	तमिलनाडु	85	4	89
10.	महाराष्ट्र	32	23	55
11.	मैसूर	4	—	4
12.	राजस्थान	192	316	508
13.	उत्तर प्रदेश	78	326	404
14.	उड़ीसा	33	—	33
15.	पश्चिम बंगाल	61	65	126
16.	जम्मू तथा कश्मीर	9	—	9
17.	दिल्ली	—	61	61
	योग :—	911	1432	2343

विवरण ख

वर्ष 1954-55 से 1970-71 तक केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा निर्माण किए गए कुओं के व्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	समन्वेषी कुओं पर व्यय	निक्षेप कुओं पर व्यय	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	24,35,016	—	24,35,016
हरियाणा	29,09,356	14,72,150	43,81,506

1	2	3	4
जम्मू तथा कश्मीर	11,31,617	6,03,838	17,35,455
केरल	1,19,850	—	1,19,850
उत्तर प्रदेश	11,43,432	61,18,925	72,62,357
दिल्ली	—	44,697	44,697
मध्य प्रदेश	4,69,675	20,102	4,89,777
तमिलनाडु	23,78,492	76,604	24,55,096
महाराष्ट्र	6,60,800	5,67,889	12,28639
त्रिपुरा	2,405	—	2,405
उड़ीसा	15,14,700	—	15,14,700
पंजाब	14,15,671	6,97,637	21,13,308
गुजरात	17,56,072	64,09,921	81,65,993
बिहार	5,87,978	61,619,454	67,57,432
पश्चिम बंगाल	7,28,787	37,74,473	45,03,260
राजस्थान	35,31,490	97,22,149	1,32,53,639
मैसूर	81,300	—	81,300
असम	3,77,493	87,845	4,65,338
	2,12,44,134	3,57,65,684	5,70,09,818

Sinking of Tube-Wells for use of Under-ground Water Resources in Garhwal, U.P.

4256. Shri Pratap Singh Negi : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the hill areas of Uttar Pradesh, particularly Garhwal, are very rich from the point of view of under-ground water resources ; and

(b) if so, the scheme being formulated by Government to instal more tubewells there in order to make use of the underground water resources ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Exploration hitherto carried out indicates the possibility of tapping some groundwater in certain limited areas in the sub-mountainous region of Uttar Pradesh. Further exploration work has been proposed for the region.

(b) The State Government has in hand a scheme for construction of tubewells in the areas proven to be groundwater worthy.

गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड दिल्ली में मजदूरों की जबरन छुट्टी

4257. श्री अमरनाथ चावला : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: —

(क) क्या दिल्ली में सब्जी मंडी स्थित गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने 23

मार्च, 1971 से मजदूरों की जबरन छुट्टी कर दी है और लगभग 600 कर्मचारियों को नियमित रूप में वेतन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या मजदूर मिल के अन्दर बेकार बैठे हुये हैं, और मिल के फिर से चलाये जाने की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) क्या उक्त मिल के मजदूर संघ से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है और क्या प्रबन्धकों ने सरकार से मिल बन्द करने की इच्छा प्रकट की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मिल को अपने अधिकार में लेने का है, और यदि हां, तो कब तक ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) दिल्ली प्रशासन से, जो इस मामले से सम्बन्धित है, प्राप्त सूचना के अनुसार गणेश फ्लोर मिल के प्रबन्धकों द्वारा 22 मार्च से 5 मई, 1971 तक 250 श्रमिकों को जबरी छुट्टी दी गई। यह सूचित किया गया है कि श्रमिकों को 30 अप्रैल, 1971 तक की मजदूरी दी जा चुकी है। मई, 1971 की मजदूरी अभी अदा की जानी है।

(ख) जी हां।

(ग) यह सूचित किया गया है कि गणेश फ्लोर मिल मजदूर संघ ने सरकार द्वारा मिल को अपने हाथ में लेने की मांग की है। परन्तु दिल्ली प्रशासन को प्रबन्धकों से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने मिल को बन्द करने का अपना आशय व्यक्त किया हो।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में कृषि और बागबानी के लिए कीटनाशी औषधियों की आवश्यकता

4258. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि और बागबानी के लिये प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में कीटनाशी औषधियों का प्रयोग किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : राज्य सरकार का अनुमान है कि कृषि तथा बागबानी कार्यों के लिये कीटनाशी औषधियों की वार्षिक खपत चूर्ण रूप में 3000 मीटरी टन तथा तरल रूप में 90,000 लिटर होगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि प्रयोजना के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता

4259. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि प्रयोजना के लिये प्रति वर्ष औसतन कितने रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की उर्वरकों की औसत वार्षिक आवश्यकता (पोषण के रूप में) 270000 मीटरी टन एन, 82000 मीटरी टन पी और लगभग 47000 मीटरी टन के रही है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विनियोजन

4261. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड में अब तक कुल कितना विनियोजन किया गया है;

(ख) उक्त निगम में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में उक्त निगम को कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई और इसके क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)

(क) 1970-71 वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । 31.3.1970 तक कुल विनिधान लगभग 189 करोड़ रुपये था ।

(ख) 31-3-1971 को लगभग 68,000 ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ अथवा हानि निम्न प्रकार से थी:—

वर्ष		लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
1968-69	(...)	121.70
1969-70	(...)	106.42
1970-71	(...)	42.00 (अंतिम अनुमान)

1970-71 की सम्भाव्य हानि के लिए मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं:—

(i) कोयले की विक्रय कीमत में तत्समान वृद्धि के बिना कर्मकारों के परिवर्तनीय दैनिक भत्ते, बिजली चुंगी और मशीनरी तथा उपकरण की लागत में वृद्धि;

(ii) वर्ष के प्रथमार्ध में कोयले की अपर्याप्त मांग; और

(iii) असंतोषजनक परिवहन स्थिति ।

हथकरघा मजदूरों के लिये श्रम कल्याण सम्बन्धी अधिकार

4262. **श्री के० गोपाल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को देश में हथकरघा मजदूरों की बुरी दशा का पता है;

(ख) क्या सरकार का विचार मजदूरों के कल्याण के लिए इन्हें अधिकार देने का है;

(ग) यदि हां, तो कौन से अधिकार देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ख) ऐसे हथकरघा जुलाहों की कार्य-दशाएं । शर्तें जो कारखाना अधिनियम, 1948 द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों में नियुक्त है, उस अधिनियम के उपबन्धों से विनियमित होती हैं । अधिनियम का उद्देश्य

कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण की व्यवस्था करना और उनके कार्य-घंटे नियमित करना है । इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ऐसे कामगरों की, जो अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं, मजदूरी की अदायगी, कार्य-घंटें और सवेतन साप्ताहिक छुट्टी, विनियमित करता है । राज्य सरकारें अधिनियम के सीमा क्षेत्र को हथकरघा उद्योग तक बढ़ा सकती है । केरल और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने पहले ही ऐसा किया है ।

मध्य प्रदेश में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली बारानी खेती के लिये केन्द्रीय सहायता

4263. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) मध्य प्रदेश में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली बरानी खेती के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या बारानी खेती के लिये नियुक्त किये जाने वाले सलाहकार बोर्ड में मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों को शामिल किया जायेगा; और

(ग) बारानी खेती के लिये चुने गये क्षेत्रों के नाम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बारानी खेती के अंतर्गत दो मार्ग-दर्शी परियोजनायें क्रियान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता दी गई । इन परियोजनाओं से आदिवासी तथा गैर-आदिवासी सब भाग लेने वाले किसान लाभान्वित होंगे । विशेष रूप से आदिवासियों के लिये बारानी खेती की कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी नहीं । मंडल के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों का कोई सलाहकार मंडल नहीं है ।

(ग) बारानी खेती के अंतर्गत मार्गदर्शी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये इंदौर तथा रीवा जिले चुने गये हैं ।

World Bank Assistance for Development of Ravine Land of Chambal Valley in Madhya Pradesh

4264. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had approved any scheme for the development of ravine land of Chambal Valley with the assistance of the World Bank ; and

(b) the amount proposed to be spent by Government on this scheme with the assistance of the World Bank ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : No, Sir. But a credit project for Groundwater Development, Farm Mechanization and Land Development has been proposed by Madhya Pradesh Government. Estimated outlay is Rs. 47.40 crores. This proposal also includes Land Development in Chambal Command Area. The project proposal is under consideration.

Acreage of Ravine Land in Madhya Pradesh Fit for Cultivation and Estimated Revenue Therefrom

4265. Shri Hukam Chand Kachwal : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the approximate acreage of ravine land in Madhya Pradesh, which can be utilised for cultivation, grazing and afforestation purposes ;

(b) whether there is a vast forest land there from where essential commodities like timber, gum, tendue leaves etc. can be obtained ;

(c) if so, the revenue earned therefrom by the Central Government ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to boost their production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c) & (d) : The necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में जालसाजी का पता लगाया जाना

4266. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन चार माह पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई जालसाजी तथा अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जांच की थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों को संस्थान के नियमित कर्मचारियों के रूप में नाम दर्ज करके वेतनों के गलत भुगतान तथा बहुमूल्य भण्डारों की हानि का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यौरो ने केन्द्रीय मरूस्थल अनुसंधान संस्थान जोधपुर के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए प्राथमिक जांच की । आरोपों पर और जांच की जायेगी ।

(ख) उपरोक्त जांच के पूरा होने पर ही परिणामों का पता लग सकेगा ।

बंगला देश के शरणार्थियों का अन्य राज्यों को भेजा जाना

4267. श्री एम० सी० सामन्त :
श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला :
श्री रामशेवर प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्यों में बंगला देश से आये शरणार्थियों को अन्य राज्यों में भेजने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए, किन किन राज्यों को चुना गया हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य शरणार्थियों के भेजे जाने पर सहमत हो गये हैं; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल से शीघ्र ही कोई दल अन्यत्र भेजा जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) और (ख) : जी, हाँ । पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में दबाव को कम करने के उद्देश्य से कुछ शरणार्थियों को अन्य राज्यों में भेजने का निश्चय किया गया है । पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को पास के राज्यों, जैसे, बिहार,

उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भेजा जायेगा और त्रिपुरा के शरणार्थियों को आसाम में भेजा जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) 4 जुलाई, 1971 तक मध्य प्रदेश के माना शिविर में 75,639 शरणार्थी भेजे जा चुके हैं। प्रथम जुलाई, 1971 को 1656 व्यक्तियों को लेकर एक शरणार्थी गाड़ी पश्चिम बंगाल से बिहार में गया के निकट एचनपुर शिविर के लिए चल पड़ी है। इन स्थलों पर और दलों को भेजने का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है।

आंध्र प्रदेश द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता देने का अनुरोध

4268. श्री के० सूर्य नारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के बारे में और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गहरे समुद्र में मत्स्य-हरण के विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है और केन्द्रीय सरकार से विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता करके आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य-हरण बन्दरगाहों का शीघ्र सर्वेक्षण करने और गहरे समुद्र में मत्स्य-हरण संसाधनों का समन्वेषीसर्वेक्षण करने के लिए कहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि केरल, तमिल नाडु और मैसूर में इस समय चल रही भारत-नार्वे परियोजना के आधार पर राज्य में नार्वे की सहायता से एक परियोजना स्थापित की जाए।

भारत सरकार ने विशाखापत्तनम में एक मत्स्य-हरण बन्दरगाह के लिए एक परियोजना तैयार करने हेतु धन-राशि मंजूर की है। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशाखापत्तनम में एक मत्स्य-हरण बन्दरगाह की मंजूरी के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त मत्स्य-हरण बन्दरगाहों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। मत्स्य-हरण बन्दरगाहों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजना ने आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य-हरण बन्दरगाह स्थलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और तीन स्थलों के बारे में विस्तृत-रूप से विचार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में भारत-नार्वे परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव के विषय में स्थिति यह है कि मौजूदा करार में, जिसका प्रचलन मार्च, 1972 में समाप्त हो जाएगा, परियोजना की गतिविधियों के विस्तार की व्यवस्था नहीं है। परन्तु भारत नार्वे सहयोग के भावी कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है और इस संदर्भ में आन्ध्र प्रदेश की मांग को दृष्टि में रखा जा रहा है। विशाखापत्तनम स्थित केन्द्रीय गहरे समुद्र में मत्स्य-हरण संगठन की यूनिट को और नए पोत देकर मजबूत किया जा रहा है जिससे कि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके मत्स्य-हरण भूमियों के सामुद्रिक-मानचित्र का कार्य और अधिक बढ़ाया जा सके। पूर्वी तट के तलप्लावी मत्स्य-हरण संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक सर्वेक्षण परियोजना स्थापित करने की सम्भाव्यता के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

राज्यों में बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत बीज फार्म स्थापित किया जाना

4269. **मेजर नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में बड़े पैमाने का पहला यंत्रीकृत बीज फार्म स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इस प्रकार के फार्म अन्य राज्यों में भी स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) ऐसे फार्म स्थापित करने के लिये किन राज्यों ने अनुरोध किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) तमिलनाडु में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) इस फार्म का क्षेत्र 10,000 एकड़ रखे जाने का विचार है।

(ग) तथा (घ) : ऐसे केन्द्रीय राजकीय फार्म राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, मैसूर, केरल तथा असम के मिजो पहाड़ी जिले में पहले ही विद्यमान हैं। एक फार्म पंजाब के जलन्धर नामक स्थान पर भी स्थापित किया जा रहा है ।

ऐसे फार्मों को बिहार तथा असम के मैदान में भी स्थापित करने का विचार है । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी अब तक कोई अंतिम निर्णय नही किया गया है।

छोटे किसानों के लिये विकास एजेंसियों का पुनर्विलोकन

4270. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे किसानों के लिये विकास एजेंसियों के कार्यकरण का उनकी स्थापना काल से आज तक पुनर्विलोकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) पुनरीक्षण वर्ष के अन्त में आरम्भ करने की सम्भावना है तथापि, कार्य की प्रगति पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा हैं ।

बंगलौर में कम्पनियों के बी० एस० टी० ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

4271. **श्री बी बी नायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बंगलौर में कम्पनियों के बी० एस० टी० ग्रुप के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्य सामग्री सप्लाई करने सम्बन्धी योजना

4272. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों द्वारा उपभोग किया गया सारे का सारा चावल केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किया गया था या इसका कुछ भाग केन्द्र और कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किया गया था;

(ख) चावल के कुल उपभोग के नवीनतम आंकड़े क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या क्या खाद्य पदार्थ विशेष रूप से महिलाओं के लिए सप्लाई किये गये; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को खाद्यान्न की सप्लाई और उपयोग के बारे में कोई समरूप योजना का सुझाव दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राज्य सरकार को अपनी सरकारी विवरण की सामान्य आवश्यकताओं तथा पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिए केन्द्रीय पूल से चावल सप्लाई किया जाता है। पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास विभाग को भी केन्द्रीय पूल से कुछ चावल सप्लाई किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से प्राप्त किए गये तथा राज्य में अधिप्राप्त किए गए चावल को दोनों सरकारी वितरण (जिसके अन्तर्गत राज्य में स्थित शिविरों के बाहर रह रहे विस्थापित भी आते है) तथा विस्थापित शिविरों के लिये प्रयोग किया जाता है।

(ख) इससे सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) भारतीय रैड क्रास सोसाइटी आदि जैसे स्वयं-सेवी संगठनों के माध्यम से चावल, गेहूँ, सरसों का तेल, दाले, चीनी तथा नमक के अलावा विशेषत:शिशुओं के लिए दुग्ध चूर्ण और शिशु-आहार सप्लाई किया जा रहा है।

(घ) जी हां, । केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को सहायता शिविरों में विस्थापितों को सप्लाई की जाने वाली राशन की मात्रा के बारे में सूचित किया है।

विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन पर अनुसंधान

4273. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किन्ही विश्वविद्यालयों में मत्स्य पालन पर समुचित अनुसंधान के लिये कोई विषय रखे हैं; और

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों का देश में स्वच्छ जल के विकास और समुद्र में मछली पकड़ने में क्या वास्तविक अंशदान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। मीन उद्योग सम्बन्धी पांच

अनुसंधान योजनाओं पर पहले से ही भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम चल रहा है।

(ख) बहुत से भारतीय विश्वविद्यालयों में एम० एम० सी० में विशेष विषय के रूप में मीन तथा मीन उद्योग के अध्यापन की व्यवस्था है और कुछ समुद्रीय राज्यों में एम० एम० सी० पाटयक्रम में समुद्रीय जीव विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान के अध्यापन की भी व्यवस्था है। इन विश्व-विद्यालयों में इस विषय पर डाक्टरेट डिग्री के लिये अनुसंधान की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि विज्ञान विश्व-विद्यालय, बंगलौर तथा कालीकट विश्व-विद्यालय ने स्नातकपूर्व स्तर पर मीन उद्योग पाठयक्रम भी प्रारम्भ किये हैं। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप अर्हतायुक्त वैज्ञानिकों की उपलब्धि में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

मत्स्य सहकारी समितियां और उन्हें मत्स्य नौकाओं और गीयरों की सप्लाई

4274. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के अधिकाँश समुद्रतट वाले राज्यों में मत्स्य सहकारी समितियों पर मछली व्यापारियों का नियंत्रण है;

क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि सहकारी समितियों को रियायती दर पर सप्लाई की गई नौकाओं और मछली गीयरों का प्रयोग प्राय: बिचौलिये व्यक्तियों और व्यापारियों के लाभ के लिये किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1962 में इस मंत्रालय द्वारा मछुवा सहकारी समितियों के अध्ययन के लिये स्थापित अध्ययन दल ने मछुवों के सहकारी आन्दोलन की असन्तोषजनक प्रगति के कारणों का विशलेषण किया था। इसका एक कारण यह बतलाया गया कि 'सहकारी समितियों में कुछ निहित स्वार्थ आ घुसे हैं और धन-राशि केवल चुनींदा प्रभावशाली व्यक्तियों को ही दी जाती है। रिर्पोट उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

सहकारी समितियों की समस्याओं पर जून 1968 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और निहित स्वार्थों की वृद्धि को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कुछ उपाय सुझाये गये थे। इस मंत्रालय द्वारा जुलाई 1968 में ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई थी। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सहकारी अधिनियमों में इस प्रकार के समुचित संशोधन किये जायें कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसी सहकारी समितियों का सदस्य बनने की अनुमति न दी जाये, जो कि उस सहकारी समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार को निजी तौर पर भी करते हैं। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों द्वारा इस दिशा में पहले ही कार्य-वाही की जा चुकी है।

वाणिज्यक और भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी आंकड़े

4275. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) वाणिज्यिक और नौसेना के जहाजों द्वारा मछली पकड़ने के आँकड़े एकत्र करने के बारे में कोई कार्य किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारतीय जल सेना और मर्चेन्ट नेवी द्वारा मीन पकड़ने के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

कर्मचारी राज्य बीमा से प्राप्त होने वाले लाभ

4276. श्री सी० जनार्दनन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरिंग संघ द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा से प्राप्त होने वाले लाभ का दुरुपयोग किये जाने के बारे में की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में विचार किया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) भारतीय इंजीनियरी संघ ने विशेष रूप से हड़तालों, तालाबंदियों, आदि की समयावधियों के दौरान अनुपस्थिति की अत्यधिक घटनाओं पर प्रकाश डाला था, क्योंकि श्रमिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों से डाक्टरी छुट्टी प्राप्त की थी । इस प्रकार की समयावधियों के दौरान बीमारी की अत्यधिक घटनाओं का निगम द्वारा विशेष अध्ययन किया गया; जिसके हर सम्भव प्रशासनिक औपचारिक उपाय अपनाए हैं । अन्य वैधानिक उपाय निगम के विचाराधीन हैं ।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए योजना

4278. श्री वी० के० दास चौधरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पिछड़े हुए क्षेत्रों के किसानों को सहायता करने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम और तत्कालिक योजना बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की है जिससे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, पश्चिम दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में सिंचाई में संबंद्धर्न के लिए नलकूपों और पम्पों को चलाया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की मुख्य बात क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल के पिछड़े हुए क्षेत्र की सहायता करने के लिए सरकार के पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है । तथापि सरकार के पास दो योजनाएं हैं अर्थात् "छोटे किसानों की विकास एजेन्सी" और "सीमान्तक किसानों और कृषि श्रमिक ।"

छोटे किसानों के विकास की एजेन्सी नामक योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के (1) दार्जिलिंग (2) पश्चिमी दिनाजपुर और (3) हुगली जिले आते हैं । अपने लघु सिंचाई

साधनों और कुक्कुट पालन तथा पशुपालन कार्यों का विकास करने के लिए चौथी पंच-वर्षीय योजना में 2.5 से 5 एकड़ तक की जोत वाले लगभग 6,500 से 7,000 छोटे किसानों को, दार्जिलिंग में और हुगली तथा दिनाजपुर प्रत्येक में 50,000 छोटे किसानों को ऋण तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं द्वारा सहायता दी जाएगी ।

दूसरी योजना, अर्थात् सीमांतक किसान और कृषि श्रमिक योजना सामान्यतः 2.5 एकड़ से कम जोत वाले सीमांतक किसानो और कृषि श्रमिकों की आय में सुधार करने और सहायक रोजगार मुहय्या करने के लिए, कृषि के साथ-साथ, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मछली पालन आदि कार्यवाहियां प्रारम्भ करने में सहायता देने के लिए है । इस प्रायोजना में कृषि श्रमिकों को गैर मौसम के दौरान मजदूरी रोजगार भी मुहय्या करने की योजना हैं । यह योजना दो जिलों अर्थात् बांकुरा और पुर्लिया के लिए है । अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहय्या करने में सहायता करने के लिए इनमें से प्रत्येक परियोजना में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए 16 लाख रुपये की राशि निर्धारित कर दी गई है ।

(ख) तथा (ग) पश्चिमी बगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल में खेजूरियाघाट/पुराना माल्दा इन दो स्थानों में से किसी एक में अनुमानितः 45 करोड़ रुपये की लागत से 240 मैगावाट क्षमता के एक तापीय बिजली-घर की स्थापना करने के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

इस बिजली घर में प्रत्येक 120 मिलियन वाट के दो सैटों की स्थापना होगी और उनसे 10330 ल.ख किलोवाट बिजली प्रत्येक वर्ष विक्रय के लिए होगी।

यह बिजली घर जलपाइगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच-बिहार, माल्दा, पश्चिमी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद के जिलों, और उत्तरी बिहार जिसके ग्रिड़ के साथ इसे अन्तः सम्बद्ध किया जाएगा, में सामान्य, उद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए है । अन्य बातों के अतिरिक्त, यह बिजलीघर नलकूपों और पम्पों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा ।

बंगला देश के विस्थापितों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजा जाना

4279. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने बंगला देश के 50,000 विस्थापितों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यह मान लिया जाता है कि यह प्रश्न 25-3-1971 से पूर्व की अवधि में पूर्वी-पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के सम्बन्ध में है । यह अनुमान है कि जब अपेक्षित भूमि साफ कर ली जाएगी तो पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों और अन्य देशों से स्वदेश लौटे भारतीयों के कुल मिलाकर लगभग 6,000 परिवार (लगभग 30,000 व्यक्ति) प्रारम्भ में अन्दमान व निकोबार द्वीपों में बसाये जा सकेंगे ।

(ख) द्वीपों में जैसे ही अपेक्षित भूमि की सफाई हो जाएगी और आधार-भूत-सुविधाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, अनुमानित संख्या में परिवार बसा दिये जायेंगे । इस प्रयोजन के लिए कोई ध नहीं रखी गई हैं ।

कूच बिहार को खराब चावल सप्लाई किए जाने के बारे में शिकायतें

4280. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम ने गत मार्च और अप्रैल में कूचबिहार की जनता को इस प्रकार का चावल सप्लाई किया था जो मनुष्यों के योग्य नहीं समझा जाता था और कूचबिहार में खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें की गई थीं;

(ख) इस सम्बन्ध में उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कूचबिहार में भारतीय खाद्य निगम के बड़े बड़े गोदाम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है और क्या स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए निगम के कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर

4281. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज की बहुत कम दर (अर्थात् 5·8 प्रतिशत) दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया हैं और भारत सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) वर्ष 1971-72 के लिए छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में निधि के सदस्यों के लेखों में जमा राशि पर घोषित ब्याज की दर 5.8 प्रतिशत है । इस दर को बहुत कम दर नहीं कहा जा सकता । पिछले कई वर्षों से भविष्य निधि में जमा राशि के निवेश में उत्तरोत्तर उदारीकरण द्वारा इस दर की घोषणा संभव हुई है । इसमें और उदारीकरण करने के उद्देश्य से निवेश के ढांचों का सतत पुनरीक्षण करते रहने का विचार है ।

Development Schemes for Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradsh.

4282 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the schemes launched by Govenment for the development of Hoshang-

abad and East Nimar districts of Madhya Pradesh during the last three Five Year Plans;

(b) whether Government have formulated some schemes for the development of the said Districts during the Fourth Five Year Plan and if so, the main features thereof. and

(c) if not. whether Government propose to formulate some schemes for the development of the said districts ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : According to information furnished by the State Government in the last three Five Year Plans. Schemes of minor irrigation and water use and tubewell construction have been implemented in Hoshangabad district. Cotton Package scheme in East Nimar district and schemes of soil and water conservation, tractoristion, plant protection and high fertilisers, intensive agricultural area programme in both these districts. These schemes are being continued in the Fourth Five Year Plan, besides the new schemes proposed for Tawa Ayacut and intensive multiple cropping in both the districts, farmers training centre in Hoshangabed district and tubewell construction and multi-Purpose development in East Nimar district.

Sugar and Foodgrains Allotted and Supplied to States During 1970 and 1971

4283. Shri G. C. Dixit : Will the Ministar of **Agriculture** be Pleased to state the quantity of foodgrains and sugar allotted to the States by the Central Government during the years 1970 and 1971 and the quantiy actually supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : The following quantities foodgrains and sugar were allotted and supplied to States by the Central Government during the year 1970 and during the year 1971 so far:—

	Year	Quantity allotted	(In lakh tonnes) Quantity supplied despatched
(i) Foodgrains	1970	90.0	66.82
	1971	40.59	21.63 (Upto May, 71)
(ii) Sugar	1970		
	Levy	30.0	
Free sale		15.3	
	1971		
	Levy	9.7*	***
Free sale		14.8**	

* Upto April-May, 1971 quota. Control on prices, distribution and movement of sugar has been lifted with effect from 25.5.1971 and, therefore, there have been on further allotments of levy sugar after April-May, 1971 quota.

** Upto June 1971

*** In respect of supplies, the position is that quotas of levy sugar were allotted to the State Governments and it was for them to arrange lifting of the quota allotted. No supplies were made directly by the Central Government. In case of sugar released for sale in the open market, the factories are free to sell it anywhere in the country.

Supply of Inferior Hybrid Jawar Seeds by National Seeds Corporation

4284. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be Pleased to state:

(a) whether the National Seeds Corporation and other agencies supplied inferior variety of hybrid Jawar Seeds to farmers in Madhya Pradesh during the year 1969—70,

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the persons responsible for supplying inferior variety of seeds resulting in loss to farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh : (a) The National Seeds Corporation have not supplied inferior quality of Hybrid Jawar seed to Madhya Pradesh State during 1969—70. No complaints have been received from the State Government or from the farmers.

(b) and (c) Does not arise.

राजस्थान में उदयपुर की झामर कोटड़ा खानों में राक फोस्फेट का जमा होना

4285. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की कमी के कारण राजस्थान के उदयपुर जिले की झामर कोटड़ा खानों में राँक फोस्फेट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :

(ख) क्या मालडिब्बों की कमी के परिणाम स्वरूप रेलवे स्टेशनों पर राँक फोस्फेट के भारी भण्डार जमा हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर जमा हुए भण्डारों को उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने जो कि झामर कोटरा राँक फास्फेट खानों पर कार्य कर रही है, यह रिपोर्ट दी है कि रेलवे वैगनों की कमी के कारण खानों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और उदयपुर में लगभग 20,000 टन राँक फास्फेट संचयित हो गया है ।

(ग) रेल प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वह प्रतिदिन 50-60 वैगनों की आपूर्ति करे जब कि इस समय वैगनों की औसतन दैनिक आपूर्ति लगभग 20 है । साबरमती से होते हुए छोटे मार्ग से चलने पर घाट खण्ड की ढुलाई क्षमता की परिसीमा के कारण प्रेक्षक की सहमति से, अयस्क वैगनों को रतलाम में लम्बे मार्ग के साथ-साथ छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर वाहनान्तरण करने के लिए रेलवे प्राधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार उन फैक्टरियों को, जो गुजरात की फैक्टरियों की तरह उदयपुर के समीप स्थित है, उत्पादन को भागतः सड़क द्वारा परिवहन करने की व्यवस्था भी कर रही है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कार्य का विकास

4286. श्री डी० के० पंडा : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं; और

(ख) इस समय यदि गहरे समुद्र से मछली पकड़ी जाती है तो प्रतिवर्ष कितनी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) जी हां, सरकार मत्स्य बन्दरगाहों

मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण, मध्यम तथा बड़े मत्स्य हरण जलयानों के चलन और देशीय जलयानों के निमार्ण के लिये राज सहायता की योजनायें कार्यान्वित कर रही है ।

बन्दरगाह : चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में मुख्य पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों के लिये 13.50 करोड़ रुपये का तथा लघु पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों के लिए 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । प्रथम योजना के अन्तर्गत मद्रास (388.50 लाख रुपये) बम्बई (474.00 लाख रुपये) रयावौक (152 लाख रुपये) तथा कोचीन (272.40 लाख रुपये) में मत्स्य बन्दरगाह स्वीकृत किये गये है । लघु पत्तनों पर स्थित कुछ मत्स्य बन्दरगाहें हैं अर्थात तूतिकोरिन (208 लाख रुपये) विजिनजोम (173 लाख रुपये) तथा कारवांर (23.82 लाख रुपये) गहन समुद्र मत्स्य हरण जलयानों का भी संचालन कर सकेगी ।कांडला में गहन समुद्र मत्स्य हरण जलयानों के लिये पहले से ही सुविधायें उपधब्ध है और बड़े जलयानों के संचलन को सुगम बनाने के लिए वेरावल में जलमार्ग को गहरा करने की एक योजनाहाल ही में स्वीकृत की गई है ।

सर्वेक्षण : गहन समुद्र मीन हरण संगठन, बम्बई द्वारा अपनी कोचीन, तूतिकोरिन तथा विशाखापत्तनम की शाखाओं सहित गहन समुद्र मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है । चतुर्थपंचवर्षीय योजना की अवधि में कांडला, वेरावल, गोवा, मंगलौर, मद्रास, पैरादीप, कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर में अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । सर्वेक्षण जलयानों के बेड़े को, जिसमें से कई जलयान काफी पुराने हो चुके है, 57 फुट लम्बे 20 देशीय जहाजों तथा तीन बड़े जलयानों से, जिनमें से एक पहले ही आयात किया जा चुका है, बढ़ाया बदला जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 18 देशीय 57 फुट लम्बे जहाज भी सर्वेक्षण तथा वाणिज्यिक मत्स्य हरण का कार्य करेंगे । भारत नार्वे परियोजना, जो कि चार बड़े जहाजों का संचालन करती है, गहन समुद्र सर्वेक्षण-कार्य को सक्रियता से कर रही है । इन समस्त जलयानों द्वारा 25 फैदम से 200 फैदम की गहराई तक के गहन समुद्र क्षेत्रों को आवृत किया जायेगा ।

जलयानों का आयात : गहन समुद्र मात्स्यकी के उपयोग की गति को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार 67 फुट से 108 फुट तक के 30 बड़े जलयानों के आयात की एक योजना क्रियान्वित कर रही है । इस योजना की शर्त के अनुसार आयात किये गये प्रत्येक दो जलयानों के लिये देश में एक जलयान का निर्माण किया जाना है योजना के अन्तर्गत आयात किये गये दो जलयान भारत में पहुंच गये हैं और योजना में भाग लेने वालों द्वारा 11 जलयानों के लिये देशी जहाज-निर्माण यार्डों को आदेश दिये गये हैं ।

विदेशी पार्टियों के सहयोग से आयातित तथा देशी जलयानों का उपयोग करने वाली गहन समुद्र मत्स्य हरण परियोजनाओं के प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

देशी मत्स्य हरण टालरों के लिये राज-सहायता : देश में ही निर्मित किये गये जलयानों द्वारा गहन समुद्र मत्स्य हरण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने देश में ही निर्मित इस्पात के गहन समुद्र मत्स्त हरण की जलयानों की लागत में उन्हीं के समकक्ष आयातित जलयानों की लागत, बीमा एवं भाड़ा लागत की $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की सीमा आर्थिक सहायता देने की एक योजना चालू की है ।

(ख) वर्ष 1968 से 1970 की अवधि में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के गहन समुद्र मत्स्य हरण जलयान द्वारा पकड़ी गई मछलियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	गहन समुद्र मीन-गहन जलयानों द्वारा पकड़ी गई मछली
1968	3645 मीटरी टन
1969	4030 मीटरी टन
1970	4300 मीटरी टन (अनुमानित)

अन्तर्देशीय मछली उद्योग में प्रगति

4287. श्री डी० के० पंडा : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना के अन्त से भारत में अन्तर्देशीय मछली उद्योग में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस क्षेत्र में प्रति वर्ष कितनी अधिक मछलियां पकड़ी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) तथा (ख) दूसरी योजना में मीन अन्तर्देशीय मीन उद्योग के पर 3.27 करोड़ के करीब व्यय किया गया । तीसरी योजना में अन्तर्देशीय मीन उद्योग के विकास की योजनाओं पर 8·09 करोड़ रुपये व्यय किये गये । चौथी योजना में इस के लिए 17.05 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं । इन योजनाओं में जलाशयों का विकास और लाभ उठाना, मीन पालन को गहन करना, व्यर्थ जल का प्रयोग, विहढ़ मीन उद्योग का विकास, मीन अंडे उत्पादन की वृद्धि और नर्सरियां आदि बनाना शामिल है । चौथी योजना के अन्त तक 8 लाख मीटरी टन अन्तर्देशीय मीन उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य है ।

अन्तर्देशीय मीन उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1960 में 2.80 लाख मीटरी टन की तुलना में वर्ष 1969 में 6.93 लाख मीटरी टन मछली पकड़ी गई । यह अनुमान है कि वर्ष 1970 में अन्तर्देशीय मीन उत्पादन 7 लाख मीटरी टन तक पहुंच जायेगा ।

1960 से 1970 तक अन्तर्देशीय मीन का वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है:—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
1960	2.80
1961	2.77
1962	2.30
1963	3.90
1964	4.60
1965	5.07
1966	4.77
1967	5.37
1968	6.22
1969	6.93
1970 (अनुमानित)	7.00

सिंचाई के टैंकों और कुंओं में मत्स्यपालन

4288. श्री डी०के० पंडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या समस्त देश के सिंचाई के टैंकों और कुंओं में मत्स्य पालन लागू की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) (क) और (ख) सिंचाई के तालाबों और कुंओं में मत्स्यपालन करने के विषय में कोई केन्द्रीय योजना विचाराधीन नहीं है। राज्य योजनाओं में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम में सिंचाई के तालाबों और कुंओं में मत्स्यपालन भी शामिल है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सिंचाई के तालाबों और जलाशयों में मत्स्यपालन के विकास के लिए अलग से योजनायें तैयार की है। इनके प्रचालन की मात्रा उपलब्ध स्रोतों पर निर्भर करती है। वास्तव में इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य सिंचाई के कुंओं और जलाशयों में शीघ्र बढ़ने वाले डिम पोनों का संचयन करना है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में बड़े सिंचाई कुंओं का संचयन किया गया है। इस कार्य के लिए डिम पोनों के पालन हेतु विशेष नर्सरी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

बिहार स्थित बोकारो कोयला खान द्वारा कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान न किया जाना

4289. श्री माधुर्य्य हालदर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित बोकरो कोयला खान के प्रबन्धक मई मास से कर्मचारियों को गत अनेक सप्ताहों का वेतन देने से इन्कार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों के वेतनों की अदायगी कराने के लिये बोकारो कोयला खान के प्रबन्धकों को बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही की हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं हैं। (ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को स्थानीय छोटे-छोटे ठेकेदारों द्वारा कच्चे माल की सप्लाई

4290. श्री माधुर्य्य हालदर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की गढ़ाई शाप को इस समय स्थानीय छोटे-छोटे ठेकेदार कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) (क) और (ख) गढ़ाई कर्मशाला के लिये कच्चा माल 12 फर्मों से प्राप्त किया जा रहा है जिनमें दो स्थानीय फर्में भी हैं। फर्मों को माल की सप्लाई के आर्डर उनकी क्षमता सुपुर्दगी की तारीखों की उपयुक्तता तथा प्रतियोगी मूल्यों के आधार पर दिये गये हैं।

कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की क्रियान्विति

4291. श्री एस०एस० बनर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 सभी राज्यों में लागू हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया है; और

(घ) इस योजना को किन-किन उद्योगों ने लागू कर दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू है, धारा 6(ए), के अधीन बनाई गई है। यह योजना 1-3-1971 से चालू की गई और यह ऐसे करखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होती है जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, बशर्ते कि वे कर्मचारी भविष्य निधि या भविष्य निधि के सदस्य हों जिन्हें अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है।

Welfare Works for Coal Mines Workers

4292. Shri Damodar Pandey : will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) whether the welfare works being carried out for the coal mines workers have been out short considerably on account of financial crisis being faced by the Coal Mines Welfare Organisation; and

(b) if so, the steps being taken by Government to improve the financial position of the said Organisation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Due to deficti in the General Welfare Account of the Coal Mines Labour Welfare Fund, certain Welfare Schemes which are not very important or so popular, have been dropped or curtailed for the present; and

(b) Various measures of economy are being implemented to improve the financial position of the Fund. In addition, ways and means for augmenting the resources of the Fund are also being considered.

सड़क परिवहन द्वारा खाद्यान्नों का भेजा जाना

4293. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से रेल के माल डिब्बों की निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुए क्या

सरकार ने हरियाणा और पंजाब से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न भेजने के लिए अपना सड़क परिवहन प्रबन्ध बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) क्या इस समय खाद्यान्न भेजने के लिए ही सड़क परिवहन का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां तो गत तीन वर्षों से वर्षवार इस लेखे पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और किस एजेन्सी के माध्यम से खाद्यान्न भेजा जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अधिप्राप्त की व्यस्ततम अवधि में रेल द्वारा खाद्यान्न भेजने के अलावा, खाद्यान्नों को सड़कों के रास्ते भी भेजा जा रहा है ताकि यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्नों की निकासी हो सके। भारतीय खाद्य निगम अपनी परिवहन-व्यवस्था रखने की व्यवहार्यता की जांच करने के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचा है कि इस प्रकार की व्यवस्था वित्तीय दृष्टि से लाभकारी नहीं होगी। तथापि, हरियाणा से दिल्ली को पहले और उत्तर प्रदेश व राजस्थान को बाद में खाद्यान्न भेजने के लिए सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और प्राइवेट ट्रक मालिकों के ट्रकों का प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। लम्बी दूरी और मार्ग सम्बन्धी सम्भावी कठिनाइयों के कारण पश्चिमी बंगाल को सड़क के रास्ते खाद्यान्न भेजना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है।

(ख) हरियाणा से दिल्ली को खाद्यान्न भेजने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार स्थानीय ट्रक संघों के माध्यम से ट्रकों का प्रबन्ध कर रही है। वर्षवार, भेजी गई कुल मात्रा और उस पर हुआ खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	कुल परिवहन-प्रभार (रुपयों में)
1968-69	23,881	2,46,896.00
1969-70	39,684	7,57,448.00
1970-71	57,225	10,50,680.00

केरल में सल्फर पाइराइट के निक्षेप

4294. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वायनाद क्षेत्र में सल्फर पाईराइट के निक्षेप है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस खनिज पदार्थ से सल्फर निकालने का कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) इस क्षेत्र में अनुमानत: इस खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वायनाद क्षेत्र में स्वर्ण के लिए किए गए अन्वेषणों के दौरान हेरवुड और एल्फा-विक्टोरिया खानों में अधिकतर विकीर्णन और प्रसामान्यत:सूक्ष्म शिराओं और लम्ब-पट्टियों के रूप में पाइराइट (लौह सल्फाइड) का प्राप्ति स्थल देखा गया था।

(ख) वायनाद क्षेत्र में पाइराइट के लिये और अधिक अन्वेषण नहीं किए गए क्योंकि सल्फाइड खनिजीकरण यत्र तत्र विकीर्ण और चकतीदार प्रकृति का था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नए इस्पात संयंत्रों के लिए परामर्शदात्री फर्मों की नियुक्ति

4295. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) विशाखापतनम, होजपेट और सेलम में प्रस्तावित नए संयंत्रों (2) भिलाई और बोकारो विस्तार परियोजनाओं, और (3) दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना के लिए परामर्शदात्री फर्में नियुक्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या है; और

(ग) केन्द्रीय इंजीनियरिंग और डिजायन ब्यूरो द्वारा इसमें अन्तर्ग्रस्त परामर्श सम्बन्धी कार्य का कौन सा भाग पूरा किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा स्मांकन ब्यूरो (सी० ड० डी० वी०) को हास्पेट इस्पात परियोजना के लिए तकनीकी-अर्थिक-शाक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। विशाखापतनम् तथा सेलम की अन्य दो नई इस्पात परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० (दस्तूरको) को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

यद्यपि हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा स्मांकन ब्यूरो को बोकरो के द्वितीय चरण के लिए मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया गया है तथापि द्वितीय चरण में मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी का उन क्षेत्रों तथा उन कामों के लिये सहयोग प्राप्त करने का विचार है जो उन्हें प्रथम चरण में सौंपे गए थे।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों अर्थात भिलाई इस्पात कारखाने और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी तथा स्मांकन ब्यूरो परामर्शदात्री कार्य कर रहा है।

बैंज और पैड्रो किनारों पर समुद्र तल का चार्ट और मान-चित्र बनाया जाना

4296. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंज और पैड्रो किनारों पर समुद्र तल के चार्ट और मानचित्र बनाने का काम पूरा कर लिया हैं;

(ख) क्या हाल ही में आध्र प्रदेश के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में ऐसे किन्हीं किनारों का पता चला है जहां झींगा मछली अधिक पाई जाती हो; और

(ग) गत तीन वर्षों में बैंज और पैड्रो किनारों में से अनुमानतः कितनी मछली पकड़ी गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बैंज तथा पैड्रो किनारों के समन्वेषी सर्वेक्षण विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये गये। पहले के सर्वेक्षण मद्रास सरकार (1908, 1916, 1926 तथा 1927) एवं ट्रावनकोर विश्वविद्यालय (1949-50) द्वारा किए गए थे। हाल के

वर्षों में भारत सरकार के तट दूर मीन-ग्रहण केन्द्र तथा भारत-नार्वे परियोजना ने कुछ सर्वेक्षण किये हैं। अब तक सब किनारों का चार्ट बनाना सम्भव न हो सका।

(ख) आंध्र प्रदेश के तट से झींगा मछलियों का पकड़ना वर्ष 1965 में 3871 मीटरी टन से वर्ष 1970 में 6881 मीटरी टन तक बढ़ा, लेकिन आँध्र प्रदेश के तट से दूर दक्षिण पश्चिम तट पर झींगा मछलियों की अधिक प्रतिशतता के क्षेत्रों का अब तक पता नहीं लगाया गया है।

(ग) पैड्रो तथा वैंज किनारों से मछली पकड़ने के अलग-कलग रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

मनीपुर में गोदामों का निर्माण

4297. श्री एन टोम्बी सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गत फसल के समय मनीपुर में वसूल किया गया सारा धान सरकारी गोदामों में रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों की भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है अथवा वह पहले से ही बढ़ी हुई है;

(ग) ये गोदाम किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और उनकी क्षमता क्या होगी तथा निर्माण की तारीख क्या है;

(घ) क्या मनीपुर की सरकार और अधिक गोदामों के निर्माण के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां' तो ये निर्माण कहां और कब हो रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) गोदामों का स्थान, उनकी क्षमता तथा उनके निर्माण का वर्ष बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मणिपुर सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 500 मी० टन और 5000 मी० टन क्षमता के दो गोदाम पहले ही क्रमशः तमेंलांग मुख्यायल और संगाईप्राउ (इम्फाल) में बनवाये जा रहे हैं। मणिपुर सरकार पहाड़ी जिलों के विभिन्न स्थानों में 4,600 मी० टन की कुल क्षमता के और गोदाम बतवाने के मामले पर विचार कर रही है।

विवरण

केन्द्र शासित क्षेत्र मणिपुर के गोदामों का स्थान, क्षमता और निर्माण-वर्ष बताने वाला विवरण।

गोदामों का स्थान	क्षमता (मी० टन में)	निर्माण का वर्ष
कोईरंगेल	7,500	1958
संगेप्राउ	6,000	1967-68
बिशेनपुर	1,000	1970-71
थोबल	1,000	1970-71
चरचंदपुर	500	1970
जिरीबाम	1,000	1971

मनीपुर में धान की अधिक उपज देने वाली नस्ल का प्रयोग

4298. श्री एन० टोम्बीसिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में धान की अधिक उपज देने वाली किन-किन किस्मों का प्रयोग किया गया है तथा मनीपुर के लिए किन-किन किस्मों को उपयुक्त पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अधिक मात्रा में उपयुक्त किस्मों के उत्पादन के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) आई०आर० 8 और 'जय' नामक दोनों ही किस्में, जिनकी परीक्षा की गई, उपयुक्त पायी गयी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1970-71 में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों से संभावित 8090 हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में वर्ष 1971-72 के लिए लक्ष्यांक 12140 हेक्टेयर रखा गया हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभागीय फार्मों केन्द्रों में विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के अन्तर्गत 'पंकज' 'जगन्नाथ, "वाला," जमुना 'तथा' साबरमती' की नयी जारी की गयी किस्मों के परीक्षण तथा बीज संवर्धन की व्यवस्था की गयी है।

मनीपुर के जिला मुख्यालय में रोजगार दफ्तरों की शाखाओं का खोला जाना

4299. श्री एन० टोम्बीसिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के सभी जिला मुख्यालयों में रोजगार दफ्तर की शाखाएँ खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता कब तक पड़ेगी;

(ग) क्या रोजगार के क्षेत्र में नई शाखाएं खोलने के परिणाम अच्छे निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों तक पंजीकरण सुविधाएं बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए नारवेजियन रेडक्रास से प्राप्त मछली

4300. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए नारवेजियन रेड क्रास सोसाइटी की ओर से लगभग 100 मीट्रिक टन 'काड' नामक मछली प्राप्त हुई है;

(ख) क्या हैजे के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार शरणार्थियों में इस मछली को नहीं बांट सकी है;

(ग) क्या सरकार ने सभी देशों को अपेक्षित सहायता के बारे में सूचित कर दिया है; और

(घ) सरकार ने 100 मीट्रिक टन काड नामक मछली का किस प्रकार निपटारा किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। कुल मात्रा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, पश्चिम बंगाल शाखा, कलकत्ता के नाम भेज दी गई थी।

(ख) कुल मात्रा आसाम (कच्छार जिले को छोड़कर), मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में जहां कि हैजा नहीं फैला था या हैजा फैलने की कोई आशंका नहीं थी, बांट दी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) भाग में दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा कपास का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में तैयार की गई योजना।

4301. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के महानिदेशक द्वारा बनाई गई योजना को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के अधीन वर्ष 1971-72 की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि किसी योजना को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) से (ग) :

1. नीति :

कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा अपनाई गई नीति के तीन भाग हैं; (i) खाद्य फसलों के लिये संगठित राष्ट्रीय प्रदर्शनों की तरह रूई के क्षेत्र के नये निष्कर्षों पर आधारित मार्गदर्शी अध्ययनों को प्रारम्भ करना, (ii) प्रत्येक मुख्य रूई उत्पादक राज्य में चुनींदा महत्वपूर्ण जिलों में, जैसा कि खाद्यान्नों के मामले में किया गया था, सघन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया जायेगा (iii) नव विकसित किसमों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि तथा फसल रक्षण तकनीकों का पता लगाने के लिये रूई अनुसंधान को और अधिक सुदृढ़ करना।

की गई कार्यवाही :

1. मार्गदर्शी अध्ययन :—वर्ष 1971-72 के दौरान अखिल भारतीय समन्वित रूई सुधार परियोजना के अन्तर्गत देश के उत्तरी, केन्द्रीय तथा दक्षिणी कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित 26 केन्द्रों में रूई की अधिक उत्पादन संभाव्यता वाली तथा अधिक बुनाई क्षमता वाली किसमों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी अध्ययन आरम्भ किये गये हैं।

2. सघन रूई जिला कार्यक्रम :—केन्द्रीय कृषि विभाग ने सघन कृषि जिला कार्यक्रम के आधार पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 14·74 करोड़ रुपये के परिव्यय से सघन रूई जिला कार्यक्रम की एक नई योजना स्वीकृत की है, यह कार्यक्रम पाच राज्यों जहां कि रूई का क्षेत्र सुगठित तथा पर्याप्त मात्रा में है, के सिंचित क्षेत्रों में स्थित 6 जिलों में लागू किया जायेगा। कपास के उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोगी पाई गई पैकेज प्रणालियों को इन जिलों में लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे प्रयत्न किये जायेंगे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छांटे गये 7 जिलों में 20,000 हेक्टार वर्षा सिंचित क्षेत्र को मार्गदर्शी आधार पर ले लिया जायेगा, प्रमाणित बीजों, कीटनाशी औषधियों तथा उर्वरकों पर इस योजना के अधीन राज सहायता प्रदान कर समुचित प्रोत्साहन पहले ही दिये जा चुके हैं।

3. रूई अनुसंधान का सुदृढ़ करना :—वर्तमान अखिल भारतीय समन्वित रूई सुधार परियोजना को जोकि वर्ष 1971-72 से वर्ष 1973-74 तक 18·75 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई है, सुदृढ़ करने के प्रस्ताव परिषद के विचाराधीन है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये खाद्य सामग्री की सप्लाई लेने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अधिकार दिया जाना

4302. श्री एस०एम० कृष्ण :
श्री निहार लास्कर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत को पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को वितरण करने हेतु खाद्य सामग्री की सप्लाई प्राप्त करने का अधिकार दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन ने कुल कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री की सप्लाई की है; और

(ग) यह मात्रा किस सीमा तक पर्याप्त होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक ने, विश्व खाद्य कार्यक्रम को पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को वितरण करने हेतु उनके आपात बजट में से, 6250 मीट्रिक टन दूध का पाउडर, 1350 मीट्रिक टन खाने का तेल और 200 मीट्रिक टन दालें सप्लाई करने का अधिकार दे दिया है।

(ख) (i) दूध का पाउडर 1750 मीट्रिक टन
(ii) खाने का तेल 811 मीट्रिक टन
(iii) दालें 200 मीट्रिक टन

(ग) इन मात्राओं से हमारी शरणार्थियों की आवश्यकता की केवल एक अंश की ही पूर्ति होगी। हमारी शेष आवश्यकताएं देशी स्टाक और विदेशी सरकारों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहायता से पूरी की जा रही है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के श्रमिकों को मंहगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाना

4303 श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रबन्धकों ने श्रमिकों को मंहगाई के अनुसार भत्ता दिये जाने सम्बन्धी करार को क्रियान्वित नहीं किया है जिसको उन्होने वर्ष 1968 में मान्यता प्राप्त संघ के साथ किये गये एक करार में क्रियान्वित करना स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस करार को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) (क) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत नवम्बर, 1969 में हुए समझौते में मंहगाई भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित धारा की व्याख्या के सम्बन्ध में भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त मजदूर संघ के बीच हाल में हुए मतभेद की ओर है। अब इन मतभेदों को सीधी बातचीत द्वारा मैत्री पूर्ण ढ़ंग से दूर कर लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रबन्धकों द्वारा बस्ती रखरखाव निधि का उपयोग किया जाना

4304. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने गत तीन वर्षों में बस्ती रख रखाव निधि को कर्मचारियों के कल्याण कार्य पर खर्च नही किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) : बस्ती रख रखाव निधि बस्ती में संपत्ति के रख रखाव पर खर्च के लिए होती है और इसे कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है । कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के लिए समय समय पर अलग से धन राशि नियत की जाती हैं । गत तीन वर्षो में इन दोनों निधियों का काफी मात्रा में उपयोग किया गया है ।

त्रिपुरा में पंजीकृत श्रम संघ

4305. श्री बीरेन दत्त : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा प्रशासन के श्रम विभाग में बहुत कम संख्या में पंजीकृत श्रम संघ हैं;

(ख) त्रिपुरा में कितने पंजीकृत श्रम संघ है; और

(ग) इन संघों के अन्तर्गत श्रेणी वार कितने कितने श्रमिक हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ख) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, त्रिपुरा में 39 पंजीकृत मजदूर संघ है, जिनकी सदस्य-संख्या इस प्रकार सूचित की गई है:-

	उद्योग	संघ के सदस्यों की संख्या
1.	चाय	5,516
2.	बिजली	286
3.	परिवहन	2,537
4.	वाणिज्य	692
5.	पैट्रोलियम	224
6.	वन	316
7.	नगरपालिका	253
8.	अन्य	1,334

Copper Deposits in Jhansi District

4306 - Dr. Govind das Richhariya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state ;

(a) Wheteer Goverment have sent any Study Team to explore the possibiliti of copper deposits at Madawra in Jhansi District and to undertake digging workthere ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard and the time by which the extraction of copper is likely to start on a reguler basis ?

The Minisrer of State in the Ministry of Steel and Mines (Shir Shah Nawaz Khan) : (a) the Geological Survey of India have Started preliminary survey for metallic deposits at Madawra in Jhansi district. No digging work has been taken up so far except for shallow one metre holes for geochemical investigations.

(b) 1900 geochemical samples have been collected and are under study for further work. No copper anomalies have been noticed so for but certain nickel anomalies of interest have been encountered.

As the investigation is still in a preliminary stage, it is too early to indicate whether extraction of metal would be feasible and if so by when.

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत का अध्ययन

4307. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को बिहार में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पादन लागत के मूल्यांकन का कार्य सौंपने का है जैसा कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : केन्द्रीय सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों में मुख्य फसलों की काश्त लागत अध्ययन के लिये एक विस्तृत योजना शुरू की है । बिहार में इस योजना का कार्यन्वयन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा गया है । इस योजना के अधीन गन्ना सहित विभिन्न मुख्ल फसलों के उत्पादन की लागत का अध्ययन क्रमबद्धरूप से किया जायेगा ।

Survey for Sinking of Wells for Irrigation in Areas Not Irrigated by Canals and Rivers

4308. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Agrculture** be pleased to state :

(a) The total number of wells required to irrigate the land in the areas not being irrigated from canals or rivers or rivulets at the rate of one well for five acres of land;

(b) whether Government are in a position to get the required number of wells sunk by the next year in order to provide irrigational facilities for every field;

(c) whether a survey has not been conducted so far; and

(d) if so, whether action in that regard cannot be taken on the basis of the report of census operations conducted recently ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) If it were feasible to install wells at the rate of one well for every five acres of land, about 60 million wells will be required to irrigate the areas hitherto not provided with irrigation facilities. In fact, however, the total groundwater resources estimated to be available in the country may be sufficient to provide irrigation only to a fraction (about 8% or so) of the total unirrigated area in the country.

(b) Subject to the feasibility and scope of constructing wells and tubewell, as determined by groundwater surveys, and commensurate with the availability of financial resources, maximum efforts are being made to acclerate the programme of constructing wells and tubewells. At present about 1.7 lakh wells and 1.0 lakh tubewells are being constructed per annum. Complete exploitation of the available groundwater resources will yet take considerable number of years,

(c) and (d) : Arrangements for groundwater surveys and investigations and technical scrutiny and evaluation of groundwater development schemes from the groundwater availability angle, are being strengthened. Report of the census operation will be of limited help in the hydrogeological surveys required for ground water development.

Confirmation of Staff in Labour Ministry

4309. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of temporary employees in his Ministry at present;

(b) the number of employees declared permanent during the last three years;

(c) the number of employees who have rendered more than four years service but have not yet been declared permanent; and

(d) the details of the scheme under consideration of Government to make such employees permanent who have rendered more than three years service ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) to (d) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Confirmation of Employees of Ministry of Steel and Mines

4310. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the total number of temporary employees in the Ministry of Steel and Mines at present;

(b) the number of employees declared permanent during the last three years;

(c) the number of employees who have rendered more than four years service but

have not yet been declared permanent; and

(d) the steps taken by Government to make such employees permanent who have rendered more than three years service ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : The required information is given in the statement below seriatum :—

	Department of Steel	Department of Mines
(a)	80	48
(b)	41	18
(c)	18	8

(d) Eligible temporary employees will be declard permanent as permanent posts become available.

अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये पादप प्रजनन

4311. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री काहन डोल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पादप प्रजननकर्त्ताओं से अन्न की पैदावार बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में विकसित नई किस्म की मक्का, संकर किस्म का सोरगम और 'पर्ल' किस्म के बाजरे का उत्पादन लेटिन अमरीका में बहुत अच्छा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे विदेशों में इसका निर्यात किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये देश-विस्तृत आधार पर पौद प्रजनन कार्यक्रम संगठित किये हैं। अनुसंधान कार्य, अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के रूप में नियोजित किये गये हैं। इन परियोजनाओं पर लगे हुए पौद प्रजननकर्त्ताओं को अधिक उत्पादनशील किस्मों की विभिन्न अनाज की फसलों को विकसित करने के लिये कहा गया है।

(ख) मक्का, बाजरा तथा सोरगम की कई संकर तथा मिश्रित किस्में विकसित की गई हैं। उनमें से कुछ किस्में लेटिन अमरीका में भी अच्छी हुई है। उनका फिर से परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) भारतीय किस्मों की अन्य देशों में सफलता तथा निर्यात के लिये भारत में इन किस्मों के उत्पादन को बढ़ाने से सम्बन्ध नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने अनुसंधान कार्यक्रम को संगठित करने में विदेशी बाजारों की मांग को ध्यान में रखती है

नई दिल्ली की व्यापार कर्मचारी ऐसोसिएशन के लाभ के लिए न्यूनतम मंजूरी अधिनियम में संशोधन

4312. श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की व्यापार कर्मचारी ऐसोसिएशन ने न्यूनतम मंजूरी अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है जिससे ऐसोसिएशन के सदस्यों को लाभ पहुंच सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) और (ख) दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियत मजदूरी में उपरिमुखी पुनरीक्षण के लिए नई दिल्ली के व्यापार कर्मचारी संघ तथा कुछ अन्य संघों ने प्रतिवेदन भेजे थे। दिल्ली प्रशासन ने जो इस से सम्बन्धित है, एक सलाहकार समिति स्थापित की है ताकि सारे मामले का पुनरीक्षण किया जा सके।

शरणार्थियों का मेघालय से वापिस पश्चिम बंगाल को जाना

4313. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 11 जून, 1971 "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मेघालय के बलात क्षेत्र में राहत शिविरों से 6000 शरणार्थी स्थानीय लोगों के अति शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वापिस बंगला देश के सुनामगंज सब-डिवीजन चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मेघालय की सरकार ने सूचित किया है कि, जठर-आंत्र-शोथ की महामारी के भय के कारण 1205 निष्क्रान्त स्वेच्छा से बलात क्षेत्र से पूर्वी बंगाल चले गए थे। ऐसा कोई मामला सरकार की नोटिस में नहीं आया है जिसमें कि स्थानीय लोगों के शत्रुता पूर्ण व्यवहार के कारण लोगों को जाना पड़ा हो।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राज्यों में शिविरों की स्थापना

4314. **श्री समर गुह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में कितने शरणार्थी शिविर स्थापित किये गये है;

(ख) शरणार्थियों को अस्थायी रूप से शरण देने के लिये इन राज्यों से बाहर कितने शिविर बनाए गये हैं;

(ग) माना और निकटवर्ती क्षेत्र के अन्य शिविरों में कितने शरणार्थी भेजे गये है; और

(घ) ये शिविर किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं और उनमें कितने व्यक्तियों को शरण दी गई है और इन शिविरों के प्रशासन के लिये नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस समय 1100 से अधिक राहत शिविर/स्वागत केन्द्र काम कर रहे हैं और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उनमें वृद्धि की जा रही है ।

(ख) से (घ) माना के आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किए गए नए शिविरों के अतिरिक्त गया के निकट पंचनपुर में एक केन्द्रीय शिविर स्थापित कर दिया गया है । 4.7.1971 तक, माना के निकट नए शिविरों में 75,639 व्यक्ति भेजे गए थे और 1656 व्यक्तियों को लेकर एक शरणार्थी गाड़ी पहली जुलाई, 1971 को पश्चिम बंगाल से पंचनपुर भेजी गई थी ।

यद्यपि केन्द्रीय शिविरों के लिए कर्मचारी वर्ग का स्वरूप अनुमोदित कर दिया गया है किन्तु अभी तक पूरे कर्मचारी नहीं रखे जा सके हैं । कुछ को नियुक्त किया जा रहा है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में गढ़ाई तथा डिजाइन का कार्य ठेकेदारों को सौंपना

4315. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में गढ़ाई और इसके डिजाइन जैसे छोटे कार्य ठेकेदारों को दिये गये हैं यद्यपि इस परियोजना के पास पूरी तरह से सुसज्जित गढ़ाई तथा डिजाइन विभाग है जिसमें योग्य युवा इंजीनियर हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) उस सीमा जहां तक कि खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के गढ़ाई और डिजाईन विभाग सुसज्जित है, खान सम्बन्धी कार्य विभागीय रूप से निष्पादित किए जा रहे हैं । तथापि, विद्यमान स्टाफ की परिसीमाओं के कारण एवं निर्माणावस्था पर अस्थायी रूप से और अधिक स्टाफ की, जिसको उत्पादन अवस्था में नहीं रखा जा सकता है, भरती को रोकने के लिए संकृष्ट समय सारणी को ध्यान में रखते हुए खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में गढ़ाई और डिजाईन जैसे खान से सम्बन्धित कुछ कार्यों को संविदा पर दिया गया है । प्रायोजना प्राधिकारी भी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपलब्ध विभागीय क्षमता का पूर्णतया प्रयोग किया जाए ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में खनन विकास तथा कूप (शेफ्ट) खोदने का काम गैर सरकारी ठेकेदारों को सौंपा जाना

4316. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में खनन विकास तथा कूप (शेफ्ट) लगाने का काम गैर सरकारी ठेकेदारों को दिया गया है जबकि विभागीय खनन इन्जीनियर इस कार्य को करने में पूर्णतया समर्थ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में खान विकास कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा है । जहां तक कूपक

के डुबाव का सम्बन्ध है, खेतड़ी और कोलिहान खानों में इस समय 4 कूपक डुबाए जा रहे हैं। इनमें से 3 कूपकों को विभाग की ओर से डुबाया जा रहा है और इस कार्य के निष्पादन के लिए उपलब्ध कार्मिक तथा उपकरणों को पूर्णतया प्रयोग में लाया गया है। संकुष्ट समय सारणी के कारण कूपकों में से एक का डुबाव कार्य संविदा पर दे दिया गया है।

1971 में चीनी का निर्यात

4317. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 30 जून, 1971 तक कितनी चीनी का निर्यात किया गया था तथा किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया था;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) अन्य निर्यातकर्ताओं की तुलना से भारतीय चीनी के निर्यात की क्या स्थिति है तथा भविष्य में इसके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

देश	1-1-1971 से 30-6-1971 तक निर्यात की गई मात्रा (मी० टन०)
1. ब्रिटेन (एन० पी० क्यू०)	19,912
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	56,313
3. कनाडा	40,601
4. श्रीलंका	55,354
5. दक्षिणी वियतनाम	19,661
	1,91,841

(ख) अनुमान है कि उपर्युक्त 1,91,841 मी० टन चीनी के निर्यात से लगभग 19 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी।

(ग) भारतीय चीनी की किस्म अन्य निर्यातक देशों की चीनी के अनुरूप ही है। जहां तक मात्रा का संबंध है, प्रत्येक निर्यातक सदस्य देश को अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय चीनी कौंसिल द्वारा निर्धारित मात्रा तक ही अपना निर्यात करना होता है। फिलहाल, 1971 के लिए भारत की कुल निर्यात-हकदारी लगभग 3.50 लाख मी० टन बैठती है और वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस सारी मात्रा के निर्यात कर दिए जाने की सम्भावना है। भविष्य में भी हमें अपने निर्यात के मौजूद कोटे को बनाए रखने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह

4318. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को व्यवहारिक रूप कब दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए अवकाश-गृह स्थापित करने की कोई आम योजना नहीं है। तथापि. रेल मंत्रालय और डाक तार विभाग ने, अपने कर्मचारी-वर्ग के कल्याण के लिये अवकाश-गृह स्थापित किए हैं। कोयला और कच्चा लोहा खान श्रम कल्याण निधियों के अधीन भी अवकाश-गृहों की स्थापना की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Incerase in Price of Super-Phosphate

4319. Dr. Lxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the prices of the chemical fertilizer super-phosphate have recently registered sharp increase;

(b) whethere Government are aware that the in crease inprices of the said fertilizer has caused discouragement among the farmers for its use; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. In fact, the prices of the chemical fertilizer super-phosphate have actually declined during the recent months. The prices index of superphosphate declined from 159.8 in the second week of January, 1971 to 152.2 in the third week of June, 1971. There has been a further reduction in the price of super-phosphate from 1st July, 1671.

(b) and (c) Do not arise.

Distribution of Steel in Rajasthan

4320. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quota of steel allotted to various Steel industries in private sector as also in public sector in Rajasthan during the year 1970-71; and

(b) the names of the industries out of them to whom direct quota of steel was issued by Government during the same period ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines : (Shri Shah Nawaz Khan) (a) & (b) There was no allotment of quotas in 1970-71, either direct or indirect, to any party in the Country. All genuine industrial units were free to place orders on the Steel plants without any quotas.

Information regarding allocation of priority in despatch to industrial units in Rajasthan during 1970-71 is being collected, and will be laid on the Table of the House.

Agricultural Universities in the Country

4321. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Agricultural Universities in the country at present;

(b) the places where these are located and the number of Agricultural Colleges affiliated to them;

(c) the capacity of such Agricultural Colleges for admission of students; and

(d) whether Government propose to set up more such Universities keeping in view the agricultural development and the new agricultural techniques in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Fifteen.

(b) The Agricultural Universities have only constituent agricultural colleges/faculties of agriculture. The Punjabrao Krishi Vidyapeeth at Akola (Maharashtra) is the only Agricultural University which has two affiliated Agricultural colleges in addition to three constituent agricultural colleges.

The palces where the Aricultural Universities are located and the number of Agricultural colleges with each is given below :—

Location	No. of constituent Agril. Colleges.
1. Assam Agricultural University Jorhat-4 (Assam)	1
2. Andhra Pradesh Agricultural University, 'Dilkusha' Hyderabad (AP)	3
3. Rajendra Agricultural Unive;sity, 13, Circular Road, Patna-(Bihar)	3
4. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya. Jabalpur (M.P.)	6
5. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth. P. O. Rahuri, Distt. Ahmednagar (Maharashtra)	4
6. Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Krishinagar, Akola (Maharashtra)	5 (2 affiliated)
7. University of Agricultural Sciences, 9, Balasundram Layout. XI Main, Malleswaram, Banglore-3 (Mysore)	2
8. Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar, Udaipur (Orissa)	1
9. Punjab Agricul ural University Ludhiana (Punjab)	1
10. Haryana Agricultural University, Hissar (Haryana)	1
11. University of Udaipur (Rajasthan)	2
12. U. P. Agricultural University Pantnagar, Distt. Nainital (U. P.)	1
13. University of Kalyani. P, O. Kalyani, Distt. Nadra (W. Bengal)	1
14. Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore-3 (Tamil Nadu)	2
15. Kerala Agricultural University, Mannuthy, Trichur Distt. (Kerala).	1

(c) The annual admission capacity of these colleges is about 3,770.

(d) It has been accepted, as part of National policy on Education that, at least one Agricultural University should be established in each State. Already fifteen Agricultural Universities have been established in the country as indicated above. The Government of Gujarat has already passed an Act for the establishment of an Agricultural University in the State. The Himachal Pradesh University in Himachal Pradesh contains anaonomous Agricultural complex on the lines of an Agricultural University.

बेकार मछली पकड़ने को रोकने हेतु उपाय

4322 श्री एम० कतामुतु । क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलत किस्म के जालों के उपयोग के कारण काफी बड़ी मात्रा में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जो कि अगामी ऋतुओं में मछली पकड़ने के हितों के लिये क्षतिकर होता है; और

(ख) इस को रोकने के लिो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) अन्तर्देशीय और समुद्री दोनों प्रकार से मछली पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गये विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मछली पकड़ने के प्रक्रम में पर्याप्त मात्रा में छोटे आकार की मछली पकड़ी जाती है। इस प्रकार पकड़ी गई छोटे आकार की मछलियों में कुछ किशोर किसम की है जो कि बाद में बड़े आकार के प्राप्त हो सकती हैं।

(ख) मछली भण्डार के क्षीण होने की आशंका की अवस्था में जाली के नियमन अथवा मछली पकड़ने के निषेध का सहारा लिया जाता है। बहुत सी राज्य सरकारों और सघ शासित क्षेत्रों ने विधान बनाये हैं जो कि उन्हें जालों की जालियों के नियमन और मछली पकड़ने का निषेध करने का अधिकार देते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, उपयोग में लाये जाने वाले अनुमित जालों की जाली के आकार विस्तृत विनियमों में निर्धारित किये गये हैं। मछली पकड़ने की विनाशकारी विधियों, उदाहरण स्वरूप, विस्फोटक पदार्थों द्वारा मछली पकड़ना निषेध है। कुछ राज्यों ने प्रजनन के मौसम में नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए बन्द मौसम घोषित किया है।

समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गई नौकाओं को मछलियों के झुण्ड, तूफान आदि के बारे में सूचना भेजने की व्यवस्था

4323 श्री एम० कतामुतु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गई नौकाओं को मछलियों के बड़े झुण्डों के बारे में सूचना देने की कोई व्यवस्था की है ताकि वे इन झुण्डों के पास समय पर पहुंच सकें; और

(ख) क्या सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिये नौकाओं को विशेषकर तूफान, बहुत तेज हवा और बवण्डर के बारे में मौसम सम्बन्धी आंकड़े देने की कोई व्यवस्था की है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय गहरे समुद्र में मत्स्य हरण संगठन, उन भूमियों के बारे में जिनमें समन्वेषी पोतो द्वारा बड़ी मात्रा में मछलियों का भण्डार खोजा गया है, के विषय में वाणिज्यिक बेड़े के लिए जानकारी प्रसारित करने की व्यवस्था कर रहा हैं। एक जहाज से सीधे दूसरे जहाज तक और जहाज से तट तक जानकारी के प्रसारण की एक प्रणाली तैयार की जा रही है। इस समय मात्स्य की भूमियों की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी पाक्षिक विवरणिकाओं द्वारा परिचालित की जाती है।

(ख) पश्चिमी तट के काण्डला, बम्बई, रत्नगिरि तथा पूर्वी तट के टयूटिकोरिन, मद्रा,स विजग और कलकत्ता स्थित आकाशवाणी के तटीय रेडिया स्टेशन मौसम तथा समुद्री अवस्थाओं के बारे में जानकारी रोजाना प्रसारित करते हैं। डाक तथा तारेडियो स्टेशन यह जानकारी अनिश्चित मौसम में दिन में 6 बार प्रसारित करते हैं।

समुद्री घास-पात को उपयोग में लाना

4324 श्री एम० कतामुतु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री घास-पात को उपयोग में लाने के लिये यदि कोई कार्य किया गया है अथवा किया जा रहा है तो वह कितना है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय समुद्र में लाभप्रद समुद्री घास-पात की उपलब्धता के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय समुद्रीय मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान द्वारा लाभप्रद समुद्री घास-पात की कुछ किस्मों की उपलब्धता के बारे में तमिलनाडु और गुजरात के समुद्री तट के साथ सर्वेक्षण किये गये। उड़ीसा सरकार ने भी चिलका झील में ऐगार वीड की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण किया। इन सर्वेक्षणों से चिलका झील और मद्रास तथा गुजरात के समुद्री तट के कुछ भागों में पर्याप्त मात्रा में ऐगार वीड की उपस्थिति का पता चला है। मद्रास में मंडपम तथा गुजरात में ओखा क्षेत्रों में भी अच्छी मात्रा में एलगिनोफाइट्स पाये गये।

वर्ष 1965 और 1966 में मंडपम के पास पाल्कवे की ओर समुद्र के किनारे 3.58 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में किये गये नमूना सर्वेक्षणों से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :

समुद्री घास-पात	ताजा भार (मीटरी टन)	
	1965	1966
ऐगारोफाईट्स	233.15	47.92
एलिनोफाइट्स	161.83	173.43
खाने योग्य शैवाल	188.84	245.91
अन्य शेवाल	457.87	398.51
	1041.69	865.77

गुजरात तट में किये गये सर्वेक्षण से ओखा के निकट अदाला रीफ के 0.015 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 60 मी० टन ताजा सेवार का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों से कच्छ की खाड़ी के 10.65 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 18,765.5 मी० टन ताजा समुद्री घास-पात की उपस्थिति का पता लगा है। यह अनुमान लगाया गया है कि कच्छ की खाड़ी से 4000 मी० टन प्रति वर्ष ताजा सेवार की फसल प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय समुद्रीय मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान ने ऐगार—ऐगार, एलगिनिक एसिड तथा सोडियम और कैल्शियम के एलगिनेट्स के उत्पादन की तकनीक विकसित की है।

केन्द्रीय लवण तथा समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर द्वारा समुद्री घास-पात के बारे में भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

तमिलनाडु के समुद्री तट से दूर समुद्री घास-पात के स्रोतो के बारे में इन दो संस्थानों द्वारा सर्वेक्षण की एक व्यापक योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐगार और एलिन देने वाले समुद्री तथा अन्य आर्थिक महत्व की समुद्री

घास-पास की खड़ी फसलों का अनुमान लगाना और घास-पात के घनत्व के अनुसार उत्पादन क्षेत्रों का वर्गीकरण करना है।

गुजरात और तमिलनाडु में कुछ निजी फार्मों ने ऐगार-ऐगार और एलिनिक एसिड के वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य हाथ में लिया है। थोड़ी मात्रा में ऐगेरोफाइट्स का निर्यात भी किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम

4325 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने हेतु पश्चिम बंगाल में द्रुत कार्यक्रम के अधीन कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य के आठ जिलों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं। उन प्रस्तावों, जिनमें 62.70 लाख रु० की लागत की भूमि-संरक्षण, लघु सिंचाई, सड़कों आदि की निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं, को केन्द्र सरकार द्वारा मन्जूरी दे दी गई है।

राज्य सरकार ने एक अपनी रोजगार योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत नलकूप प्रभागों में मरम्मत करने के लिए एक मैकेनिक तथा एक फिटर नियोजित किया जाना है। इन कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्राम रोजगार की त्वरित योजना की निधि में से करने का प्रस्ताव हैं। सरकार का विचार है कि कार्य करते हुए ये कर्मचारी काम सीख जाएंगे और जब तक त्वरित कार्यक्रम समाप्त होगा तब तक उन्हें अपने रोजगार के माध्यम से जीविका कमाने के लिए दक्षता प्राप्त हो चुकी होगी। यह योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण

4326. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान पंजाब सरकार द्वारा राज्य में गेहूं के व्यापार का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी हाल ही के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है तथा उसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों को थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण करने हेतु कार्यवाही करने के लिए कहने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंजाब सरकार ने राज्य में गेहूं के व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार प्रमुख खाद्यन्नों का पर्याप्त थोक व्यापार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। फिलहाल, सभी खाद्यान्नों के थोक व्यापार को पूर्णतया अपने अधिकार में लेने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अधिप्राप्ति और विवरण विषयक कार्य करने से मूल्यों को स्थिर रखने और व्यापार को विनियमित करने में सहायता मिली है। इसके अलावा, थोक व्यापार को पूर्णतया अधिकार में लेने से विस्तृत संगठन और भारी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी ।

चीनी की खपत और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में चीनी मिलें

4327 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी तथा गर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी चीनी मिलें हैं; और

(ख) इस समय राज्य वार चीनी की खपत कितनी हैं ?

कृषि मान्त्रलय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण 1 संलग्न है।

(ख) चीनी की राज्यवार खपत के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। संलग्न विवरण-2 में अक्टूबर, 1970 से जनवरी, 1971 तक चीनी कारखानों से सीधे भेजी गई चीनी की राज्यवार मात्रा दी गई है।

विवरण 1

क्रम संख्या	राज्य	स्थापित चीनी कारखानों की कुल संख्या	
		सरकारी क्षेत्र राज्य-स्वामित्व। राज्य द्वारा प्रबन्धित	गैर-सरकारी क्षेत्र संयुक्त स्टाक सहकारी
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	—	71
2.	बिहार	1	29
3.	पंजाब	—	6
4.	हरियाणा	—	3
5.	पश्चिमी बंगाल	—	2
6.	असम	—	1
7.	नागालैण्ड	—	—
8.	राजस्थान	1	2
9.	मध्य प्रदेश	—	5
10.	उड़ीसा	—	2

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	—	42
12.	गुजरात	—	7
13.	तमिल नाडु	—	16
14.	मैसूर	1	10
15.	पांडिचेरी	—	1
16.	आन्ध्र प्रदेश	1	18
17.	केरल	—	3

विवरण 2

अक्टूबर, 1970 से जनवरी, 1971 तक चीनी कारखानों से सीधे ही भेजी गई चीनी की मात्रा बताने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मी० टन में)

	राज्य	अक्टूबर 70	नवम्बर 70	दिसम्बर 70	जनवरी 71
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	19	18	15
2.	असम नेफा	9	10	7	8
3.	बिहार	22	18	15	14
4.	गुजरात	29	22	25	25
5.	महाराष्ट्र	76	62	64	53
6.	केरल	7	9	7	9
7.	मध्य प्रदेश	14	13	13	13
8.	तमिल नाडु	19	20	19	18
9.	मैसूर	15	16	19	17
10.	उड़ीसा	6	7	5	5
11.	पंजाब	24	20	20	21
12.	हरियाणा	10	9	27	8
13.	राजस्थान	14	13	12	9
14.	यू० पी०	54	39	33	26
15.	पश्चि० बंगाल	29	32	32	21
16.	जम्मू तथा कश्मीर	1	1	3	3
17.	दिल्ली	12	8	8	9
18.	हिमाचल प्रदेश	2	1	2	1
19.	मनीपुर	—	—	N	—
20.	त्रिपुरा	N	1	N	
21.	पांडीचेरी	N	N	N	N

1	2	3	4	5	6
22.	गोआ	1	N	N	N
23.	दमन तथा दीव	n	N	N	N
24.	नागालैण्ड	1	1	1	1
25.	चण्डीगढ़				
२6.	अंडमान	n	—	N	N
	अखिल भारत	362	321	301	277

दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता

4328 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उन के वेतन के 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है जब कि राज्य व्यापार निगम जैसे अन्य स्वायत्त निकाय अपने कर्मचारियों को 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उसी दर पर मकान किराया भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पंशन निधी अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इसका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं हैं । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:-

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचायियों को दिल्ली में उनके वेतन के 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड जिसमें निधि निहित है, के निर्णय के अनुसरण में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों का विनियमन उस वेतनमानों भत्तों और दूसरी रियायतों द्वारा होता है जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू होते हैं । इन परिस्थितियों में राज्य व्यापार निगम जैसे निकायों से तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता । दिल्ली में कर्मचारी क्वार्टर मिलने की उस सुविधा के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी स्थान के आम पूल की व्यवस्था के रूप में उपलब्ध हैं, उपर्युक्त संगठन के ऐसे कर्मचारी वर्ग को जो, दिल्ली में तैनात हैं, 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया गया था । यह भत्ता मकान किराया भत्ते की उन दरों के अतिरिक्त है जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे ही कर्मचारी वर्गों के लिये विहित है ।

पश्चिमी बंगाल के भूमि की उच्चतम सीमा (संशोधन अधिनियम का अन्य राज्यों) के लिये आदर्श कानून होना

4329 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल में लाग

किये गये भूमि की उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम को आदर्श के रूप में अन्य राज्यों में भी लागू करने की सिफारिश की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को, जो कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है आदर्श रूप में स्वीकार करने के लिए राज्यों को कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। पंचवर्षीय योजनाओं में निधारित नीति को और 1969 तथा 1970 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों में रखें गये सुझावों को निगाह में रखते हुए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया था। समस्त राज्यों को अपने कानूनों को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप बनाने की सलाह दी गयी है।

रागी उत्पादन

4330 श्री के० लकप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में 'रागी' उत्पादन की स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं और देश में कौन-कौन से राज्य 'रागी' का उत्पादन करते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) जी हां। (ख) इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है उसमें भिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के उपयुक्त 'रागी' की नई किस्मों का प्रजनन तथा प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम उपज लेने के लिए नई प्रोद्योगिक का विकास सम्मिलित है।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रमुख 'रागी' उत्पादक राज्य हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पटना के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भवन और कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण

4331 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भवन और कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर शीघ्र कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और भूमि खरीदने और इसका निर्माण करने के मामले पर निर्णय कब तक किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और भारत सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय के लिए पटना में एक कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण का एक प्रस्ताव है; परन्तु उचित दरों पर उपयुक्त भूखण्डों के उपलब्ध न होने के कारण कोई बोध्य प्रगति नहीं हुई है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त भूखण्ड आवंटित करने हेतु राज्य सरकार से पहले ही सम्पर्क स्थापित किया गया है।

दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए भवनों का निर्माण

4332 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकारण ने दिल्ली में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों के लिए भवनों के निर्माण के लिए भूमि अलाट कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और अब तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भवन के क्षेत्र, फ्लोर, मंजिल और अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और भारत सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नही है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग): केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को नई दिल्ली में एक कार्यालय भवन बनाने के लिए एक भूखण्ड आवंटित किया है। इसका कब्जा पहले ही लिया जा चुका है और इस समय, जबकि भवन का नक्शा बनाने और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उसके अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही भी पूरी नहीं हुई है, यह नहीं बताया जा सकता कि इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा। तथापि, संगठन स्वयं भवन को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए उत्सुक है।

गुजरात में खनिजों का सर्वेक्षण

4333. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के क्षेत्र में खनिजों के लिए सर्वेक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(ग) उक्त योजना सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुजरात का भूवैज्ञानिक और खनिज सर्वेक्षण अनेक दशाब्दियों से किये जा रहे हैं और राज्य का साधारण सर्वेक्षण अधिकांशतः सम्पूरित किया जा चुका है। भारतीय भू-

वैज्ञानिक सर्वेक्षण की दस-वर्षीय-योजना (1969-79) के अनुसार आधुनिक मानचित्रों पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है ।

गुजरात के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की दस-वर्षीय योजना (1969-79) की प्रथम प्रावस्था (1969-74) में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण, 8,500 वर्ग कि० क्षेत्र का प्रारम्भिक खनिज निर्माण और क्षेत्रीय खनिज निर्धारण प्रस्तावित है जिसमें गर्तन, खदान प्रतिचयन इत्यादि के अतिरिक्त 23,000 मीटर का व्यधन भी सम्मिलित है ।

राज्यों में ट्रैक्टर प्रशिक्षण के केन्द्र

4334. श्री जी० भुवाराहन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ये केन्द्र आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) इन केन्द्रों पर राज्यवार कितना व्यय आयेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) बुदनी (मध्य प्रदेश में भोपाल के पास) और हिसार (हरियाणा) में वर्तमान ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त एक तीसरा प्रशिक्षण केन्द्र मैसूर में स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए चौथी योजना में 35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

तमिलनाडु में लौह अयस्क के निक्षेप

4335. श्री जी० भुवाराहन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु में सलेम की कांची-मलाई पहाड़ियों के आस-पास दूर-दूर तक लौह अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां लौह अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) हाल ही में किये गए सर्वेक्षणों के परिणाम-स्वरूप सलेम जिले के कन्जामलाई पहाड़ियों के निकटस्थ में और तमिलनाडु के पार्श्वस्थ जिलों में भी अनेक लौह अयस्क निक्षेप अवस्थापित किये गये हैं । इन निक्षेपों में से यह महत्वपूर्ण निक्षेप है :—सलेमपुर जिले के तीर्थमलाई पहाड़ी में 3.5 करोड़ टन; तीर्थमलाई उत्तरी विस्तार में 19 लाख टन; बड़ावत्तुर में 37 लाख टन; गोडुमलाई में 6.7 करोड़ टन; तिरूचिनापल्ली जिले में 3.8 करोड़ टन के उत्तरी आर्काट जिले के कवुथिमलाई, वन्डाप्पन मलाई, उच्चिमलाई, चेन्नाम और तिरूपट्टुर पुहुर और केलुर के पश्चिम के क्षेत्र में 18 करोड़ टन । निक्षेपों में अधिकतर 35 से 40 प्रतिशत लोहांश युक्त चुम्बकीय स्फटिक प्रकार की है ।

(ग) मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के लिए कान्चे-मलाई खनन संयंत्र के बारे में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की है । हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ने मिट्टी अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया है और उसने राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला जमशेदपुर को लौह अयस्क के नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा है जिनके परिणाम प्रतीक्षित है ।

तमिलनाडु में स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान खनिजों के निक्षेप

4336. श्री जो० भुबाराहन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु में स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान खनिजों की काफी निक्षेपों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) तमिलनाडु में हाल ही में स्वर्ण अथवा दूसरे कीमती खनिजों के कोई समृद्ध निक्षेप अवस्थापित नहीं किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1964-67 के दौरान वायनाद स्वर्ण क्षेत्र में किये गए अन्वेषणों ने साधारणत: निम्न स्वर्ण मूल्यों और खनिजीकरण के कोषमय प्रकार के प्राप्ति-स्थलों को उद्घाटित किया है। कोयम्बटूर जिले में ऐमेथीस्ट, ऐक्वीमरीन, क्राइसोबेरियल पन्ना, नीलगिरी रामनाथपुरम, सलेम और तिरूचिरापल्ली जिलों में गारनेट; तनजौर में राँक क्रिस्टल ("वैलम स्टोन") सलेम और तिरूचिरापल्ली जिलों में कन्याकुमारी के जिस्कोन में रूबी जैसे कुछ कीमतीं और अर्धकीमती खनिजों की जानकारी मिली है।

इसके अतिरिक्त, हाल ही के सर्वेक्षण के दौरान तमिलनाडु के मदुराई जिले में मोल्बिडेनाइट, चिंगलीपुत और दक्षिण आर्काट जिलों में मोलिंडग सैंड्स, सेलम जिले में बाक्साइड, उत्तरी आर्काट जिले में वर्मीकुलाइट के प्राप्ति-स्थल अवस्थापित किये गये हैं। अन्वेषण कार्य अभी प्रगति पर है।

राज्यों में बारानी भूमि अनुसंधान हेतु कनाडा की ओर से सहायता

4337. श्री जो० भुवाराहन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की सहायता से बारानी भूमि अनुसन्धान तथा विकास का कोई कार्यक्रम है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कनाडा सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी जायेगी; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्र चुने गये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) एक भारत-कनाडा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें बारानी भूमि अनुसन्धान के लिए कनाडा की सहायता की व्यवस्था है।

(ख) कनाडा के 15 लाख डालर अर्थात 1.13 करोड़ रुपये।

(ग) कनाडा ने बारानी भूमि में कृषि के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की जिस अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना के लिए सहायता दी है उसके 24 केन्द्र हैं जोकि संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत बारानी भूमि में कृषि के

अनुसन्धान केन्द्रों को प्रदर्शित करने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	1. (i) इब्राहिमपत्तनम (हैदराबाद)
		2. (ii) अनंतपुर
2.	बिहार	3. रांची
4.	गुजरात	4. (i) आनन्द
		5. (ii) राजकोट
4.	हरियाणा	6. हिसार
5.	जम्मू तथा कश्मीर	7. जम्मू
6.	मध्य प्रदेश	8. (ii) इन्दौर
		9. (ii) रीवा
7.	महाराष्ट्र	10. (i) अकोला
		11. (ii) शोलापुर
8.	मैसूर	12. (i) हेवल
		13. (ii) बेल्लारी
		14. (iii) बीजापुर
9.	पंजाब	15. लुधियाना
10.	राजस्थान	16. (i) जोधपुर
		17. (ii) उदयपुर
11.	तमिलनाडु	18. कोविलपट्टी
12.	उत्तर प्रदेश	19. (i) झासी
		20. (ii) वाराणसी
		21. (iii) आगरा
		22. (iv) देहरादून
13.	उड़ीसा	23. भुवनेश्वर
14.	दिल्ली	24. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली

पशुधन को हरित क्रान्ति के अन्तर्गत लाना

4338. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या वाले कृषि क्षेत्र के पूर्णरूपेण विकास बिना समूचे तौर पर राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या हरित क्रान्ति नामक नई प्रौद्योगिकी का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है, अथवा नहीं; और

(ग) क्या पशुधन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को भी इस क्रान्ति के अन्तर्गत लाना निर्धारित कार्यक्रम में शामिल है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी, हां।

(ख) इसका यथासंभव लाभ उठाया जा रहा है।

(ग) पशुधन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मछली पालन आदि के विकास के लिए गहन कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

राज्यों में नमक तथा मृत्तिका उद्योगों में वेतन ढांचे

4339. **श्री प्रसन भाई मेहता : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नमक तथा मृत्तिका उद्योगों में भिन्न-भिन्न वेतन ढांचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को उक्त उद्योगों के कर्मचारियों तथा संघों की ओर से तथा भूतपूर्व गुजरात सरकार की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त हुआ है के देश में समान वेतन-मानों के बारे में विस्तार से जांच करने के लिए वेतन आयोग नियुक्त किया जाये; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) (क) और (ख) : जी हां। इस सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है, क्योंकि मजदूरी-दरें भिन्न-भिन्न अभिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर निर्धारित की जाती हैं और स्थितियां भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे किसानों सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण-ऋण पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें

4340. **मेजर नरेन्द्रसिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों के लाभार्थ विशेष परियोजनायें स्थापित करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण-ऋण पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उनमें से सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) अखिल भारतीय ग्रामीण-ऋण पुनर्विलोकन संमिति से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसमें उसकी सिफारिशें हैं, कि एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में पहले से ही रख दी गयी है।

(ख) सरकार ने छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसियां स्थापित करने के संम्बन्ध में इस समिति की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधन के साथ मान ली है। समिति के सुझाव के अनुसार प्रति परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये के बदले प्रति एजेन्सी 1·5 करोड़ रुपये निर्धारित किये

गये हैं किन्तु जैसा कि समिति ने 30 ऐजेन्सियों की सिफारिश की थी उनकी संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गयी है।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का फिर से अनुमान लगाया जाना

4341. **श्री बी०एस० मूर्ति**
श्री विभूति मिश्र

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से प्रत्याशित शरणार्थियों की अधिकतम संख्या के बारे में कोई नया अनुमान लगाया गया है;

(ख) कुल कितने शिविर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) भारत नकदी और वस्तुओं के रूप में कितना धन खर्च करेगा; और

(घ) इस अप्रत्याशित भारी खर्च का चौथी योजना पर किस हद तक असर पड़ेगा और उसका पुनर्समायोजन किस प्रकार किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) वर्तमान प्रवृत्ति से आंकने पर पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की संख्या शीघ्र ही 80 लाख या उससे भी अधिक पहुँच जाएगी।

(ख) इस समय 1100 से अधिक राहत शिविर/स्वागत केन्द्र काम कर रहे है और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उनमें और वृद्धि की जा रही है।

(ग) शिविरों में 60 लाख शरणार्थियों के आधार पर 6 महीनों की अवधि के लिए राहत कार्यों की कुल लागत का अनुमान 300 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(घ) चूँकि साधन सीमित हैं, अत: योजना की मदों पर किया जाने वाला खर्च अवश्य ही कम करना होगा और प्लान में दी गई योजनाओं की परस्पर अग्रताओं को अविलम्बिता और आवश्यकता के अनुसार पुनः निश्चित करना पड़ेगा।

Procurement of Wheat from Sahranpur, Uttar Pradesh

4342. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat in tonnes procured by the Food Corporation of India upto the 1st June, 1971 indicating the rate at which it was procured;

(b) the quantity of wheat procured in Saharanpur District upto the 1st June, 1971 indicating the rate at which it was procured; and

(c) the quantity of wheat, which was pending lifting upto 1st June, 1971 from the shops of the Procurement Agents in each of the mandies of Saharanpur District ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 9,68,573 tonnes of wheat was procured by the Food Corporation of India during the current rabi season upto the 1st June, 1971. Government have fixed procurement prices for wheat of all varieties except indigenous red, as below :

FAQ	Rs. 76/- per quintal
I grade below	Rs. 75/- per quintal
II grade below	Rs. 74/- per quintal

After the untimely rains this year during April-May, another relaxed specification 'III grade below' was introduced, the price has been fixed at Rs. 72/- per quintal. A further quality cut of Rs. 1/- per quintal is to be imposed for stocks which are within the permissible limit but have lost lustre.

The procurement price of red indigenous wheat of FAQ category fixed by Government is Rs. 74/- per quintal in the case of Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Rs. 71/- in the case of Bihar and Rs. 72/- per quintal in the case of Gujarat. Further cuts as in the case of indigenous wheat other than red variety, are applicable according to the quality.

The procurement of wheat by Food Corporation of India is being made at these rates and the appropriate price is paid to the farmers.

(b)	(in tonnes)
FAQ	39,900
I grade below	1,400
II grade below	700
III grade below	100
Total :	42,100

(c) Name of Mandi	Quantity awaiting liftng (in tonnes)
Saharanpur	3,000
Rampur Maniharan	266
Nanuta	8
Ambheta	400
Nakur	600
Gangoh	2,640
Deoband	900
Manglore	500
Roorkee	310
Jwalapur	5
Bahadrabad	21
PCF Seed Stores	50
Jabrera	500
Total :	9,200

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

4343. **श्री बी० नारायणन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों को बोनस देने के लिए कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हुए लाभ में वर्ष 1969-70 के दौरान 42 प्रतिशत कमी को देखते हुए, सरकार बोनस की अदायगी को कैसे सुनिश्चित करेगी; और

(ग) क्या कभी सरकारी क्षेत्र के कारखने अपने श्रमिको को बोनस देने की स्थिति में होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों को,

बोनस की अदायगी अधिनियम 1965 के अधीन, पहले से ही बोनस देना पड़ता है जब तक कि उन्हें धारा 34 अथवा धारा 20 के अधीन छूट न दी गई हो। तथापि, ऐसे प्रतिष्ठानों जिन्हें धारा 20 के अधीन छूट दी गई है, पहले ही अनुग्रह पूर्वक बोनस दे रहे हैं। प्रस्ताव यह है कि अधिनियम को ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाये।

गोआ की लौह अयस्क खानों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

4344. श्री इराज्मुद सेकेरा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में उन लौह अयस्क खानों की संख्या क्या है जिन्होंने लौह अयस्क खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें पूर्णतया लागू कर दी है और सक्रिय खानों की कुल संख्या की तुलना में इनकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : गोआ में काम करने वाली 94 खानों में से 67 खानों द्वारा, जो लगभग 75 प्रतिशत रोज़गार के लिए उत्तरदायी हैं, मज़दूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित किए जाने की सूचना मिली है।

चतुर्थ योजना में केरल में धान की खेती के लिये धान का नियतन

4345. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में धान की खेती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी राशि नियत की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 3.42 करोड़ रुपये।

केरल में भूमि विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण

4346. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल राज्य में भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष वार कुल कितना ऋण दिया गया, और यह ऋण किस विकास कार्य के लिये दिया गया था;

(ख) केरल में कुल कितने व्यक्तियों को उक्त बैंकों द्वारा ऋण दिया गया और;

(ग) उक्त अवधि में भूमि विकास बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में दिये गये ऋण की तुलना में यह कितना है ?

कृषि मन्त्रालय मे उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों में केरल में भूमि विकास बैंकों ने जो दीर्घकालीन ऋण दिए और साथ ही जितने व्यक्तियों (सदस्यों) को तथा जिन प्रयोजनों के लिए ऋण दिए वे इस प्रकार हैं :—

सहकारी वर्ष	उन सदस्यों की संख्या जिन्हें ऋण दिए गए	(लाख रु० में) व्यक्तियों को दिए गए ऋणों की राशि
1967-68	2,452	76.37
1968-69	2,902	106.00
1969-70 (अनन्तिम)	3,121	118.00

केरल में भूमि विकास बैंकों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों तथा मात्रा में दीर्घ-कालीन विकास सम्बन्धी वित्त दिया :—

प्रयोजन	सहकारी वर्ष		
	1967-68	1968-69	1969-70
1. भूमि सुधार	94 प्रतिशत	99 प्रतिशत	23 प्रतिशत
2. कुओं को खोदना तथा मरम्मत	3 प्रतिशत	—	70 प्रतिशत
3. कृषि यंत्रों की खरीद	2 प्रतिशत	—	5 प्रतिशत
4. अन्य प्रयोजन	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	2 प्रतिशत

(ग) एक विवरण, जिस में अन्य राज्यों की स्थिति दी गई है, अनुबन्ध पर है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 628/71]

Legislation for Coopertive Societies as Central subject

4347. Shri Bibhuti Mishra: will the **Minister of Agriculture** be plesed to state:

(a) whether co-operative Societies fall in the category of state subject;

(b) if so, whether government propose to enact any legislation at central level in consultation with the various tate governments; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Paharia (a) : yes sir- . 'cooperative societies' is a state subject, according to entry 32 of the state list in the Seventh Schedule of the Constitution.

(b) & (c): There is no proposal to enact any central legislation for 'Cooperative Societies covered by entry 32 of the state list in the seventh schedule of the constitution. There is, however a category of cooperatives covered by entry 44 of the Union list in the seventh schedule of the constitution, whose objects are not conf ned to one State. The incorporation, regulation and winding up of this category of cooperatives is governed by a Central Act; namely, the multi-unit cooperative Scoieties' Act, 1942. This is a short enactment of an enabling nature and, for the purpose of registration, control and dissolution, a multi -unit cooperative society is governed by the cooperative law in fource in the state where it is registered. This different laws apply to different multi-unit cooperative societies. It may be neccssary to heve a comprehensive and uniform central legislation for this type of cooperative societies covered by entry 14 of the union list in the seventh schecule of the constitution. The outlins of such a lagislation will be drawn up after the recommendations of a committee recently constituted on the subject are received and considered by government.

कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर रूस के साथ समझौता

4348. श्री कल्याणसुन्दरम्: क्या कृषि **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: 18 जून, 1971 को मास्को में भारत तथा रूस के बीच कृषि क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): समझौते की एक प्रति सभा के पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी-628-ए/71**]

कच्छ में बौक्सइट और लिगनाइट के निक्षेप

4349. डा० महीपतराम मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में बौक्साइट और लिगनाईट के पर्याप्त निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बौक्साईट से एलूमिना और एलुमिनियम बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ग) प्रस्तावित कारखाना कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप गुजरात के कच्छ जिले में बौक्साइट की लगभग 1.4 करोड़ टन प्रमाणित उपलब्ध राशियां और लिगनाइट की 19.5 करोड़ टन उपलब्ध राशियां अनुमानित की गई हैं। बौक्साइट के 1.4 करोड़ टन में लगभग 80 लाख टन उच्च श्रेणी और 60 लाख टन निम्न श्रेणी है। लिगनाइट की कार्ययोग्य उपलभ्य राशियां 13.3 करोड़ टन है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने गुजरात बौक्साइट निक्षेपों पर साध्यता अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के आधार पर, केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से गुजरात में एक निर्यात अनुस्थापित एलुमिनियम संयंत्र को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संयंत्र की वास्तविक अवस्थिति के बारे में अन्तिम विनिश्चय भी सरकार के विचाराधीन है।

त्रिपुरा के अभावग्रस्त जनजातियों के क्षेत्रों में सहायता कार्य

4350. श्री दशरथ देव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के अभावग्रस्त जनजातियों के क्षेत्रों में कोई सहायता कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ये कार्य आरम्भ किये गए हैं उनके क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आरम्भ किए गए सहायता कार्यों का स्वरूप क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह): (क) त्रिपुरा में कोई भी क्षेत्र कमी से प्रभावित घोषित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्यालय का स्थान

4351. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्यालय को स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से यह कमी वाला राज्य है;

(ख) निगम द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में अपने कार्यों पर नियंत्रण करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निगम के मुख्य कार्यालय को किसी अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादक राज्य में स्थानान्तरित करने का है जिससे निगम को कार्य करने में सुविधा रहे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम का प्रधान कार्यालय अब दिल्ली में स्थित है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of urgent Public Importance.

अखबारी कागज के आयात में पोतपरिवहन कम्पनियों द्वारा किए जा रहे कथित अनाचार तथा अनियमितायें

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मैं परिवहन और नौवहन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज के आयात में कतिपय पोतपरिवहन कम्पनियों द्वारा किये जा रहे कथित अनाचारों और अनियमितताओं तथा उनके परिणामस्वरूप देश को हो रही करोड़ों रुपयों का विदेशी मुद्रा की हानि"।

संसद कार्य, नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : माननीय सदस्य संभवत हाल में अखबारों में छपे समाचारों का उल्लेख कर रहे हैं। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि पोतपरिवहन कम्पनियों में अबाध तथा अनियमितायें हो रही हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले की ओर ध्यान दिलायें तो उक्त मामले की मैं जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अखिल भारतीय पतन तथा गोदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री एम० आर० कुलकर्णी ने 2 जुलाई को एक प्रेस सम्मेलन में इन्हीं अनाचारों तथा अनियमितताओं का

उल्लेख किया था । यदि सरकार ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी होती तथा आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया होता तो मुझे सभा के समक्ष यह मामला उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । चार अथवा पाँच वर्ष पूर्व करमहोम कांफ्रेंस लाइन्स की सदस्य परिवहन कम्पनियों ने विकासशील देशों की सरकारों को महत्वपूर्ण रियायतें दी थी । रियायत यह थी कि सरकार अर्थात केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा अधिकारिक प्रयोजनों हेतु यदि कोई कम्पनी कुछ सामान का निर्यात करना चाहती है तो उसे माल भाड़े में 25 प्रतिशत छूट दे दी जायेगी । यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु इस माल का प्रयोग किया जाता है तो, उक्त छूट नहीं दी जायेगी, ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें अनेक कम्पनियों ने यह गलत घोषणा करके अखबारी कागज का प्रयोग केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी निकाय द्वारा किया जाना है न कि वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु अखबारी कागज का निर्यात किया है । गत वर्ष राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज की सप्लाई के लिए मैसर्स एक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी लिमिटेड, वानकूवर, कनाडा से एक समझौता किया है । इस संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्टरूप से यह घोषणा की गई थी कि इस कागज का प्रयोग सरकारी अधिकरणों तथा सम्बद्ध अधिकरणों द्वारा ही किया जाना है । इसके बाद उन्होंने 500 अमरीकी डालरों की रियायत ले ली थी और इस प्रकार हमे इतनी ही विदेशी मुद्रा की हानि हो गई । सिंधिया स्टीम एण्ड नेवीगेशन कम्पनी के अधिकारियों ने इस अनियमितता का पता लगाया था। उन्होंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा था । मैं इन सभी चीजों की फोटोस्टेट कापियां आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखना चाहता हूं । अनुमानतः 7.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है । राज्य व्यापार निगम को अखबारी कागज के आयात पर नियंत्रण रखने की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करना था । राज्य व्यापार निगम ने सीधे निर्माता से माल की खरीद करनी थी । अतः मेसर्स एक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी लिमिटेड के साथ करार के क्या कारण हैं । ऐसा समझा जाता है कि इस कम्पनी को कनाडा के तीन कागज निर्माताओं ने बनाया है और इसकी अपनी कोई पूंजी नहीं है । दूसरे इस करार में कार्यकाम सम्बन्धी गारंटी तथा दण्ड सम्बन्धी खण्ड भी नहीं हैं । इन खण्डों को उक्त करार में शामिल करने के कारण क्या हैं । यह भी समझा जाता है कि मैसर्स एक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी लिमिटेड, कनाडा के तथा डी० एस० एस० आई० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली के भारत में एजेन्ट है । इस कम्पनी के भागीदारों के नाम हैं मेजर विनोद खन्ना और विपिन खन्ना । ये व्यक्ति प्रसिद्ध गल्फर काण्ड में अन्तर्ग्रस्त थे ! इस सौदे में हमारे देश को लगभग 50 करोड़ रुपये की हानि हुई थी । इन लोगों को अन्य नाम के अधीन कार्य करने की अनुमति किन कारणों के अन्तर्गत दी गई है । यह बात भी समझ में नहीं आई कि मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के एजेन्टों ने कनाडा में मेर्सस एक्सपोर्ट सेल्ज कम्पनी लिमिटेड की घोषणा को किस प्रकार स्वीकार कर लिया है चौथे करार के अनुसार कागज की कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्रति टन 170 अमरीकी डालर प्रति टन था । इसी किस्म का कागज सस्ते दामों पर भी उपलब्ध था । अतः महंगी दरों पर कागज खरीदने के क्या कारण हैं । गत वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये के कागज का आयात किया गया है जिसमें 6-1/2 करोड़ रुपये भाड़ा दिया गया है ।

मैं मध्य पूर्व से राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल के निर्यात का उल्लेख करना चाहता हूँ । करार की शर्तों के अनुसार मध्यपूर्व में चावल के आयातकर्ताओं का जहाज तक भाड़ा देना था

और यह समझा जाता था कि भाड़ा भारतीय नौवहन कम्पनियों को भारतीय मुद्रा में दिया जा रहा है। इस में यह सन्देह था कि इस सौदे में देश को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि मामले की उचित जांच की जाये और एक संसदीय समिति को इस मामले की उचित छानबीन करनी चाहिए। क्या सरकार संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच कराने को तैयार है।

एक अन्य अवसर पर विदेश मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी सवाल को समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर ध्यान दिलाने वाली सूचना नहीं देनी चाहिए। परन्तु मैंने देखा है कि गत वर्षों में 99 प्रतिशत ध्यान दिलाने वाली सूचना समाचार पत्रों में छपे समाचारों पर ही आधारित थी। इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। चीन का भारत पर आक्रमण के बारे में भी पहले समाचार पत्रों में ही समाचार छपे थे और इन्हीं के आधार पर ध्यान दिलाने वाली सूचना सभा में प्रस्तुत की गई थी। अतः मेरे विचार में समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर ध्यान दिलाने वाली सूचना मेरा देना ठीक ही है।

अध्यक्ष महोदयः ध्यान दिला देने वाली सूचनाओं को ग्रहीत करते समय मैं यह नहीं देखता कि यह किस प्रकार आधारित है, मैं तो केवल यह देखता हूं कि इसमें कुछ सार है अथवा नहीं।

श्री राजबहादुरः मैंने समाचार पत्रों में छपे समाचारों को बड़ी सावधानी से पढ़ा है। आरोप यह है कि भारतीय पत्तनों के मालिकों को 7.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा से वंचित किया गया है। मेरा निवेदन है कि हमारे प्रयासों के कारण ही हमें अमरीकी नौवहन कम्पनियों से 25 प्रतिशत की छूट मिली थी। यह एक प्रकार का हमारे बीच तथा पोतपरिवहन कम्पनियों के बीच करार था। अतः हमारे द्वारा विदेशी मुद्रा की हानि उठाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने विशेष रूप से पूछा था कि किन कम्पनियों को हानि हुई है ताकि जांच कराई जा सके। नौवहन कम्पनियों द्वारा यह प्रश्न भी उठाया गया था कि सभी माल विकास परियोजजाओं के लिए नहीं होता अतः यह छूट सभी प्रकार के माल पर लागू नहीं होनी चाहिए। अतः निजी माल पर छूट नहीं दी जाती। गत अप्रैल में मैसर्स एक्सपोर्ट एण्ड सेल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा लागत की या भाड़ा के आधार पर एक खेप भेजी गई थी संभवतया वह नवीनतम परिवर्तन से अज्ञानता के कारण हुआ था। अतः उन्होंने 66,567 करोड़ रुपये की भाड़े में छूट दी थी, इस बात को हमारे साथ उठाया गया था। हमारा उत्तर था कि सरकार का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। कम्पनी की पूंजी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। जहां तक दन्ड वाले खण्ड का सम्बन्ध हैं उन दोनों पार्टियों के बीच है और सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक मेजर खन्ना आदि का सम्बन्ध है कोई भी कम्पनी किसी को भी अपना एजेंट नियुक्त कर सकती है। यदि कोई कम्पनी काली सूची में है तो सरकार उससे लेन देन नहीं करती। यह मामला विदेश व्यापार मंत्रालय से सम्बन्धित है। यदि अखबारी कागज का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये था तो भाड़े में 7.5 करोड़ की हानि नहीं हो सकती। संसदीय आयोग की नियुक्ति के बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। प्रत्यक्ष रूप में कोई मामला नहीं बना है।

कलकत्ता में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

Law and order Situatin in Calcutta

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पश्चात कलकत्ता में हत्या की अनेक घटनायें घटी हैं। पिछले दिनों मार्क्सवादी श्री माधव बनर्जी को कुछ गुण्डों ने कोलना स्टेशन पर मार दिया था। प्रत्येक दिन हत्याओं के समाचार आ रहे हैं। भारत के साम्यवादी दल (मार्कसवादी) के सदस्यों को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने श्री सिद्धार्थ शंकर राय को किसी विशेष मिशन पर कलकत्ता नहीं भेजा है परन्तु वह वहां पर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे वह वहां के शासक हों। दूसरे श्रीराम के आदेशाधीन सभी स्थानों पर सेना भेजी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री अभी इस बारे में एक वक्तव्य दें। वह लोगों का अविवेकपूर्ण ढंग से कत्ल कर रहे हैं। लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बंगाल की इस गम्भीर स्थिति की ओर हम सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। लोगों को कुत्तों और बिल्लियों की तरह कत्ल करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय मन्त्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

दिल्ली में खराब डबल रोटी की सप्लाई के बारे में

Supply of Defective Bread in Delhi

Shri Amber (Ferozabad) : I want to draw your attention on a very important matter. I purchased a Britania bread and I have found this a price of dirty cloth in it. It is a very serious matter.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामले स्थानीय सरकार नगर निगम अथवा महानगर परिषद से सम्बन्धित होते हैं और इनको कहीं पर उठाया जाना चाहिए। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस पर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ है। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इसको सम्बन्धित मंत्री को भेज दें ताकि वह कुछ कार्यवाही कर सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्या आप इस प्रकार की पद्धति को यहाँ पर अच्छा समझते हैं अथवा इसका अनुमोदन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका कि इस मामले को उठाने की यह उचित जगह नहीं है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

पाइराइट्स फास्फेट्स और कैमिकल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : मैं श्री एस० मोहन कुमारमंगलम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) पाइराट्स फास्फेट्स और केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) पाइराइट्स फास्फेट्स और केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 626/71]

अनुदानों की मांगें 1971-72

Demands for grants 1971-72

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अध्यक्ष महोदय : सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अब आगे चर्चा होगी । माननीय मंत्री वादविवाद का उत्तर देगीं । हमेशा यह प्रथा रही है कि वाद-विवाद के लिए समय को बढ़ा दिया जाता है । इस प्रकार हम निर्धारित कार्य से बहुत पीछे रह गये है और हमें अन्त में कुछ भागों को बिना चर्चा के ही पास करना होगा ।

श्री जगन्नाथ राव (छतर पुर) : प्रेस आयोग ने 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है । श्री सिन्हा तथा गुजराल ने कहा था कि वे सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रहे हैं । प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के मामले में विजीय कठिनाइयों का हवाला दिया गया है । यह भी कहा गया है कि वह इसको निगम बनाने के लिए गये शेयर होल्डरों पर जोर देंगे । क्या सरकार दूसरा प्रेस आयोग स्थापित करने का विचार करेगी ?

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : आकाशवाणी पर कुछ सदस्यों का ही एकाधिकार है । मेरे जैसे सदस्यों के भाषणों का उल्लेख आकाशवाणी द्वारा नहीं किया जाता । मैं जानता हूँ कि समय की कुछ पाबन्दी है । परन्तु 'टू डे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में वह वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम तो बता ही सकते हैं । मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में दर्जनों पत्र मिले हैं जिनमें पूछा गया है कि मेरे द्वारा वाद-विवाद में भाग न लिए जाने के क्या कारण हैं । मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने चाहिए ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नंदिनी शतपथी) : मैं वाद-विवाद के दौरान उठाये गए कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी तथा मैं मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालूँगी । अनेक सदस्यों द्वारा चन्दा समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है । इसी सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पंडित नेहरू के वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया है । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । हम स्वयं इस बात से सहमत हैं कि आकाशवाणी जैसे बड़े और विकासशील संगठन को जिसे विकासशील समाज के साथ सम्बन्ध बनाना हो, निश्चय ही गतिशील होना चाहिए । इसके सम्पूर्ण प्रबन्ध-कार्य पर सरकार का नियंत्रण उपयुक्त नहीं है । परन्तु इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि आकाशवाणी, प्रेस की तरह नहीं है जहां कि विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार विचार व्यक्त किये जा सके । आकाशवाणी को एक तरह से सरकार की आवाज ही समझा जाना चाहिए । किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह सही

और तर्कसंगत है कि निर्देशक बोर्ड के सदस्य चाहे वह कितनी ही सावधानी से चुने गये हों, वह किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। सरकार में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गये हो उन्हें य सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या आकाशवाणी अपनी भूमिका सही रूप से निभा रहा है या नहीं। इसीलिए सरकार ने अभी तक चन्दा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु हां, हम आकाशवाणी का एक ऐसा संगठन बनाने का विचार अवश्य कर रहे हैं जिसमें व्यवस्थापक स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था हो।

हमारे कुछ सदस्य महोदय टेलीविजन के विस्तार के पक्ष में नहीं हैं। उनका विचार है कि टेलीविज़न भारत जैसे गरीब देश के लिए एक ऐश्वर्य की वस्तु है। परन्तु हम उनकी इस धारणा से सहमत नही है। हमारा विचार है कि टेलीविजन का विस्तार करके, गांवों में कम्यूनिटी रिसीविंग सेट स्थापित करके, कृषि और शिक्षा आदि से संबंधित प्रसारणों द्वारा हम, देश में काफी विकास-कार्य कर सकते हैं। टेलिविज़न की दिशा में हमने अभी कार्य आरम्भ ही किया है और हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक बम्बई, श्रीनगर, कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में भी ऐसे टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने में हम सफल हो जायेंगे। इसके साथ साथ हम उपग्रह के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहे हैं और हमने एक वर्ष के लिए अंतरिक्ष में, विदेशी सहयोग से, प्रयोग के तौर पर उपग्रह छोड़ने का प्रबन्ध कर लिया है।

उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक के दल के माननीय सदस्य श्री महन्ती ने कटक से 20 किलोवाट के ट्रांसमीटर के सीमित प्रसारण का उल्लेख किया है। मुझे सदस्यों को यह सूचना देते हुये हर्ष हो रहा है कि चौथी योजना में कटक के लिए 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है और हमें आशा है कि 1972-73 के दौरान 100 किलोवाट का यह ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा। इसी प्रकार अन्य स्टेशनों से भी प्रसारण में वृद्धि तथा विस्तार करने की हमारी योजनायें है परन्तु इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग की हमें आवश्यकता है। यदि उड़ीसा में हमारे विकास की प्रगति में कोई रुकावट आई है तो इसका कारण यही है कि वहां राज्य सरकार ने हमारे साथ असहयोगपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने भूमि का मूल्य प्राप्त कर लेने के बाद भी अभी तक हमें भूमि का कब्ज़ा नहीं दिया। अतः राज्य सरकार को चाहिये कि वह हमें अपना पूर्ण सहयोग दे ताकि हम राज्य की और अधिक अच्छी सेवा कर सकें।

एक माननीय सदस्य ने आकाशवाणी द्वारा हिन्दी भाषा की अवहेलना अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्त्व देने की शिकायत भी की है। मैं इस सम्बन्ध में सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार की नीति के अनुसार, प्रसारण कार्यक्रमों में हिन्दी को उचित स्थान देना का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है। केवल इतना ही नहीं हिन्दी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित किए जा रहे है। वास्तव में आकाशवाणी के माध्यम से, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही हमारा विचार शिक्षा के इस कार्यक्रम को ओर अधिक विस्तृत करने का भी है।

माननीय सदस्य, श्री बासुमतारी ने आदिवासी लोगों की विशिष्ट संस्कृति और इस संस्कृति की आकाशवाणी के प्रसारणों के माच्यम से सुरक्षित प्रदर्शित करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में सदस्य को स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह सरकार की स्वीकृत नीति है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रसारण का समय बढ़ाया जाये। चौथी योजना बनाते समय भी हमने इस बात को मुख्य रूप से दृष्टिगत रखा है। चौथी योजना के दौरान हम आदि-

वासी क्षेत्रों में बहुत से अन्य केन्द्र स्थापित करेंगे और हमारा यही प्रयास होगा कि देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाये।

एक माननीय सदस्य ने युववाणी कार्यक्रम की आलोचना करते हुये कहा है कि इस कार्यक्रम पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के युवकों और उनकी विभिन्न रुचियों को दृष्टिगत रखते हुये बनाया जाता है। पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम भी कार्यक्रम में विभिन्नता लाने की दृष्टि से और विभिन्न रुचियों की संतुष्टि के लिए जोड़ा जाता है।

अब मैं अपने मंत्रालय के सूचना पत्र को लेती हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने देश में प्रेस के बढ़ते हुये एकाधिकार के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार भी इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और इसलिए हम उन छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठा रहे है। उदाहरण के लिए छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अखबारी कागज बहुत नर्म शर्तों पर दिया जा रहा है। मुद्रण की मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में उन्हें ढील दी जा रही है, इसी प्रकार सरकार विज्ञापनों के मामले में भी इन पत्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार को इस बात की भी पूर्ण जानकारी है कि बड़े बड़े समाचार पत्रों द्वारा जो समस्या उत्पन्न की गई है, उसका समाधान, पहले उठाये गये कदमों से होने वाला नहीं है। अतः सरकार इसके सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत एक उपाय यह भी होगा कि उपयुक्त कानून के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे ऐसे समाचार पत्रों पर जिनका कि परिचालन एक निर्धारित न्यूनतम सीमा तक होगा, उनके स्वामित्व का अधिकार बहुत से व्यक्तियों को दे दिया जायेगा। सरकार इसी प्रकार के एक अन्य उपाय पर भी विचार कर रही है। सरकार का विचार छोटे तथा मध्यम अखबार समाचार पत्रों की सहायता के लिए एक समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना करने का भी है। इसी उद्देश्य की दृष्टि से वर्तमान बजट में एक करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार की संस्था की स्थापना करने के लिए, इसी वर्ष एक विधेयक प्रस्तुत करने का भी हमारा विचार है।

माननीय सदस्य श्री सी० सी० देसाई ने प्रेस आयोग की इस सिफारिश का उल्लेख किया है जिसमें पी० टी० आई० को एक सरकारी अधिकरण के रूप में परिणित करने की सिफारिश की गई है। प्रेस आयोग को आशा थी कि पी० टी० आई० स्वयं ही सुझाव को स्वीकार कर लेगा। आयोग ने यह सुझाव भी दिया था कि पी० टी० आई० को 10 लाख रुपये का ऋण भी दिया जाये परन्तु इसके साथ ही यह शर्त लगाई गई थी यह ऋण तब दिया जाये जब कि पी०टी०आई० इसे निगम में परिवर्तित करने को तैयार हो। सरकार ने पी०टी०आई० को भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए की बहुत बड़ी राशि ऋण के रूप में दी है, परन्तु पी०टी०आई० ने अभी तक इस सुझाव का कोई उत्तर नही दिया है। अब सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह सिफारिश किस प्रकार क्रियान्वित की जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने समय समय पर सदन में अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। वास्तव में हमें भी इस बात की चिन्ता है और हम देश में एक भारतीय समाचार एजेंसी की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते है। हम वर्तमान समाचार एजेंसियों या ऐसी सहव्यवस्था वाली समाचार एजेंसियों का विकास अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के रूप में ही करना चाहते है।

चर्चा के दौरान उर्दू समाचारपत्रों की आलोचना भी की गई है। लगभग सभी समाचार पत्रों ने बंगला देश सम्बन्धी हमारी नीति का समर्थन किया है। हाँ, किसी समाचार पत्र की गति-विधियां राष्ट्रविरोधी हुई, तो सरकार अवश्य उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

अब मैं लोक सम्पर्क के सबसे प्रमुख साधन, फिल्मों को लेती हूं। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हूं कि भारत का फिल्म उद्योग, विश्व के बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। निश्चय ही हमारी उत्पादन क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। यदि इस उद्योग का उचित विकास किया जाये तो यह निश्चय ही देश की उन्नति का एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध हो सकता है। मुझे मालूम है कि इस उद्योग में कुछ बुराईयाँ है और जब तक उन्हें दूर नही किया जाता तब तक फिल्म उद्योग आशातति उन्नति नही कर सकता। सरकार फिल्म वित्त आयोग के लिए समुचित धनराशि जुटाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि फिल्म वित्त आयोग सिनेमागृहों के लिए भवनों के निर्माण तथा उन्हें पट्टे पर देने तथा फिल्मों के प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धी व्यापार में भी सीधे रूप से भाग ले सके। इसलिए हमने फिल्म डिवीजन के विकेन्द्रीकरण का भी निर्णय किया है।

कलकत्ता से मेरे मित्र, श्री पी०आर०दास मुंशी ने शिकायत की है कि फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार किये गये समाचार दर्शनों में प्रादेशिक समाचारों को उचित ढंग से प्रस्तुत नही किया जाता है। उनकी इस बात को दृष्टिगत रखते हुये ही हमारा न्यूज सेलों के लिए एक अनुभाग बनाने का विचार है और इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। जहां तक क्षेत्रीय समाचारों और क्षेत्रीय प्रबन्ध का सम्बन्ध है, इस समय हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 177 एकक कार्य कर रहे है और चौथी योजना की अवधि में प्रतिवर्ष 10 नये एकक स्थापित करने का हमारा विचार है। यह एकक निदेशालय के अन्तर्गत कार्य करते है। इसी निदेशालय का कार्य भारत दर्शन सम्बन्धी यात्राएँ आयोजित करना होता है जो अब तक बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हमारा संगीत तथा नाटक प्रभाग भी देश के विभिन्न भागों में काम कर रहा है और इसने सफलतापूर्वक सोन-इट-ल्यूमिरें का विकास किया है। इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

अन्त में मैं अन्य सदस्यों की तरह ही आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र द्वारा बंगला देश के सम्बन्ध में किये गये कार्यक्रमो की सराहना करना चाहती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस प्रसारण कार्य में आकाशवार्णी के अन्य केन्द्र भी पीछे नही रहे है।

दूसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का प्रश्न भी उठाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहती हूँ कि अभी सरकार दूसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझती है।

श्री शशि भूषण द्वारा प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के प्रबन्ध द्वारा धन के गबन का उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व भी मैं किसी अन्य अवसर पर बता चुकी हूँ कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। कम्पनी कार्य विभाग ही इस बात का निर्णय करेगा कि यह मामला किसे सौपा जाना चाहिए और हमें कम्पनी विभाग का निर्णय शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

एक माननीय सदस्य ने हिन्दी के समाचार बुलिटनों में संस्कृत निष्ट शब्दों के अधिक प्रयोग पर शिकायत व्यक्त की है। मुझे इस के सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि हिन्दी बुलिटनों

का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और इस बात के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी भाषा प्रयोग की जाये, जिसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें ।

Shri Gyaneshwar Prasad: I have sugested to appoint a Additional Directer cntialy for Hindi work.

Smt. Nandini Satpathy: How special recognition is accorded to Hindi by appointing a Director or an Addl. Director ? Under the circumstances we are giving the necessary recognition to Hindi.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखें गये और अस्वीकृत हुए

The cut Motion were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministary of Information ann Broad Casting were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
57.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	21,57,000
58.	प्रसारण	10,96,61,000
59.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,74,14,000
129.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	8,13,64,000

रक्षा मंत्रालय

वर्ष 1971-72 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गई :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
1.	रक्षा मन्त्रालय	81,19,000
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	5,42,50,67,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय जल-सेना	39,52,67,000
4.	रक्षा सेवायें, सक्रिय वायु-सेना	1,63,30,00,000
5.	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	31,53,33,000
111.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,08,85,33,000
112.	रक्षा मन्त्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय	3,06,67,000

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : समयाभाव के कारण सेना के तीनों अंगों की रणनीति, उपकरण और अस्त्र-शस्त्रों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाल सकूंगा । मैं प्रतिरक्षा व्यवस्था के कुछ मूल पहलुओं की ही इस समय चर्चा करूंगा ।

देश की वर्तमान प्रतिरक्षा-व्यवस्था भारत सरकार ने अंग्रेजों से बत्तराधिकार रूप में प्राप्त की थी, जिन्होंने भारत को परतन्त्र बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था बनाई थी। काग्रेस-शासन के 24 वर्ष बाद भी आज हम देखते हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई इस प्रतिक्रियावादी रक्षा-व्यवस्था का उपयोग लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलनों को कुचलने के लिए किया जाता रहा है।

वर्ष 1968-69 में प्रतिरक्षा-व्यय 1051 करोड़ रुपये था जो अब वर्ष 1971-72 में बढ़कर 1,241.66 करोड़ रुपये हो गया है। औसतन प्रतिवर्ष 50 करोड़ रु० की वृद्धि इसमें हुई हैं। जब देश के सामने गम्भीर आर्थिक संकट है, सारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बन्द हो रहे हैं, सिचाई सुविधाओं के अभाव में खेती सूख रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो प्रतिरक्षा-व्यय को इतना बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

24 वर्ष के शासन के उपरान्त प्रतिरक्षा उत्पादन के मामले में देश निस्सन्देह छोटे हथियारों बन्दूको और गोला-बारूद के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है। परन्तु जहां तक बड़े हथियारों का सम्बन्ध है, हम अब भी विदेशी साम्राज्यवादियों और विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। पंच-वर्षीय योजना में देश को प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारी हथियारों और सैनिक सज्जा के मामले में आत्म-निर्भर बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आधुनिक युद्ध-उपकरण विमान और बड़े युद्ध-पोत सभी अमरीका के दिये हुये हैं। घिसे पिटे और पुराने युद्ध-उपकरणों के हमें अमरीका को 700 करोड़ रुपये देने पड़े है। अपनी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए अमरीका साम्राज्यवाद पर आश्रित होकर भारत सरकार स्वतन्त्र विदेशी और गृह-नीति नहीं बना सकती।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

यही नहीं, प्रागा टूल्स हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, गोआ डाक्स, मजगाव डाक्स, और अन्य कई परियोजनाओं के मामले में बाहरी देशों के साथ सहयोग के करार किए गए हैं।

एक ओर हमारे आयुध कारखानों ने कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है, दूसरी ओर ठेकेदार रक्षा उपकरणों के ठेकों द्वारा भारी लाभ कमा रहे हैं। एक ओर हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन कार्य से भारतीय और विदेशी एकाधिकारियों द्वारा करोड़ो रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा है, दूसरी ओर, कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, असैनिक कर्मचारियों के लिए क्वर्टरों का निर्माण नहीं किया गया है, औद्योगिक और ग़ैर-औद्योगिक कर्मचारियो में भेदभाव को समाप्त नहीं किया गया है। इसी प्रकार की अन्य अनेक मांगें लम्बे समय से पूरी नहीं की गई है।

ब्रिटेन से उत्तराधिकार में प्राप्त जनता के विरुद्ध सेना का प्रयोग करने की नीति का न केवल हमारी अर्थ व्यवस्था पर, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं के मनोबल और शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनता पर विश्वास करने और राष्ट्रीय रक्षा के मामले में जनता का सहयोग प्राप्त करने की बजाय सरकार रक्षा सेनाओं को जनता से अलग रखने और सेना द्वारा लोकतान्त्रिक आन्दोलनों को कुचलने की ब्रिटिश शासन की पुरानी नीति का अनुसरण कर रही

है। वियतनाम जैसा छोटा सा देश अमरीकी साम्राज्यवाद से लड़ रहा है। कोरिया जैसे छोटे से देश ने जनता के सहयोग से सन् 1950 और 1953 में अमरीकी साम्राज्यवाद के दांत खट्टे कर दिये थे। वहां स्थायी सेना के अतिरिक्त जनता को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि देश की जनता को विश्वास में लिया जाता है और उसे प्रशिक्षण देकर एक जन-सेना तैयार की जाती है, तो इससे भारतीय सेनाओं की शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सकता है। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि वह जनता को सशस्त्र देने से डरती है।

हमारे राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ तभी पूरी हो सकती हैं, जबकि सभी प्रतिरक्षा सेवाओं में देशभक्ति और लोकतन्त्र की भावना पैदा की जाये। परन्तु उन्हें राजनैतिक साहित्य पढ़ने से हमेशा रोका जाता है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सेनाओं पर कोई आक्षेप न लगायें। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान हमारी सेनाओं की भूमिका उत्कृष्ट रही है।

श्री समर मुकर्जी : मैं तो सरकार की नीति की आलोचना कर रहा हूँ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : क्या आप चीनियों को अब भी आक्रमणकारी करने को तैयार हैं ? **(व्यवधान)**

श्री समर मुकर्जी : अमरीकी साम्राज्यवादियों को आप अपना दोस्त कहते हो।

चीन के रूख में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्य सभी देश चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं। चीन विरोधी पूर्वाग्रह के कारण हमारे देश ने इस बारे में कोई पहल नहीं की है। यह पूर्वाग्रह अमरीकी साम्राज्यादियों द्वारा पैदा किया गया है। हम अमरीकियों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश अमरीका पर सहायता के लिए आश्रित है।

हमें अपने पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए।

रक्षा विभागों के विभिन्न वेतनमानों में बहुत वैभिलय है। अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन दिया जाना है जबकि निम्न श्रेणी के लोगों के वेतनमान बहुत कम है। अधिकारियों को प्रतिवर्ष वेतन के रूप में लगभग 420 करोड़ रुपये दिये जाते हैं जबकि लगभग साढ़ें आठ लाख सैनिकों को कुल 290 करोड़ रुपये ही वेतन के रूप में दिये जाते हैं। इसी प्रकार नौसेना में अधिकारियों को प्रति वर्ष 4 करोड़ और 62 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है जबकि सभी वर्गों के जवानों को कुल 9 करोड़ 96 लाख रुपये ही दिए गए हैं। नौसेनी में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों को 15 गुना अधिक वेतन दिया जाता है। सैनिक को दिल्ली पुलिस के सिपाही से भी कम वेतन मिलता है। यदि इस वैभिलय को जारी रहने दिया गया तो असंतोष फैलेगा और प्रतिरक्षा दलों के नैतिक बल पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों को दबाने के लिए सेना का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। सैनिकों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और यह बात मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। मेरा सुझाव है कि रक्षा नीति में हमें मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए। हमें अपने पड़ौसियों से सम्बन्ध सुधारने चाहिये। रक्षा उद्योगों में विदेशी एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए और जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए सेना के प्रयोग की नीति को त्याग देना चाहिए। यूनिटों का गठन जाति अथवा धर्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिरक्षा सैनिकों के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। इन उपायों से हम देश की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

श्री निबालकर (कोल्हापुर) : यदि हम अपने पड़ोसी देशों के रक्षा बजट को देखें तो हमें पता लगेगा कि उनकी तुलना में हमारा प्रतिरक्षा बजट बहुत ही कम है। चीन प्रतिवर्ष 30 बिलयन डालर अपनी रक्षा पर व्यय करता है और पाकिस्तान अपने कुल बजट का आधे से अधिक भाग रक्षा पर व्यय करता है। अतः इसमें एक पैसा भी कम करना गलती होगा।

मैं रक्षा उत्पादन विभाग के मन्त्री के इस कथन में असंतुष्ट हूँ कि हम छोटे हथियारों के मामले में आत्म-निर्भर हैं। जब तक हमें निश्चितरूप से यह पता होकि हमें किस प्रकार के हथियारों का सामना करना है तब तक यह कहना कठिन है कि हम हथियारों के मामले में आत्म निर्भर हैं। क्या पाकिस्तान और चीन दोनों का एक साथ सामना करने के लिए हम छोटे हथियारों के मामले में आत्म निर्भर हैं। आत्म निर्भता की बात करते समय माननीय मन्त्री को जरा सावधानी से काम लेना चाहिए।

हमारे रक्षा उपकरणों का अधिकांश उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हो रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उपकरणों का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति अपनाई हुई है और इसलिए हमें रक्षा का कुछ सामान गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बनाना चाहिए। युद्ध के समय गैर-सरकारी क्षेत्र हमारी सहायता नहीं कर सकेगा। इस प्रकार हमने केवल इन उद्योगों की ही सहायता कर सकेंगे अपितु उत्पादों की अच्छी किस्म को भी सुनिश्चित कर सकेंगे। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि जो उपकरण विदेशों को निर्यात हम कर रहे हैं उनमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। अतः स्टेण्डर्ड ऊंचा करने के लिए रक्षा विभाग को उद्योग की सहायता करनी चाहिए। हमें लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उपाय करने चाहिए तथा लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि देश के ढांचे में प्रतिरक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्री ने अपनी चीन यात्रा के दौरान बताया था कि रक्षा का अर्थ आज केवल सेनाओं से नहीं है अपितु प्रत्येक व्यक्ति तथा देश के प्रत्येक उद्योग से है एक जवानों के वेतनमानों में कटौती करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः माननीय मन्त्री को जवानों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने पर विचार करना चाहिये। हमारे जवानों को अन्य देशों के सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता हैं। परन्तु हमारे सैनिकों को अन्य देशों के सैनिकों की तुलना में अधिक कठिन काम करना पड़ता है। इस बजट को देखते हुए ऐसी आशा नहीं है कि जवानों को कुछ अधिक दिया जा सकेगा। यदि हमें समूचे देश को युद्ध के लिए तैयार करना है तो हमें इस राशि में शत प्रतिशत अधिक राशि कम करनी होगी। जवानों के वेतनमानों का उचित जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। जवानों के रहने की परिस्थितियों की जांच के लिए भी एक पृथक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

रक्षा मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये।

मां सख्या	कटौती प्रमाण सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती धनराशि
1	2	3	4	5
1	1.	श्री सरोज मुखर्जी	देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए सेना का प्रयोग करने की अवांछनीयता।	100 रु०

1	2	3	4	5
	2.		अपने ही लोगों को मारने और लोकतन्त्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए सेना का प्रयोग करने की अवाछनीयता ।	100रु०
2	3.	डा० लक्ष्मीनरायण पाण्डे	देशवासियों की अणु-बम बनाने की मांग स्वीकार करनें में असफलता ।	100 ,,
2	4.		सेना को नवीनतम एवं आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों एवं युद्ध-उपकरणों से लैस करने में विलम्ब ।	100 ,,
3	5.		भारतीय नौसेना को नवीनतम एवं आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से लैस करने में असफलता ।	100 ,,
4	6.	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	वायु सेना की शक्ति बढ़ाने की असफलता ।	100 ,,
III	7.	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	सुरक्षा सामग्री का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	100 ,,
III	8.		विभिन्न सुरक्षा उपकरणों का निर्माण आरम्भ करने में विलम्ब ।	100 ,,
I	9.	श्री एन. श्रीकांतन नायर	केरल से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की दोहरी पुलिस जांच ।	राशिघटा कर एक
I	10.		सामान्य तौर पर बोली लगाने वाले अत्यन्त भ्रष्ट व्यक्ति को ठेके दिया जाना, विशेष रूप से करोड़ों रुपये के उन ट्रकों के प्रसंग में जिन पर बाडी बनाने के ठेके को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण पिछले दो वर्षों से जंग लगता जा रहा है ।	रु० कर दी जाये ,,
I	11.		केरल राज्य में बारूद अथवा शस्त्रास्त्र का एक भी कारखाना स्थापित न करके इस राज्य के साथ दिखाया गया भेदभाव ।	100 ,,
I	12.		रक्षा सेनाओं की तीनों शाखाओं में भर्ती केन्द्रों की स्थापना करने में असफलता ।	100 ,,

1	2	3	4	5
1	13		भरती करने के मामले में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ।	100रु०
1	14		विस्फोटक बर्थ को कोचीन बन्दरगाह में ले जाना, जबकि अन्य बन्दरगाहों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया था, और इससे इस पत्तन, तेल शोधनशाला और इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है ।	100 ,,
1	15		बाहर से खरीदे गये शस्त्रास्त्र, चिकित्सा तथा अन्य सामान की घटिया किस्म ।	100 ,,
1	16		भोजन, वस्त्र, भत्ते तथा वेतनमानों के सम्बन्ध में जवानों के साथ किया गया भेदभाव ।	100 ,,
1	17	श्री एस० एम० बनर्जी	एम० ई० एस० के नैमित्तिक कर्मचारियों को आन्तरिम सहायता न दी जाना ।	100 ,,
1	18		कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी न मानना ।	100 ,,
1	19		आयुध कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग न करना ।	100 ,,
1	20		रक्षा मन्त्रालय के सिविल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 ,,
1	21		जवानों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 ,,
1	22		सेना इन्जीनियरी सेवा में ठेका पद्धति समाप्त करने का आवश्यकता ।	100 ,,
1	23		सिविल कर्मचारियों के लिए स्थायी वार्ता व्यवस्था पुनःस्थापित करने की आवश्यकता ।	100 ,,
1	24		सेना कर्मशालाओं को उत्पादक कारखानों का दर्जा देने की आवश्यकता ।	100 ,,
1	25	श्री एस० एम० बनर्जी	औद्योगिक और गैर-औद्योगिक सेवा की शर्तों में विद्यमान अन्तर को दूर करने की आवश्यकता ।	100 ,,

1	2	3	4	5
1	26		1960 की हड़ताल के बाद कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता।	100 ,,
1	27		प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को आयुध कारखानों में काम पर लगाने में असफलता।	100 ,,
1	28		जम्मू और कश्मीर के रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों को कार्मिक संघ के अधिकार देने से इन्कार किया जाना।	100 ,,
1	29		आयुध कारखानों में काम की कमी।	100 ,,
1	30		आयुध उत्पादन बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना।	100,,
1	31	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	सैनिकों को अणु-अस्त्रों से लैस करने में असफलता।	100 ,,
1	32		रक्षा व्यय बढ़ाने और हमारे सैनिकों को पाकिस्तान और चीन का एक साथ मुकाबला करने के लिए आवश्यक हथियारों से लैस करने में असफलता।	100 ,,
1	33		रक्षा प्रतिष्ठान में सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों और असैनिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने में असफलता।	100 ,,
1	34		देश को रक्षा उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर बनाने में असफलता।	100 ,,

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारी सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की भड़काने वाली कार्यवाहियां पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। आज भी यह समाचार आया है कि पाकिस्तानी सेनाएं पेट्रापोल क्षेत्र पर गोलाबारी कर रही है। अतः ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि हम भी कुछ सैनिक कार्यवाही करें। मैं अपने दल की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम सैनिक कार्यवाही करने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु यदि हम पर आक्रमण हो जाता है तो फिर मामला दूसरा है। इस समूचे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक है कि एक नये प्रकार का आक्रमण हमारे देश के विरुद्ध किया जा रहा है। लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को भारत में धकेल दिया गया है। हमें सैनिक कार्यवाही न करके मुक्ति फौज की सभी प्रकार से सहायता करनी चाहिये तथा उनका समर्थन करना चाहिए। मुक्ति फौज वास्तव में मुक्ति सेना है

जो कि एक दिन अवश्य ही विजय प्राप्त करेगी । अतः हमें मुक्ति फौज की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए, जिससे वह अपने देश को आजाद करा सके । मेरे विचार से मुक्ति फौज की पर्याप्त रूप से सहायता नहीं की जा रही है । मुक्ति फौज की सहायता करने का एक तरीका यह भी है कि बंगला देश सरकार को मान्यता दे दी जाये । यद्यपि यह मामला रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता तो भी दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है । हमें एक दिन अवश्य खुले रूप से विश्व को बताना होगा कि हम मुक्ति फौज के साथ है अथवा कसाई टिक्का खां के साथ । अतः मैं महसूस करता हूं कि हमें बंगला देश को अवश्य मान्यता देनी चाहिए ।

इसके साथ साथ हमें अपनी सेना को पूरी तरह तैयार रखना चाहिए क्यों कि पता नहीं दूसरा पक्ष क्या कार्यवाही करे। तनाव उत्पन्न किया जा रहा है और सम्भव है कि ऐसी स्थिति आ जाये जिससे पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर दे । अतः हमें अपनी सेना को पूरी तरह तैयार रखना चाहिए ।

सेना में भी अब राजनैतिक तत्व आते जा रहे हैं । प्रतिदिन सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सेना को बुलाया जा रहा है । सेना को युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है न कि पुलिस के कर्तव्य निभाने का । हमें इस बात का गर्व था कि हमारी सेना एक संगठित दल है और इस में कोई राजनैतिक दबाव नहीं था । परन्तु सेना अब पुलिस का कार्य कर रही है । इस से सेना के नैतिक बल पर प्रभाव पड़ता है । देश की समास्याओं को सैनिक बल से नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक उपायों से हल किया जा सकता है । विधि व्यवस्था बनाये रखने का काम पुलिस से ही लिया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए सेना को नहीं लगाया जाना चाहिए । सेना को यह सोचने के लिए हमें बाध्य नहीं करना चाहिए कि केवल सेना ही सिविल शक्ति को बनाये रख सकती है । यह बहुत खतरनाक बात है । हमें अनेक पड़ौसी राज्यों से इस बारे में सबक लेना चाहिए । ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि हड़तालों आदि को समाप्त कराने के लिए क्षेत्रीय सेना का प्रयोग किया गया है । ऐसा करना क्षेत्रीय सेना अधिनियम के विरुद्ध है । सिविल शक्ति की सहायता के लिए सेना का प्रयोग केवल आपात कालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। अतः अभी आपात स्थिति की कोई घोषणा नहीं की गई है । अतः सेना के इस प्रकार प्रयोग से जनता में उसका सम्मान कम हो जायेगा ।

क्या श्रीलंका के अतिरिक्त विद्रोही को दबाने के लिए अपने लोगों को भेजना आवश्यक था । वहाँ पर ब्रिटेन, रूस, पाकिस्तान, तथा अमरीका ने हथियार भेजे थे । जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है श्रीलंका सरकार ने कहा है कि चीन का इस विद्रोह में कोई हाथ नहीं था । चीन ने भी इस विद्रोह की निन्दा की है । इससे मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हमें ऐसे मासलों में सावधानी से काम लेना चाहिए । हमारी सेना ने कांगों, गोआ और उत्तर कोरिया में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाये रखा है परन्तु संयुक्त राष्ट्र तथा उसके महा सचिव ने हमारी समस्याओं और संकट के प्रति पारस्परिक व्यवहार नहीं किया है । मेरी जानकारी के अनुसार श्रीलंका की सरकार ने भारत की सैनिक टुकड़ी को पसंद नहीं किया है । हमारी सेना भी उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में प्रसन्न नही थी ।

सेना के नैत्तिक बल को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी सेवा की शर्तें तथा वेतन में सुधार किया जाये । जरनल मानिकशाह ने भी जवानों को अधिक वेतन दिये जाने की मांग की है ।

प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के बारे में इस छोटी सी पुस्तिका में बड़ी बड़ी बातें कहीं जाती हैं। हर व्यक्ति इसके महत्त्व को स्वीकार करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। किन्तु बजट में निर्धारित कुल 1200 करोड़ रुपये की राशि में से इसके लिए 1971-72 में केवल 19 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इससे ऐसा संकेत नहीं मिलता हैं कि हम प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे है। प्रतिरक्षा के मामले में आत्म निर्भरता होना अति आवश्यक होती है। मैं नहीं चाहता कि हमारी सेना शास्त्रास्त्रों के लिए अमरीका रूस अथवा किसी अन्य देश पर निर्भर रहे। अतः इस क्षेत्र में आत्मनिर्भता के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विभाग के विस्तार के लिए और अधिक राशि नियत की जानी चाहिए। प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में प्रायः यह शिकायत की जाती है। कि इस सम्बन्ध में प्रर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है। किन्तु सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती। नये आयुध कारखानों के बारे में मुझे पता नहीं है किन्तु पुराने कारखानों में डिजाइन विभाग नहीं हैं। उदाहरण के लिए ईशापुर के आयुध कारखाने में बनायी जा रही अर्ध-संचालित राइफलों का डिजाइन रूड़की में या कहीं अन्यत्र होता है। प्रत्येक कारखाने में डिजाइन इंजिनियरिगं की अपनी अलग व्यवस्था होनी चाहिए अम्बाजरी कारखाने के बारे में प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि उसमें उत्पादन शुरू हो गया है। किन्तु इसमें उत्पादन देर से शुरू हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका से तकनीकी ज्ञान हमें नहीं उपलब्ध हुआ हैं और इसके चालू होने में पर्याप्त विलम्ब हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विजयन्त टैंक की बन्दूकें और अन्य पूर्जे भारत में ही बनने लगे हैं अथवा अभी भी उनके मामले में हम अन्य देशों पर ही निर्भर करते हैं।

इस पुस्तिका में बताया गया है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड के नासिक डीविजन ने मिग 21 विमान तैयार कर लिया है। क्या यह विमान पूर्णरूपेण देशी सामान से बना है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। वायु सेना की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास बमवर्षक विमान होने चाहिए। इस एच एफ 24 विमान को प्रयास के बावजूद सुपरसोनिक क्षमता में परिवर्तित नहीं कर सके हैं। क्या भारतीय बमवर्षक विमान के डिजाइन का काम राष्ट्रीय एयरोनाटिक्स प्रयोगशाला या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। जहां तक भारत इलैक्ट्रानिक्स का सम्बन्ध है उसका सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी से बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं है। भारत इलैक्ट्रानिक्स में जो वस्तुएं विदेशी सहयोग से बनायी जा रही है वे पिलानी स्थित इलैक्ट्रानिक इंजिनियरिंग इंस्टीट्यूट में पहले ही बनाई जा चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है ?

मजागाँव डाक्स में स्थित लीडर क्लास फ्रीगेट में कार्य 23 अक्टूबर 1968 में शुरू हुआ था। इस प्रतिवेदन के अनुसार पहला भारतीय लीडर क्लास फ्रीगेट 1971 में परीक्षण के लिए तैयार होगा। यदि एक एक फ्रीगेट के बनाने में तीन तीन वर्ष का समय लगता है तो 6 फ्रीगेट बनाने में कितना समय लगेगा। आप इसका अनुमान लगायें। क्या नौसेना में प्रगति का दर यही है।

मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि गैर सरकारी क्षेत्र को अधिक भाग लेने की अनुमति दी जाये, विशेष रूप से जबकि सरकारी आयुध कारखाने में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त 'सोफ्ट बार' नामक एक खाद्य पदार्थ जो ऊंचे स्थानों पर जवानों के लिए किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा भेजा जाता है, वह बहुत ही घटिया किस्म का होता है।

जहाँ तक फिजूल खर्ज का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है कि जवानों को अच्छे वेतन और भत्ते देते हुए भी हमें प्रतिरक्षा के लिए नियत राशि को पानी की तरह नहीं बहाना चाहिये। प्रत्येक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कई कारखानों में मशीनें बेकार पड़ी हैं। यदि इन मशीनों को काम में लाया जाता है और उनसे उत्पादन किया जाता है तो 179.70 लाख रुपये की राशि बचायी जा सकती थी जो उन वस्तुओं के आयात पर खर्च आई है। कुछ परिवहन विमान विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से बदले भी गये हैं। इनमें फेरबदल के लिए 454,000 पौंड मंजूर किये गये थे किन्तु अंततः उन्हें 910,000 पौंडों का भुगतान करना पड़ा। इन विमानों में इतना खर्च केवल इसलिए किया गया है कि उनमें मंत्रीगण या अधिकारीगण यात्रा किया करेंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसा खर्च न किया जाये, क्योंकि प्रतिरक्षा का बजट अब वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण भी बढ़ जायेगा अतः मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे अवसर पर, जबकि हमारे सामने युद्ध की सम्भावना साक्षात रूप में खड़ी है, सरकार की सेना सम्बन्धी नीति किस प्रकार की होगी।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मेरे से पहले जो सदस्य बोले हैं उनका आशय यह था कि प्रतिरक्षा बजट में वृद्धि न की जाये और रक्षा सम्बन्धी एक निश्चित नीति सरकार द्वारा बनायी जाये। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन कि रक्षा मंत्रालय की अपनी कोई निश्चित नीति नहीं हो सकती क्योंकि इस मंत्रालय की नीति अन्य मंत्रालयों की नीतियों के अनुरूप ढालनी होती है। इसकी नीति देश की विदेश नीति से और गृह मंत्रालय की नीति से सम्बद्ध रहती है। देश की आन्तरिक स्थिति और विधि व्यवस्था पर भी यह बहुत अधिक निर्भर करती है। हमारे देश की सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों से भी यह सम्बद्ध होती है। अतः सरकार की पहली जिम्मेदारी तो यह है कि वह देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दे, जिससे साम्प्रदायिक एकता अथवा विधि-व्यवस्था भंग हो।

भारतीय स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सम्बन्ध में मेरा यह प्रश्न है कि सीमित मध्यम दर्जे के और असीमित युद्ध के समय उनमें किस प्रकार से समन्वय होगा। वे एक दूसरे से मिलकर कैसे कार्य करेंगे। क्योंकि हमने अभी तक सबसे अलग रहने की नीति अपनायी है, इसलिए हमें स्वयं को ही यह देखना है कि रक्षा की दृष्टि से हम कहां पर खड़े हैं जहाँ तक सीमित युद्ध का सम्बन्ध है हमारी स्थिति पर्याप्त रूप से सुदृढ़ है किन्तु असीमित युद्ध के बारे में मै अभी कुछ नहीं कह सकता। आज के शास्त्रास्त्रों से पूर्ण वातावरण में हमें अपने आपको ठीक बैठाना है जहां तक परमाणु अस्त्रों से रक्षा का सम्बन्ध है विश्व की लगभग 2/3 जनता को उनसे सुरक्षा प्राप्त है क्योंकि अधिकाश देश विभिन्न सैनिक संगठनों से सम्बद्ध हैं। रूस, अमरीका, चीन जैसे देश पहले ही परमाणु-शस्त्रों से सम्पन्न हैं। किन्तु दुर्भाग्य से भारत को, जहां लगभग 50 से 55 करोड़ जनसंख्या है यह सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसके पास परमाणु शस्त्र विरोधी उपाय भी नहीं हैं। हम चाहे कितने ही आदर्शवादी बनें किन्तु जीवन की कुछ वास्तविकताओं का तो हमें सामना करना ही होगा। हमें भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और रूस-चीन सीमाओं पर चल रही गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का भी ध्यान रखना होगा।

मैं नीतिबद्ध सेवाओं (कमिटिड सर्विसिज) के पक्ष में हूं। असैनिक कर्मचारी तो वर्तमान सरकार की नीति से कुछ हद तक हटकर भी काम कर सकते हैं किन्तु सैनिक कर्मचारियों की सेवा तो ऐसी होती है कि उन्हें सरकार या अपने अधिकारी के प्रत्येक आदेश का पालन करना होता है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए मर मिटने का वचन लिया होता है। अतः उनके सम्बन्ध में

वेतन आयोग अथवा सेना अध्यक्ष की उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। सरकार को अपनी नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे इन लोगों को जो उचित है, वह मिल सके।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : रक्षा मंत्रालय को इस वर्ष 1200 करोड़ रुपये की राशि देने से पूर्व हमें यह भी देखना चाहिए कि गत वर्ष जो राशि इस मंत्रालय को दी गई थी, उसका किस प्रकार से सदुपयोग किया गया है। रक्षा सेवाओं के 1969-70 के प्रतिवेदन से मालूम होता है कि लेखा परीक्षा की 120,000 आपत्तियां 30-9-70 को उनके विरुद्ध दर्ज थीं। एक मामले में 23 लाख रुपये की हानि हुई और उसमें जांच तक नहीं कराई गई, इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इससे पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय सरकारी धन को कितनी लापरवाही से खर्च कर रहीं है।

प्रतिवेदन में चीन की परमाणु शक्ति के बारे में यह लिखा है कि उसके पास इस समय लगभग 150 परमाणु बम है। इसके अतिरिक्त छोटे परमाणु बम भी बहुत हैं। एक अनुमान के अनुसार चीन इस समय 20 किलो टन शक्ति के 40 परमाणु बम प्रति वर्ष बना सकता है। सरकार इस खतरे को तो मानती है किन्तु साथ ही यह दावा भी करती है कि चीन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करेगा। किन्तु इस बात की क्या गारन्टी है कि वह इनका प्रयोग नहीं करेगा। क्या हमारे पास परमाणु-शस्त्र विरोधी शस्त्र है। यदि नहीं तो हमारी सरकार को अपनी परमाणु शक्ति सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रतिवेदन में बताया गया है कि हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में प्रक्षेपास्त्र बनाये जा रहे हैं किन्तु यह पता नहीं कि वे किस प्रकार के हैं ? भारत ने सेना की अधिकतम सीमा 8,28,000 जवान रखी है। वर्तमान परिस्थितियों में यदि युद्ध होता है तो भारत को अनेक क्षेत्रों में युद्ध करना होगा। अतः सैनिकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जानी चाहिए।

अमरीकी सरकार का पाकिस्तान को सैनिक सामान देने का निर्णय भारत की पीठ में छुरा घोंपने के समान है। पिछले छः-सात सप्ताहों में पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सामान से लदे तीन जहाज जा चुके हैं और अगले कुछ सप्ताहों में चार जहाज और जाने वाले है। पाकिस्तान अन्य देशों से शस्त्रास्त्र प्राप्त करता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही अपनी-अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर हमारे पास जो विध्वंसक और फ्रीजेट है, वे पुराने किस्म के हैं यह बड़ा ही उपयुक्त समय है जबकि भारत को अपनी नौसैनिक शक्ति को बढाना चाहिए। तूतीकोरिन में एक नौसैनिक अड्डा बनाया जाना चाहिए। पूरे दक्षिण भारत की रक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा होगा। रक्षा मंत्रालय को सेथुसमुद्रम परियोजना पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे जलयान बिना अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा में प्रवेश किये पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर और वहां से वापस आ सकें।

यदि पाकिस्तान और भारत की वायु सेना की दृष्टि से तुलना की जाये तो 'भारत उससे कम नहीं है किन्तु चीन के पास निश्चित रूप से वायु सेना की अधिक शक्ति है। हमें अपनी वायु सेना को और अधिक आधुनिक बनाने के प्रयास करने चाहिए। नासिक में बनाये गये मिग-21 विमान के उत्पादन की गति बढ़ाई जानी चाहिए। रक्षा सामान के उत्पादन में बिलम्ब सहन करने की स्थिति में अब हमारा देश नहीं है।

जहां तक बंगला देश का प्रश्न है, हमारी रक्षा की समस्या बंगला देश की समस्या से सम्बद्ध

हो गई है। बंगला देश के स्वतन्त्रता सेनानियों का निर्दयता से संहार किया जा रहा है। वहां से 70 लाख से अधिक लोग भारत आ चुके हैं। भारत की सीमा का उल्लंघन प्रतिदिन किया जा रहा है। किन्तु बंगला देश की समस्या के बारे में एक शब्द भी इस प्रतिवेदन में नहीं लिखा गया है। देश में सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि बंगला देश को मान्यता दे दी जाये। मतभेद केवल समय के बारे में है कि उसे मान्यता कब दी जाये।

उन्होंने कहा है कि बंगला देश को मान्यता देना कानूनी रूप से उचित नहीं है। मान्यता देना पंचशील के भी विरुद्ध है। जनरल करियप्पा ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किये जा रहे कत्लेआम के बारे में कहा है कि पाकिस्तानी सेना को राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। एक जनरल द्वारा दिए गए ऐसे अविवेकपूर्ण की आशा नहीं की जा सकती थी।

श्री जयप्रकाश नारायण ने, जो दशाब्दी से शान्ति का उपदेश देते रहे हैं, कहा है कि यदि जनता और सरकार युद्ध के लिये तैयार नहीं रहती तो वे देश के उपयुक्त नहीं हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बंगला देश को मान्यता देने के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकी है। इस बारे में सब दलों के एक मत को देखते हुए सरकार को बंगला देश को मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कांग्रेस के संसद सदस्यों ने एक पखवाडे पहले बंगला देश को मान्यता देने की मांग की थी। लेकिन अब उनके रवैये में परिवर्तन हो गया है।

देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेना है लेकिन क्या सरकार वास्तव में राष्ट्रीय हित की रक्षा कर रही है, जबकि पाकिस्तान लाखों लोगों को भारत भेज रहा है।

हम बंगला देश की समस्या का राजनीतिक हल चाहते हैं लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में यह सम्भव है? शेख मुजीबुर्रहमान और अवामी लीग के अन्य नेताओं को या तो बन्दी बना लिया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है। याहिया खां ने 24 जून को अपने प्रसारण में कहा है कि वह अवामी लीग को राजनीतिक दल ही नहीं मानते इसलिए उसके द्वारा सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकार को यह आशा है कि बंगला देश से आये शरणार्थी 6 महीने के भीतर वापिस लौट जायेंगे और सरकार बड़ी शक्तियों और विश्व समुदायों से अनुरोध कर रही है कि वे पाकिस्तान के सैनिक शासकों पर इस बारे में दबाव डालें। पाकिस्तान की सैनिक जनता बंगला देश के नेताओं से बातचीत करने के लिये तब तक तैयार नहीं होगी जब तक इस बारे में उन पर दबाव नहीं डाला जायेगा।

कुछ लोग 60 लाख शरणार्थियों को देश में बसाने तथा विदेशों से सहायता प्राप्त करने के पक्षपाती हैं और वे यह नहीं चाहते हैं कि ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे युद्ध भड़के। प्रश्न शरणार्थियों को बसाने का नहीं है लेकिन यह है कि हम अपनी सीमा पर सेना का जमाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन दोनों बातों में से हमें एक बात को चुनना होगा, जबकि दोनों ही बातें अप्रिय हैं।

शरणार्थियों के यहां रहने पर हमें उन पर वर्षों करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे और भारत और पाकिस्तान में तनाव बना रहेगा और पूर्वी भारत में सुरक्षा की स्थिति खराब हो जायेगी और पाकिस्तान द्वारा काश्मीर क्षेत्र में कठिनाई पैदा करने की आशंका बनी रहेगी।

महात्मा गांधी ने भी कहा था कि "यदि मुझे हिंसा और कायरता में से एक को चुनना

हो तो मैं हिंगा का चुनूंगा" विशेषज्ञों के अनुसार यदि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है तो वह तीन महीने से अधिक नहीं चल सकता, बशर्ते अन्य देश हस्तक्षेप न करें। जब तक पाकिस्तान अमरीका से सैनिक उपकरण प्राप्त कर रहा है चीन उसको लगातार हथियार सप्लाई करने का स्रोत नहीं बन सकता। चीन के लिये भारी उपकरणों को हमारी ओर लाना बहुत कठिन होगा।

वर्ष 1965 के युद्ध में 50 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और यदि अब हमें इससे दस गुने अधिक रुपये भी खर्च करने पड़ें तो हमें इसके लिये तैयार रहना होगा। लोगों को त्याग करने और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

हम सरकार को इस बात का आश्वासन देते हैं कि बंगला देश के मामले में हम सरकार की हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : बंगला देश से शरणार्थियों के आने के कारण आज हमें न केवल पूर्वी सीमा की ओर बल्कि जम्मू और काश्मीर राज्य में उत्तरी सीमा की ओर से भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें पाकिस्तान से सीमा का उल्लंघन करने की नई धमकी का सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई सँदेह नहीं है कि हम आज 1965 की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसके साथ-साथ सरकार को और अधिक सतर्क होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ कभी भी समाप्त नहीं हुई है। घुसपैठ को पूर्णतया समाप्त करना सम्भव नहीं है।

देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का मनोबल ऊंचा किया जाना चाहिए और उन्हें आधुनिक शस्त्रों से लैस करना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राजोरी पुंच्छ क्षेत्र का सामरिक महत्व है। इसी क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत के बीच दो युद्ध हुए है और इसी क्षेत्र में घुसपैठियों ने 1965 में प्रवेश किया था। इस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कभी जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में चली गई थी और अब वह हमारे क्षेत्र में आकर बस गई है इन क्षेत्रों के विकास का भार केवल राज्य सरकार पर नहीं छोड़कर केन्द्रीय सरकार पर छोड़ा जाना चाहिए। रक्षा मंत्री को राज्य सरकार से मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करने पर विचार विमर्श करना चाहिए कि जब भी कभी सीमा क्षेत्र पर परती भूमि या ऐसी भूमि उपलब्ध हो जिस पर किसी का कब्जा न हो तो उस पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे हमारी कृषि उत्पादन की समस्या और सीमा की सुरक्षा दोनों की व्यवस्था की जा सके।

हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। हमारी सेना को राजनीतिक प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसके साथ-साथ सेना भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से अलग-थलग नहीं रह सकती है। सेना पर स्वास्थ्यप्रद राजनीति का प्रभाव पड़ना आवश्यक है क्योंकि सेना में काम कर रहे व्यक्तियों को भारतीय स्थिति देश में हो रहे परिवर्तन का ध्यान में रखना होता है।

राजोरी और पुंच्छ क्षेत्र में सैनिकों और नागरिकों के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। सैनिकों के कार्य के बारे में बहुत कम असंतोष है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक सराहनीय काम कर रहे हैं और उनके नागरिकों से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। जब भी कभी भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उसे दूर करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही की जाती है।

पाकिस्तान ने बंगला देश से शरणार्थी भेजकर भारत पर एक प्रकार से अतिक्रमण किया है। पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों पर किये गये खर्च को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यदि हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता तो अब किए जा रहे खर्चे की तुलना में हमारा खर्चा कम होता।

मुझे युद्ध के बाद के परिणामों की जानकारी है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार बंगला देश की समस्या को हल करने में कितना समय लगाएगी। सरकार को आरम्भ से ही मुक्तिफौज को सब प्रकार की सहायता देने के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये था। उनपर यहां खर्च की जा रही राशि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिये दी जा सकती थी। सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि जब तक उनका मुक्ति आन्दोलन जारी रहेगा तब तक भारत सरकार और उसकी जनता उनको हर प्रकार की सहायता देती रहेगी। यदि सरकार ऐसी कार्यवाही नहीं करेगी तो इन लोगों तथा अपने देश के लोगों पर नियंत्रण रखना कठिन होगा और जनता इस समस्या को भी स्वयं हल करेगी।

सैनिकों के वेतन आदि के बारे में निर्णय करने में सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिए।

आज के जमाने में यह आवश्यक है कि अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। यह बात सैनिकों पर और अधिक लागू होती हैं। क्योंकि सैनिकों के वेतनों के बारे में नई प्रणाली तैयार की जानी है अतः सरकार वेतन मानों का पुनरीक्षण इस प्रकार करे कि अधिकारियों की तुलना में नीचे स्तर के जवानों को अधिक लाभ हो। जवानों और अधिकारियों के बीच इतने अधिक अच्छे सम्बन्ध होने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इनके बीच और अच्छा वातावरण उत्पन्न करें जिससे सेना पहले की भांति और अधिक एक होकर देश की रक्षा कर सकें।

श्री ब्रजराज सिंह - कोटा (झालावाड़) : रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में बंगला देश जैसी समस्याओं अथवा श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा किए गए कार्य का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के समाने बंगला देश की बड़ी विकट समस्या है। मुझे पता चला है कि अब सरकार बंगला देश में कोई कार्यवाही न करने की जिम्मेदारी सेनाध्यक्षों पर डालने का प्रयत्न कर रही है। यह बहुत अनुचित बात है। यह स्पष्ट है कि अन्त में इस समस्या का राजनीतिक समाधान ही ढूंढना पड़ेगा।

चीन और पाकिस्तान के परम्परागत खतरों के कारण देश को रक्षा व्यवस्था पर काफी अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। एशिया महाद्वीप में एक नई स्थिति का प्रादुर्भाव हो रहा है जिससे हमारी विचारधाराओं, नीतियों और स्थिति को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमें अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमको एक तो चीन की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति पर विचार करना होगा और दूसरे जापान में, जो आर्थिक एवं प्रतिरक्षा की दृष्टि से तीसरा सर्वाधिक उन्नत देश हैं, निश्चित रूप से आ रहे परिवर्तनों की ओर ध्यान देना होगा। जापान शीघ्र ही परमाणु पनडुब्बियां बनाने वाला हैं। तीसरे रूस एशियाई महाद्वीपसमूह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस अरब देशों की बहुत सहायता कर रहा है।

रूस का प्रभाव हिन्द महासागर में बढ़ रहा है। वह पाकिस्तान को सैनिक सामान भी दे रहा है जिससे वह चीन के अधिक निकट न जाये। इसी प्रकार वह मलेशिया, इन्डोनेशिया और सिंगापुर को भी अपने पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहा है। अमरीका भी अपनी नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन कर रहा है। वह एशिया महाद्वीप से हट रहा है।

इस दशाब्दी के अन्त तक विश्व में परमाणु शक्तियों की संख्या चार हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? वियतनाम से अमरीका के हट जाने के बाद श्वेत जातियों के उपनिवेशवाद का अन्त हो जायेगा। भारत इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा से मेरा अभिप्राय केवल प्रादेशिक अखण्डता से नहीं है। यदि नेपाल, भूटान आदि जैसे देशों पर हमारे शत्रु देशों का प्रभाव अधिक हो गया तो क्या हमारी प्रभुसत्ता पर उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? भारत को सीमावर्ती राज्यों पर विदेशी प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। आज परमाणु शक्ति का युग है। यह कल्पना करना व्यर्थ है कि शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शक्ति का प्रयोग हमेशा किया गया है और किया जाता रहेगा। शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है और नही अच्छी है। प्रश्न यह है कि उसका प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किया जाता है यदि हमारी स्थिति यही रही तो विश्व के मामलों में हमारा प्रभाव उतना ही रह जायेगा जोअ ाजकल इण्डोनेशिया और पाकिस्तान का है। आज विश्व में केवल चार परमाणु शक्तियों का ही प्रभाव हैं। चीन हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब बंगला देश के बहाने वह काफी गड़बड़ कर सकता है। हमारी सरकार का विचार है कि परमाणु हथियारों को प्रयोग नहीं किया जा सकता, वे सोचते हैं कि चीन से केवल परम्परागत हथियारों का खतरा है और राकेटों का प्रयोग वे दिवाली की खुशी में करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल युद्ध में किया जाये। इन हथियारों का राजनीतिक महत्व है। हमें अपनी शक्ति पर ही निर्भर करना चाहिए। यदि बड़ी शक्तियां चीन को परमाणु हथियारों के प्रयोग से आगामी दस वर्षों तक रोक ले तो भी कुछ अर्से के बाद उनका नियन्त्रण चीन पर कम हो जायेगा, हम इस दिशा में चीन से बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि हम परणाणु क्षेत्र में अब कार्य आरम्भ करे तब हम दस वर्षो में चीन के साथ मिल सकेंगे। अतः भारत को परमाणु शक्ति के विकास के लिये अभी से प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए। बंगला देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हमारी सेनाओं को बहुत सतर्क रहना चाहिये। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी कुछ वर्ष पहले अरब और इसराइल के बीच थी। अतः हमारे देश को इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिये मज़बूत रहना चाहिये। रक्षा मंत्रालय कुछ बातों को अनावश्यक रूप से गुप्त रखे हैं। नेफा के बारे में हेंडसेन ब्रुक्स की रिपोर्ट की स्थिति क्या है? जब तक यह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी तब तक उसका सामरिक महत्व समाप्त हो जायेगा।

सेना के बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई तथा अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करके हमें बतायें कि वह इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे।

Shri Raja Ram Shastri (Varanasi) : We have no tendency to defend our country. It, however, appears that we have made some preparation for the defence of our country keeping in view the perpetual threats from our neighbouring houstile countries.

[श्री के०एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K.N. Tiwary *in the chair*]

But we should not lag behind in research work and acquiring scientisfic knowledge, otherwise we shall continue to suffer from infriority complex.

Besides this we see no publicity regarding defence being carried on in the public, I am not taking of war with anyone. We want that we should always be prepared and alert in case of any war. But no effort is being made in this direction.

It seems to me that the structure of our army is based on old pattern. Even now caste consideration is taken into account in the army. This kind of discrimination is not in consistent with our objective.

Regarding decision making I want to say that its procedure has changed radically everywhere and now it can not go on in this way. The soldies of our country should not only have the knowledge of country's objectives 'ideals but he should be in touch with the policies of the army. Of course our soldier is imbibed with the sentiment of Patriotism and he can die for the country but if he has to take independent decision in the war, he will fail miserably. It is all due to his ignorence about the policies of our army. This is supposed to be a short coming in the efficiency and capacity of our army. Every soldier should be able to take independent decision at the time of emergency. The procedure of policy making remains in the hands of upper ranks and this has put our army on the wrong structure.

The bound has two cultures on either side. May I know whether any cultural propaganda, is being carried on this side so that the morale of our people may be boosted and they may face the challange of other side who is indulging in cultural propaganda. I think we are lacking this initiative. We should strenghten our cultural front also to guard our boundary. Without this our people will succumb to the influence of other country's propaganda today the problem of Bungla Desh has assumed a serious threat for us. If a war takes place with pakistan then it will be a moral war and not a political one. Although politically the motive of Pakistan is sinister because it is not allowing the majority party to rule. Although I regard this as an internal problem of Pakistan but it is a fact that the cultural spirit of the majority people is being murdered in this country. If a war takes place on this issue then it will raise a question whether sectarian, or secular or Progressive state is desirable in this age and whether the cultural spirit of a country can be trampled ? This war will not be a political one but it will base on the ideology.

With these words I would appeal that the structure of our army may be modernised and the lower rank is in the army should be associated with framing policies. Unless this done, I do not see any improvenent in the army. I hope our government will look into this.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं इस बजट के प्रति अपनी चिन्ता और निराशा व्यक्त करता हूँ। एक समय था जब हमारी सेना इतनी सशक्त थी कि अंग्रेजों ने उसकी सहायता से कई देशों पर विजय प्राप्त की थी पर आज हमें भय है कि यदि हमने बंगला देश के बारे में कुछ किया तो इसका क्या परिणाम निकलेगा।

एक समय था जब हमारे प्राचीन भारत में शक्ति की पूजा होती थी पर आज हम सोचते हैं कि परमाणु शस्त्रास्त्रों का निर्माण हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और इससे हम कठिनाई में फंस जायेंगे, हमारे पास इन शास्त्रास्त्रों का निर्माण करने के लिए सभी अपेक्षित कच्चा माल और वैज्ञानिक, इंजीनियर, इलेक्ट्रोनिक विशेषता हैं तो फिर हम क्यों नहीं उनका निर्माण करते हैं। आज चीन विश्व के परमाणु क्लब में शामिल हो गया है और उसे अमरीका के साथ वार्ता के

लिए निमंत्रण दिया गया है । हम इस प्रकार सब देशों से पीछे रह गये हैं जब कि हमारा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।

हमने राजस्व व्यय लगभग 1,200 करोड़ रुपये रखा है जो कि अधिकतर रखरखाव पर व्यय हो जाता है जब कि 170 करोड़ रुपये विकास और पूंजीगत खर्च के लिए रखे गये हैं जो कि केवल 15 प्रतिशत है । अब समय आ गया है कि हम इस प्रकार धन को व्यय करें जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । हम इस मामले में अमरीका का उदाहरण ले सकते हैं जिसने प्रतिरक्षा पर व्यय कम करके आक्रमण शक्ति को अधिक प्रभावी बनाया है ।

मैं उन मदों की ओर भी ध्यान दिलाऊंगा जिसका निर्माण दल नहीं कर रहे हैं । उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही हाथ में ले लेना चाहिए । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वे इस बात की जानकारी रखें कि भविष्य में होने वाले परमाणु बमों प्रक्षेपास्त्र तथा पनडुब्बियों का रूप क्या होगा। भारत डाइनेमिक्स को प्रक्षेपणास्त्र बनाने का कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। मेरा अनुमान है कि यह कम दूरी वाले होगे परन्तु हमें इस समय अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र बनाने पर भी विचार करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त हमने विशेष ईंधन तैयार नहीं किया है। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । हमारे पास प्रणोदक भी नहीं है जिसके बिना हम प्रक्षेपास्त्र अथवा राकेट नहीं बना सकते हैं । इसके लिए देश में ही द्रव हाइड्रोजन संयत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, हमारे पास उच्च आक्टेन क्षमता के ईंधन पर चलने वाले गैस टरबाईन होने चाहिए ।

रक्षा मंत्रालय को टिटेनियम बनाने का कारखाना बनाना चाहिए और मशीन टूल एककों को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अथवा अन्य विभागों को सौंप देना चाहिए । रक्षा मंत्रालय को इन जैसी सभी मदों से मुक्त हो जाना चाहिए और अपना ध्यान आधुनिक तथा उपयोगी एककों की ओर ध्यान लगाना चाहिए । मंत्रालय को टिटेनियम, मेग्नेशियम, मिश्र धातु, शस्त्रास्त्र प्लेट और चादरों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए । उसे माइक्रो इलैक्ट्रानिक, एल० एस० आई०, एम० एस० आई०, मार्गदर्शन उपकरण, व्यवहारिक लेसर, इलेक्ट्रनिक प्रोग्रामर्स, डिजिटल्स और संगपाक आदि का निर्माण स्वयं अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कराना चाहिए जब तक हमारे देश में अत्यधिक आधुनिक उपकरणों का निर्माण नहीं किया जाता है, हम अन्य देशों की तुलना में पिछड़े रहेंगे ।

मंत्रालय को अब सभी पुरानी किस्म के हलकी मार करने वाले उच्च जोखिम और अधिक लागत वाले सभी उपकरणों को त्याग देना चाहिए । पुराने किस्म के जहाजों पर धन कम करना व्यर्थ है क्योंकि बिना विमानों के संरक्षण से उनका कोई उपयोग नहीं है। इसके साथ ही मत्रालय को विश्व पेटेन्टों के पंजीकरण और खोज के लिए एक विभाग भी खोलना चाहिए क्योंकि ऐसे अधिकांश पेटेंट पंजीकृत किये जाते हैं और आशा है कि मंत्रालय को इन पेटेंटों से काफी ज्ञान प्राप्त होगा और कुछ रूपान्तरों के साथ उनका अपने देश में ही निर्माण आरम्भ किया जा सकेगा। मंत्रालय को बैंकल जैप इंजन, जोकि जापान में चल रहा है, के निर्माण का अधिकार प्राप्त करने पर भी विचार करना चाहिए । इसी प्रकार हमें साइलेंट पिस्तौल, आटोमैटिक सीट इजेक्टर आदि का निर्माण करने का अधिकार भी प्राप्त करना चाहिए ।

हमें सुपरसोनिक विमान विशेषकर मिग-21 एम का निर्माण अधिक संख्या में करना चाहिए क्योंकि इसी पर हमारी आशा टिकी है।

जहां तक टकों के निर्माण का प्रश्न है हम 60 से 70 या 85 प्रतिशत तक इन टैंकों का निर्माण देश में कर रहे हैं हम जितना शीघ्र इसका पूरा निर्माण देश में करेंगे उतना हमारे हित में होगा ।

हमने युद्ध में देखा है कि हमारे पास विमान चालकों की कमी है । इसके लिए हमें प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहिए यदि हमारे पास अतिरिक्त चालक भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं हैं ।

हम गुजरात की सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी लम्बी समुद्री सीमा पाकिस्तानी नौसेना और हवाई अड्डों के निकट है, गत पाक युद्ध में हमें काफी हानि उठानी पड़ी हैं । इसलिए गुजरात के समुद्र तट का जल विनयक सर्वेक्षण और जहाजरानी सम्बन्धी चार्ट बनाया जाना चाहिए । हमें सीमा पर राडार, अन्तर्रोधक, भूमि से वायु में मार करने वाले नियंत्रणाधीन प्रक्षेशास्त्र, राकेट, अच्छी परिवहन और संचार व्यवस्था से युद्ध अड्डे की स्थापना करनी चाहिए ।

मेरा मंत्रायल से कहना है कि वह प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करे, इसके अतिरिक्त यहां की गुप्त बातें बाहर प्रकट हो जाती है । उन पर रोक लगाई जानी चाहिए ।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिया) : रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए हमें बंगला देश की बिगड़ती स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए । भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व के अन्तर्गत बंगला देश की क्रांति का समर्थन किया है और सरकार की नीति का भी समर्थन किया है परन्तु साथ ही साथ वे हमें सावधान रहने को भी कह रहे हैं, वे सरकार से कह रहे हैं कि मुक्ति फौज को अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए शस्त्रास्त्र दिये जायें । यहां मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि वे स्वयं उस नीति का निर्धारिण करें जिसका वे अनुसरण करना चाहते है क्यों कि इस प्रकार के वक्ताओं से राष्ट्र गुमराह हो सकता है और जनता यह नहीं जान सकती कि सरकार एक विशेष स्थिति में क्या कार्यवाही करेगी ।

श्री समर मुखर्जी ने कहा है कि देश में लोकतांत्रिक शक्तियों को दबाने के लिए सेना का उपयोग किया जा रहा है, मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है । सेना का उपयोग ऐसे कार्य के लिए कहीं भी नहीं किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की स्थिति सर्वथा भिन्न है, श्री ज्योति बसु के मंत्रित्व काल में सिली गुड्डी क्षेत्र की घटना के समय शान्ति के लिए सेना का उपयोग किया गया था सामान्य प्रशासन स्थिति को संभालने में असमर्थ रहता है तो सेना की सहायता की आवश्यकता पड़ती है । भारतीय साम्यवादी दल के श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह ठीक ही कहा हैं कि नागरिक प्रशासन चलाने के लिए सेना का उपयोग करना सरकार के लिए उचित नहीं है । मैं उन से सहमत हूं । परन्तु हमें अभी अपने में लोकतांत्रिक तत्वों का समावेश करना है, यदि राजनैतिक दलों के नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों में दल बदलने और सरकार को गिराने के लिए षडयंत्र रचने की प्रवृत्ति बन गई है तो किस प्रकार सच्चा लोकतंत्र आ सकता है । इस लिए हमें पहले ऐसी बातों को त्यागना होगा ।

राष्ट्रीय छात्र सेवा दल अंशतः रक्षा मंत्रालय और संशत. शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है जिससे बहुत निराशा होती हैं राष्ट्रीय दल सेना में एक अच्छे नागरिक, नेतृत्त्व देश के अतीत

के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताया जाता है। परन्तु आज विभिन्न राज्यों में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय छात्र सेना की कोई आवश्यकता ही नही है और इसका प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। मेरे विचार में राष्ट्रीय छात्र सेना का प्रशिक्षण भारतीय रक्षा और भारतीय लोकतंत्र के लिए अति आवश्यकता है। इसका कार्य संचालन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए।

राष्ट्रीय छात्र सेना में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को कतिपय रियायतें, लाभ आदि दिये जाने चाहिए। आज उन्हें ऐसी कोई रियायतें नहीं मिलती हैं। यदि कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्र सेना का प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो उसे परीक्षा अंको तथा विषयों में कतिपय लाभ दिये जाने चाहिए।

जहां तक पूर्वी क्षेत्र की स्थिति का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सीमा सुरक्षा दल वहां पर्याप्त नहीं है। सीमा सुरक्षा दल मिजो पहाड़ियों, पूर्वी क्षेत्र और देश में उग्रवादी शक्तियों को दबाने में असफल रही है। मेरे विचार में इसके स्थान पर सशस्त्र सेना को तैनात किया जाना चाहिए।

पश्चिमी बंगाल में ईशापुर आयुध कारखाना और काशीपुर आयुध कारखाने में कतिपय राजनीतिक दल प्रवेश करके वहां गड़बड़ी पैदा करते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इन कारखानों में किसी भी राजनीतिक दल का प्रवेश न होने दे। यदि ऐसा न किया गया तो उससे हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था में बड़ा विघ्न पड़ेगा।

श्री एस०ए० शयीन (श्रीनगर) : आज भारत एक बड़ी दुविधा में फँसा हुआ है कि पाकिस्तान से युद्ध किया जाये या नहीं। यह भाग्य की विडंबना है कि जयप्रकाश नारायण जैसे शान्तिवादी, नेता भी युद्ध करने की आवाज उठा रहें हैं जबकि हमारे एक भूतपूर्व सेनाअध्यक्ष इसकी निरर्थकता को बता रहे हैं, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि देश को प्रतिरक्षा के मामले में तैयारी नहीं करनी चाहिए परन्तु हमें युद्ध करने की बात नहीं करनीं चाहिए। युद्ध करने से न केवल धन और प्राणों की हानि होती है अपितु मानवीय दुःखों में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है परन्तु युद्ध न करने के लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता होती है,

हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। परन्तु हमें वास्ताविकताओं का भी भान होना चाहिए। हमारी सहानभूति बंगला देश के साथ है परन्तु वहां की जनता को यह युद्ध स्वयं लड़ना है हमें अपनी ओर से युद्ध की कोई बात नहीं करनी है।

काश्मीर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसके लिए केवल सैनिक तैयारी प्रर्याप्त नहीं है। यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि काश्मीर की सुरक्षा का प्रबन्ध भली भाति नहीं किया जा रहा है। किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिये वहां की जनता का सहयोग अपेक्षित होता है। काश्मीर की जनता ने यह दिखा दिया है कि वे पाकिस्तान का उस प्रकार का सामना कर सकते हैं जो वह धर्म कुरान और इस्लाम के नाम पर कर रहा है। यही काश्मीर की जनता का सहयोग है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि काश्मीर की जनता ने ही 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय उनका सामना किया था आज उनके लिए कोई आयुध कार्य नहीं किया गया है। हमें उनका विश्वास प्राप्त करना चाहिए ताकि वे देश की लोकतंत्री जीवन धारा के साथ साथ चल सके इसी प्रकार वे सशस्त्र सेनाओं से भी बढ़कर देश की रक्षा कर सकते है।

परन्तु कभी कभी आश्चर्यजनक बातें हो जाती हैं, एक बार एक अपराधी, जिसे फांसी की सजा दी गई थी, श्री नगर सेन्ट्रल जेल से भाग गया था इस बारे में जांच कराये जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार की नीति काश्मीर के प्रति ऐसी रही है जिसमें जनता की आवाज को उभरने नहीं दिया गया है और कभी शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, कभी बख्शी गुलाम मुहम्मद और अब गुलाम मुहम्मद सादिक का ही दबदबा रहा है। यदि काश्मीर की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करना है तो वहां की जनता की आवाज को महत्व दिया जाना चाहिए।

काश्मीर की जनता को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करना हमारा उत्तर दायित्व है, परन्तु यह कार्य कतिपय केन्द्रीय नेताओं के कार्यों से कठिन हो जाता है जब काश्मीर में शेख मुहम्मद अबदुल्ला और मिर्जा अफ़जल बेग के लिए लोकतंत्र नहीं है तो काश्मीर की जनता को यह कैसे प्राप्त हो सकता है ? आप जानते ही हैं कि बख्शी गुलाम मुहम्मद ने इस सभा में यह शिकायत की थी कि उसके प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।

महोदय! विमान अपहरण के सम्बन्ध में जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री ने विरोध प्रकट किया है और कहा है कि इस अपहरण के बारे में उन्हें तीन महीने पूर्व ही सूचना मिल गई थी और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करना चाहती थी किन्तु केन्द्रीय आसूचना विभाग ने उन्हें कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी। काश्मीर की जनता महसूस करती हैं कि उनके साथ भेद भाव बढ़ता जा रहा है।

जहां तक युद्ध का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि युद्ध को अंतिम हथियार ही मानना चाहिए क्योंकि युद्ध में केवल तबाही और विनाश के कुछ नहीं मिलता है। युद्ध होने पर यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह कितने दिन चलेगा और उसके क्या परिणाम होंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पकिस्तान की भर्तस्ना समस्त विश्व ने की है और मुझे आशा है बंगला देश को भी विजय मिलेगी।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : Sir, Past history reveals that non-availability of modern and sophisticated arms with the Indian Army was the single factor which caused defeat to the nation. After the conflict in 1962 with china it has also become qutie clear that we will have to face protracted struggle with our neighbouring countries. But it is quite strange that we are not trying to become a nuclear power while China has started to manufacture enter continental miseles. I am unable to understand the reasons for which we are not prepared to undertake this take when we have got all the technical knows how with us and when there is a constant danger of attack from the neighbouring countries. In these circumstances I demand that must equip our army with modern weapons.

I admit that there is a paucity of funds with the country. But in view of the greater possibilities of war it is highly essential that schemes for developing our atomic energy should be formulated now because it would take not less than ten years in implementing those schemes. I also want that the manufacturing and the delivery of the Atom bombs should be undertaken side by side.

Much emphasis has been laid on the security measures taken regarding the figures of the production in the ordnance factories in the country while foreigners have full information about it. I therefore, demand that we should know as to what material is being manufactured in our defance sector and we should be given an opportunity to discuss the working of there factories.

Shri Indrajit Gupta has pointed out several shortcomings. Apart from those shortcomings the military personnel discharged from the Army in the age of 30-32 years are not

provided with proper and suitable jobs. I suggest that those person should be given re-employment at the top priority basis. In view of the larger number of the retired military personnel the percentage of reservation in service for them should also be increased.

I do not agree with Shri Samar Mukherjee that the services of the Army should not be utilised to check the internal disturbances. When people and police are not able to suppress internat disturbances there is no harm to utilise the services of Army.

श्री बीरेन्द्रसिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। चीनी आक्रमण से पहले सेना पर होने वाले खर्च में कमी किये जाने की मांग की जाती थी तथा सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी कर दिये थे कि सैनिकों से कर बनवाने तथा खेती कराने का कार्य सैनिकों से लिया जाये। किन्तु अब सैनिकों के कल्याण तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की भलाई की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

हमारे सामने भारी खतरा है। सौभाग्य से हमें 1962 में चीन ने तथा 1965 में पाकिस्तान ने जगा दिया। किन्तु अब इस बात की आशंका है कि भारत पर दोनों देशों द्वारा मिलकर आक्रमण किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या चीन और पाकिस्तान में कोई सैनिक संधि हुई है। चीन ने तिब्बत में छः डिविजन सेना तैनात कर रखी है। उनके पास प्रेक्षपणास्त्र भी हैं-तथा चीन कभी भी भारत के किसी भाग को उनका निशाना बना सकता है। यह भी सुना गया है कि पाकिस्तान ने गत तीन महीनों में पांच नए डिवीजन खड़े किये हैं। आशा है मंत्री महोदय हमारी सैनिक तैयारियों के बारे में हमको कुछ बतायेंगे।

रक्षा मंत्रालय द्वार 1189 करोड़ रुपयों की मांग कम है। मेरा सुझाव है कि राज्यों को 785 करोड़ रुपयों की प्रस्तावित सहायतानुदान को रक्षा कार्यों में व्यय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रोजगार योजनाओं पर खर्च के लिए 75 करोड़ रुपयों की राशि को इन कार्यों में लगाया जा सकता है वर्तमान तनाव को देखते हुए सरकार को राष्ट्रीय संकट की स्थिति मानना चाहिए तथा उसकी घोषणा भी कर देनी चाहिए।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

मुझे कहीं यूरोपीय देशों का दौरा करने का अवसर मिला है। मैंने वहां देखा है कि सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के सुझावों की वहां कदर की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी रक्षा योजनायें सफल रहती हैं। वहां की जनता अपनी सैन्य आवश्यकताओं को समझती है किन्तु हमारे यहां ऐसी भावनाओं की बहुत कमी है। हमारे देश में सैनिकों को निम्नस्तर का समझा जाता था तथा लोगों की ऐसी धारणा थी कि केवल वही व्यक्ति फौज में भर्ती होता है जिसमें बुद्धि की कमी होती है। फिर भी अब उस धारणा में सुधार हो रहा है तथा अभी और सुधार की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि अन्य दशों की भांति हमारे यहाँ भी सैनिक सेवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। राज्यों तथा केन्द्र की पहली दूसरी और तीसरी श्रेणी में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सेवा देनी चाहिए जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष तक सेना में सेवा की हो।

महोदय ! हमारे यहां सैनिकों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुरक्षा सेवाओं के साधारण सिपाही को भी राजनीति में भाग लेने से मनाही है। राज्य-सभा में

12 सदस्यों को नामजद किया जाता है। मेरा सुझाव है कि उनमें से तीन सदस्य सेना में से होने चाहिए।

यह बड़ी दुःख की बात है कि हमारे सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिक अंग्रेजी शासन को बार-बार याद करते हैं। उनका कहना है कि उनके समय में यदि एक कमांडिंग अफसर डिप्टी कमिश्नर को किसी सैनिक के परिवार की कठिनाइयों के बारे में पत्र लिखता था तो वह उस पर तुरन्त कार्यवाही करता था। किन्तु आज स्थिति यह है कि उनकी कोई चिन्ता तक नहीं करता।

खेद की बात है कि एक सैनिक को केवल 55 रुपया वेतन तथा 45 रुपया महंगाई भत्ता दिया जाता है जब कि दिल्ली में एक चपरासी को 200 रुपये मिलते हैं।

अंग्रेज़ों ने रेजीमेंटों के नाम कुछ जातियों के नाम पर रखे थे जैसे जाट रेजीमेंट आदि। अब भी उसी प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है क्योंकि इससे सैनिक अपनी जाति और देश के नाम के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि 1962 में लद्दाख में चीनियों से लड़ते हुये 13 कुमायूं रेजीमेंट के 114 जवानों ने अपने प्राण दिए थे तथा 1500 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके कमांडर मेजर शैतान सिंह को परम वीर चक्र भी मिला था तथा लगभग 15 सैनिकों को वीरता पारितोषिक मिला था। अतः उनकी बहादुरी को ध्यान में रख कर एक रेजीमेंट का नाम अहीर रेजीमेंट रखा जाये क्योंकि इससे इस जाति के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वे अधिक से अधिक संख्या में सेना में आयेंगे।

में यह भी सुझाव देता हूँ कि 50 प्रतिशत सरकारी नौकरियां सेना से सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षित करनी चाहिए। कुछ राज्यों में 30 प्रतिशत नौकरियां उनके लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। किन्तु मेरा अनुरोध है कि सभी राज्यों में यह प्रतिशतता 50 कर देनी चाहिए।

माननीय रक्षा मंत्री को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा निवृत्त सैनिकों को जिनके पास अपनी भूमि नहीं है हरिजनों की भांति भूमि दी जानी चाहिए जिससे वे अपना पालन पोषण कर सकें।

सैनिक अधिकारियों को विदेशी प्रभाव से अलग रखना चाहिए। कुछ समय पहले समाचारपत्रों में पढ़ा था कि हमारे एयर चीफ मार्शल अमरीका गये थे तथा उनको 'लीजिनआफ मैरिट' से सम्मानित किया गया। हमारे संविधान में भी दिया गया है कि कोई नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इससे सैनिक अधिकारी विदेशी प्रभाव में आ सकते हैं तथा वे विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए विदेशी शक्तियों का सहारा ढूंढने लगते हैं। अतः जिन्होंने इस प्रकार की कोई उपाधि या पारितोषिक प्राप्त किये हैं उनको इनका भी परित्याग कर देना चाहिए जिससे उन पर किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव न पड़ सके।

श्री नारायण चन्द्र पारासर (हमीरपुर): : महोदय रक्षा सम्बन्धी वाद विवाद में दलगत सम्बन्धों से ऊपर उठकर विचार विमर्श किया जाना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने श्रीलंका में सेना भेजे जाने के सरकार के निर्णय की आलोचना की हैं। मुझे इस पर बड़ा दुःख है।

रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आंकड़े इस प्रकार हैं :

30 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 10, 730 शक्तिमान ट्रक, 10 लाख मीट्रिक टन भार वाले 22, 682 तथा 6904 पैट्रोल व्हीकल। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को निरर्थक बताया है अथवा इस प्रगति को असंतोषजनक बताया है यदि वे इन पृष्ठों को पढ़ें तो उन्हें वास्तविक स्थिति का पता लग जायेगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि आधुनिक विज्ञान और प्रोद्योगिकी के सहारे विश्व में भारी प्रगति की जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक कार्य अध्ययन संस्थान की स्थापना गई है। इस संस्थान में सैनिकों को वैज्ञानिक दृष्टि में प्रदर्शित किया जायेगा तथा जवानों को उच्च शिक्षा दी जायेगी। यह भी बताया गया है कि उदयपुर विश्व-विद्यालय के उपकुलपति डा० महाजनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है अथवा हमने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है।

सरकार ने एक नागा रेजीमेंट भी खड़ी करने का निर्णय किया है जिससे नागा लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि रेजीमेंटों का नाम किसी जाति या समुदाय के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए। जन्म भूमि या जन्म स्थान के नाम पर सैनिकों का रक्त उबल पड़ता है। अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने इस सम्बन्ध में जो संकल्प पारित किया है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र के अपनी मातृभूमि के सैनिकों की, लेफ्टिनेंट जनरल के० सी० स्टोच और लेफ्टिनेंट जनरल पठानियां की बहादुरी की सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के साथ वीरता से युद्ध किया। मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया। अतः मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही एक हिमाचल प्रदेश रेजीमेंट खड़ी की जाये।

आज ही 'सर्वाइविल' नाम का लेख में मैंने पढ़ा है कि विश्व में समुद्री युद्ध कौशल में इतनी प्रगति हो गई है कि अब जलयान पुराने पड़ गये हैं तथा पनडुब्बियों उनके स्थान पर अधिक समर्थ हैं। उसी लेख में यह भी बताया गया है कि पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिये उनके भेदक भान बना लिये गये है। अतः विज्ञान और प्रोद्योगिकी में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है तथा अपनी योजनाएं बनाते समय सरकार को इन सभी महत्वपूर्ण खोजों को ध्यान में रखना चाहिये। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वार्षिक योजनाओं को प्रति वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है।

प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 50,000 सैनिकों को सेवा मुक्त किया जाता है। इन में से एक तिहाई को उनके अनुरोध पर तथा शेष दो.तिहाई को अपनी सेवा अवधि पूरा होने पर सेवा मुक्त किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए बन्दोबस्त निदेशालय है। किन्तु मैं कई भूतपूर्व सैनिकों से मिला हूं जिनको रोजगार नहीं दिया गया है। अतः मै मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस निदेशालय को प्रवर्ती शक्ति दी जाये, जैसा कि प्रतिवेदन में प्रस्ताव दिया गया है। मेरा यह भी सुझाव है कि सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत सुरक्षित कोटे को बढ़ाकर 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत कर दिया जाये।

महोदय ! सैनिकों के परिवार बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं तथा उनकी भलाई के

लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारी संचार व्यवस्था ऐसी है कि एक सैनिक की मृत्यु का तार भी दस दिन पश्चात उसके परिवार के पास पहुंचता है। इस के अतिरिक्त छुट्टी पर आने वाले जवानों को नहीं वालों की वजह से बड़ी बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती हैं। उनको बसें नहीं नहीं मिलती है तथा उनके परिवारों को पेय जल के लिये मीलों पैदल चलना पड़ता है। यह कहाँ का न्याय है कि मरने के पश्चात हम परिवार पैंशन आदि की व्यवस्था करते हैं किन्तु जीवित सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिये कोई काम नहीं करते है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रत्येक सैनिक को क्वार्टर देना सम्भव नहीं है। किन्तु यह तो सम्भव होना चाहिए कि उनके लिए अच्छी संचार व्यवस्था बना दी जाये तथा उनको सभी प्रकार की सुविआएं प्रदान की जायें जो व्यक्ति देश के लिये अपने प्राणों को बलिदान करता है उसके लिये तथा उसके परिवार के लिये हमें पूरी सुविधाएं जुटानी चाहिये।

जहां तक सुरक्षा तैयारियों का प्रश्न है प्रतिवेदन में बताया गया है कि 31 दिसम्बर, 1970 तक प्रादेशिक सेना की अधिकृत संख्या 50,778 है। किन्तु वर्तमान संख्या 43,782 ही है। इसमें इतना अन्तर रखे जाने का क्या कारण है ?

चीन ने सिक्यांग में 14 अक्तूबर 1970 को अपना 11 वां परमाणु परीक्षण किया था। चीन की प्रति वर्ष 40 परमाणु बम बनाने की क्षमता बताई गई है। वास्तव में हमें चीनी हथियारों से कोई खतरा नहीं है वरन हमें चीनी रवैये से तथा उसके दृष्टिकोण से अधिक खतरा है। प्रतिदिन चीन के बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि शक्ति बन्दूक की वैरल से प्राप्त होती है। हमें चीन के इस दृष्टिकोण से लड़ना होगा तथा उसका मुकाबला करने के लिये हमें प्रत्येक क्षण तैयार रहना होगा। टैगौर के शब्दों में यदि तेरी पुकार सुनकर भी तेरे साथ कोई नहीं आता तब भी अकेला चल। चल। अतः हमें इन शब्दों में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
Dr. Sardish Roy *in the chair*]

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराज गंज) : महोदय! चीन को हमसे एक वर्ष और दो मास बाद स्वतंत्रा मिली थी तथा उस समय वह हमसे गरीब भी था। किन्तु आज यह स्थिति है कि वह विश्व में महान शक्ति वाला देश बन गया है तथा हमसे इस्पात आदि का चार गुना उत्पादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त उसने परमाणु शक्ति भी बना ली है और उसकी सैनिक शक्ति भी हमसे बहुत ज्यादा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि उन्होंने महान शक्ति आर्जित करने का निश्चय कर लिया है तथा हमारा ऐसा कोई संकल्प नहीं है। अतः यदि हम अपनी सत्ता बनाये रखना चाहते हैं तो हमें चीन से शिक्षा लेनी होगी।

पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कराने में समर्थ हैं और हम बंगला देश में हो रहे कत्ले आम को रोकने में असमर्थ है। हमें आशा थी कि विश्व के बड़े देश हमारी सहायता करेंगे किन्तु किसी ने अभी तक नही की। साथ ही बड़े देश नहीं चाहते कि चीन या भारत शक्तिशाली बने। किन्तु इसके पश्चात भी चीन ने अपने प्रयत्न से शक्ति अर्जित कर ली है। अतः हमें भी अपने प्रयत्नों से शक्ति अर्जित करनी चाहिए।

इस समय हमारी सुरक्षा बहुत खतरे में हैं। चीन ने परमाणु बमों के ग्यारह परीक्षण किये

हैं तथा वह तिब्बत से प्रक्षेपणास्त्रों से हमारे देश पर भी कर सकता है ।

आपने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन की परमाणुक्षमता भारत कि सुरक्षा के लिये एक खतरा है परन्तु इस संदर्भ में हमें कोई बाते, जैसे, ऐसे आक्रमण से चीन को राजनैतिक तथा सैनिक लाभ, संसार की स्थिति पर इसके प्रभाव तथा दूसरे विकसित देश और परमाणु शक्तियों की प्रतिक्रिया आदि की दृष्टि से निश्चय करना चाहिए ।

बंगला देश के कत्ले आम के प्रति हमने संसार की प्रतिक्रिया देखली है । यदि चीन परमाणु बमों से हम पर आक्रमण करता है तो क्या संसार की प्रतिक्रिया इससे भिन्न होगी । यदि हमें अपनी सुरक्षा करनी है हमें अपनी सैना, नौ सेना तथा वायुसेना को समृद्ध बनाना होगा तथा परमाणु हथियार बनाने होंगे । आप निरस्त्रीकरण की बात करते है । हम 23 वर्षों से ऐसे प्रयास कर रहे हैं परन्तु किसी देश ने परमाणु हथियारों का परित्याग नहीं किया है । प्रत्येक परमाणु हथियारों वाला देश ऐसे हथियारों का भंडार करने में लगा है । यदि हम देश को जीवित रखना चाहते है तो हमें तुरन्त अणुबम बनाना चाहिए । हमारी सेना का स्तर चीन की तुलना में नीचा है । हमारी वायुसेना तथा नौसेना छोटी हैं । हमें अपने प्रतिरक्षा कार्यों पर चीन के बराबर व्यय करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : 5,000 करोड़ रुपये ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : कुछ भी हो, चीन के समतुल्य सैनिक शक्ति प्राप्त करने के लिये यह करना होगा ।

प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को इस आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिए । जवानों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा उनकी सेना शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए जिससे वे ऐसा ही कौशल दिखा सकें जो उन्होंने 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय दिखांया था । संसार में हमारी सेना सर्वश्रेष्ठ है । आज तक उन्होंने कोई लड़ाई नहीं हारी है ।

80 लाख शरणार्थी भारत आये हुये है हमारे पास और इसके अतिरिक्त और क्या उपाय हैं कि हम अपनी सेना को बंगला देश में भेजे जिससे इन शरणार्थियों को सुरक्षात्मक ढंग से वापस भेजा जा सकें उनको आज बन्द किया जा सके, नरसंहार को रोका जा सके और वहां शेख मुजीबर्रहमान को सजा में लाया जा सके । मुझे विश्वास है कि सरकार स्थिति के प्रति सजग है । मुझे विश्वास है कि हमारे रक्षा मंत्री देश की सेना, नौ सेना तथा वायु सेना को शक्तिशाली बनायेगे तथा देश को चीन से अधिक परमाणु शास्त्रास्त्र प्रदान करेंगे ।

Shri M. Ramgopal Reddy : India is going shorter day by day,there was a time when its fortiers were shetched from Balochistan to Chitagong. Pakistan have handed over 3200 sq. Miles of Pakistan occupried Kashmir to China, which, infact is a territory of India. China have Captured 12000 sq. Miles of our territory. What is the way out to recapture these areas ? I think strengthing of our armed forces and manufacturing of Atom-Bomb is a must for our country. It is said that manufacturing of Atom-Bomb is very much expensive, we are to depend our liberty and we should be ready to make every sacrifice to save it.

Our defence personnel are guarding our frontiers in difficult situations. We should make all possible efforts to provide them necessary facilities. Their familis should be looked after in earenest way. If it is necessary then we should increase our budget provisions for defence purposes.

Litbration Army can creat aneraly in Bangla-Desh. They can not exterminat Pakistani butchers therefrom. The big powers of the would have advised Pakistan not to repeat. The

mistake they have asked Pakistani authorities to release Mujib, but Pakistan have paid no held to there advices. There is no other alternative left with us but war with Pakistan just to solve the refugee problem. Pakistan may be set at right only,

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : बड़े खेद की बात है कि बहुत से सदस्यों ने बताया है कि हमें युद्ध से बचना चाहिये । कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें बंगला देश को मान्यता तो दे देनी चाहिये परन्तु युद्ध से बचना चाहिये । यह बात समझ में नहीं आती कि बंगला देश को मान्यता देकर युद्ध से किस प्रकार बचा जा सकता है । युद्ध से डट कर हम युद्ध से नहीं बच सकते । हमें युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिये और इसके लिये यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारी रक्षा सेनाएँ ठीक हालत में रहें । हमारी तीनों रक्षा सेनाएँ एसी स्थिति में होनी चाहिये कि किसी भी स्थिति में युद्ध का मुकाबला कर सकें ।

यह कहना भी गलत है कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं हुंई है । हिटलर तथा मुसोलिनी की समस्यायें युद्ध से ही हल हुयीं थी । चैम्बरलेन ने शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं को हल करना चाहता परन्तु वह असफल रहा । मेरा तात्पर्य यह है कि केवल युद्ध के भय से युद्ध से नहीं बचा जा सकता । अतः हमें अपनी रक्षा सेनाओं को किसी भी स्थिति का सामना करने योग्य बनाये रखना चाहिये ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनुसंधान तथा विकास विभाग रक्षा सेनाओं की तीनों शाखाओं को अपनी उपस्थिति का भान करा रहा है । विश्वविद्यालयों तथा बड़े-बड़े उद्योगों की सेवाओं का उपयोग करके उन्होंने अनुसंधान कार्यों को विस्तृत कर दिया है । फिर अनुसंधान कार्यों में और अधिक प्रगति तथा आविष्कारों की क्रियान्वित की आवश्तकता है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि इस विज्ञान तथा प्रगति के युग में हम पीछे न रहें ।

हमें अपनी सेनाओं को आधुनिकतम हथियार प्रदान करने चाहियें तथा उनको अनुशासन में और संतुष्ट भी रखना चाहिये । सेनाओं के सन्तुष्ट रखने के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं ।

1965 के युद्ध में वायुसेना ने पुराने विमानों से पाकिस्तान की वायुसेना पर अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित की । इसका श्रेय सारी वायुसेना को जाता है किसी एक शाखा विशेष को नहीं । हमारे आयोजकों का विचार था कि यह श्रेय सामान्य ड्यूटी पायलेटों को जाता है तकनीक अधिकारियों को नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि सामान्य ड्यूटी अधिकारी, वेतन, पदोन्नति के अवसरों तथा विशेषाधिकारों के मामलों में तकनीकी अधिकारियों से अच्छी स्थिति में रखे गये है । सामान्य ड्यूटी पायालेटों के लिये शिक्षा की योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गयी है तथा तकनीकी अधिकारियों के लिये इंजीनियर्स अथवा दूरसंचार में डिग्री प्राप्त होने तक की योग्यता निर्धारित की गयी है । इसके उपरान्त भी सामान्य ड्यूटी पायलेटों का वेतन आरम्भ में ही तकनीकी अधिकारियों के वेतन से 75 रुपये अधिक होता है, यद्यपि दोनों की श्रेणी एक ही होती है । जब सामान्य ड्यूटी पायलेटों को उड़ान-उपहार दिया जाता है तब तकनीकी अधिकारियों को भी रख-रखाव उपहार दिया जाना चाहिये । इन्हें जोखिम भत्ता भी दिया जाना चाहिये चाहे यह भत्ता सामान्य ड्यूटी पायलेटों को दिये जाने वाले भत्ते से कम ही हो । उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये सामान्य ड्यूटी पायलेटों को प्राथमिकता दी जाती है तकनीकि कर्मचारियों को कठिनाई से ही ऐसी सुविधा का कोई अवसर मिलता है ।

इन सबका का कारण यह है कि उच्चस्तर पर तकनीकी शाखाओं में ऐसा कोई तालमेल नहीं है जैसा कि सेना में है। रक्षा मंत्री को इन सब मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि तकनीकि कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जायें क्योंकि अन्ततः सारा काम तकनीकी कर्मचारियों और पायलेटों के काम में उचित तालमेल करके ही करना होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें अणुबम बनाना चाहिये। एक बार हमने अणुबम बनाना आरम्भ कर दिया तो शस्त्रीकरण की दौड़ शुरू हो जायेगी। भारत एक गरीब देश है और वह अपने सीमित संसाधनों से इस दौड़ का सामना नहीं कर पायेगा। हमें युद्ध का उत्साह पैदा करना होगा। इन अस्त्रों को खपाने के लिये अमरीका के वियतनाम तथा कोरिया की तरह कोई दूसरा देश खोजना होगा। बिना सोचे समझे जो ऐसे सुझाव दिये गये हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। ऐसे लोग संभवतया स्थिति की गम्भीरता से परिचित नहीं हैं।

अभी अभी कहा गया है कि हिटलर तथा मुसोलिनी ने प्रत्येक बात लड़ाई के बल पर हल की। यह तो ठीक है परन्तु उनके देशों का विनाश भी युद्ध के कारण ही हुआ है।

हमें युद्ध की बात नहीं करनी चाहिये। हम युद्ध की मनोवृति पैदा क्यों करें तथा उन चोरबाजारी करने वाले और निहित स्वार्थ वाले लोगों के लिये अनुकूल वातावरण क्यों पैदा करें जो हमारे देश को लूटना चाहते हैं तथा जनसाधारण को लूटना चाहते हैं। युद्ध से हमारी अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा।

ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह भ्रष्टाचार की जड़ है। औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों के बीच के इस समय के अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिये।

जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिये। नैतिक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कारखानों के श्रमिक, डिपोओं के कर्मचारी तथा निरीक्षणालय कर्मचारियों के साथ जो कैंटीन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हे सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है।

जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में कार्य करने वालों को मजदूर संघों के अधिकार दिये जाने चाहियें। जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर, उधमपुर तथा जम्मू में नियुक्त रक्षा कर्मचारियों की रियायते वापस ले ली गयी हैं। इन स्थानों को शान्ति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अतः श्रमिकों को मजदूर संघ के अधिकार दिये जाने चाहियें।

आयुध कारखानों में कार्य की कमी है। इसका मुख्य कारण यह है अनेकों पदों के सम्बन्ध में काम गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयुध कारखानों के सम्बन्ध में भविष्य में ऐसा नहीं किया जायेगा। सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि यह वही गैर सरकारी क्षेत्र है जिसके विशेषतया कुछ बड़े बड़े ठेकेदारों ने हमें 1962 तथा 1965 में नीचा दिखाया था। अतः सरकार को आयुध कारखानों में ठेका प्रणाली समाप्त करनी चाहिये।

अन्त में मन्त्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को स्थायी परामर्श व्यवस्था

पुनःस्थापित करनी चाहिये । यह मामला सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है । इस विषय में कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये जिससे अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में भाग ले सके ।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । इसे अभी कार्यरूप नहीं दिया गया है । हमारे लिये बड़े शर्म की बात है ।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal): This time we have got an efficient defence Minister and I hope he will give us a powerful defence and the Country will be able to defene its frontiers under his able directions.

We are well aware of that our two neighbours–China and Pakistan are our enemies. On one side there is China and on the other Pakistan exists. We should be alive to the situation and ready to meet any of the unloward Contingency on our frontiers.

People of Garhwal region are famous for their berosi and Chivalrons deeds. Tibet crisis in our north and that is in possession of China, we know China designs very well. Our people are also allert to the situation and they are ready to make each sacrifice. But there is a shortage of transport facilities in our region, therefore, to relieve the area of its backwardness is urgently required. We should start Constacting roads from Garhwal, Tihri Garhwal and Almora.

With these words I support the demands of defence Ministry.

श्री एन० श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : रक्षा मन्त्रालय को प्रतिवेदन आवश्यकता से अधिक आत्मसंतोष तथा आशावादिता से भरा हुआ है । आज देश के सामने जो खतरा है मन्त्रालय उसे कम से कम रूप में एहसास करने का प्रयत्न कर रही है । हमारे पड़ौसी हमारे मित्र नहीं हैं । 1962 की तरह एक बार फिर हम यह सोचते हैं कि चीन हम पर आक्रमण नहीं करेगा । प्रतिवेदन में कहा गया है कि इसमें संदेह नहीं कि भारत की सुरक्षा को जो भी खतरा है, चीन की परमाणुशक्ति भी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है । परन्तु इस खतरे को हमें कई बातों जैसे, इस प्रकार के आक्रमण से राजनैतिक और सैनिक लाभ, विश्व की स्थिति पर इसकी प्रतिक्रिया, विकासित देशों की परमाणु शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया, को ध्यान में रखना सुनिश्चित करना चाहिये ।

ऐसी स्थिति में जब 60 लाख शरणार्थी भारत में आ गये हैं हम दिवा-स्वपन में लीन हैं । इसके उपरान्त भी विश्व की शक्तियों की पूँजीवादी देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है ? विश्व का कोई राष्ट्र भारत और यहाँ तक कि बंगला देश को हथियार देने के लिये सामने नहीं आया । अतः हम विश्व जनमत को अपना शिक्षक समझ कर उस पर निर्भर नहीं रह सकते । यदि भारत पर आण्विक हथियारों से आक्रमण किया जाता है तो स्वभावतः ही विश्व जनमत चीन के विरुद्ध शोर मचायेगा किन्तु हमारा देश तो नष्ट हो जायेगा । अतः हमें चीन के आण्विक अस्त्रों के आक्रमण का सामना करने के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये । मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि अमरीका तथा रूस के लिये भी प्रक्षेपाशस्त्र निरोधक छतरी का रखना असंभव है । भारत के लिये तो यह बिलकुल ही असंभव है । हम जानते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिये मित्र राष्ट्रों पर निर्भर रहना है । रूस से हमें आवश्यक प्रक्षेपणास्त्र नहीं मिल सके । इसके लिये उसकी आलोचना करने तथा अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रक्षेषणस्त्र तथा आधुनिक हथियार मांगने में कोई बुरी बात नहीं है । इस आवश्यकता के लिये हमें जितना भी व्यय करना पड़े करना चाहिये ।

सेना के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया है, उनमें वृद्धि कर दी गई है परन्तु अभी भी ये अपर्याप्त हैं। एक मजदूर अथवा सेना के सिपाही को क्या मिला है? जवान जब तक नायक नही हो जाता तब तक उसे वेतन वृद्धि के रूप में एक रुपया भी नहीं मिलता है, परिश्रमिक की बात तो बहुत दूर की है। क्या इसी स्थिति के लिये मन्त्रालय ने अपने प्रतिवेदन में आत्मतुष्टि प्रदर्शित की है ?

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 9 जुलाई, 1971, 18 आषाढ़ 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, July 9, 1971 Asadha 18, 1893 (Saka)

Printed at the Sumer Printing Press, New Delhi-18